

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018—श्रावण 5, शक 1940

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2018

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीब-5-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग वर्तमान में प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा दिनांक 14 से 28 जून 2018 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए। अब, उन्हें दिनांक 14 से 27 जून 2018 तक, चौदह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-963-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी सिंह, आयएएस., (2013) को दिनांक 14 अप्रैल से 13 जुलाई 2018 तक, बियानवे दिन का Leave Not Due के अनुक्रम में दिनांक 14 जुलाई से 9 नवम्बर 2018 तक, एक सौ उन्नीस दिन का Child Care Leave स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

क्र. ई-5-884-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी सुन्दरियाल, भाप्रसे, तत्कालीन कलेक्टर, जिला रत्नाम वर्तमान में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018 द्वारा दिनांक 17 मार्च से 3 अगस्त 2018 तक, एक सौ चालीस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 17 मार्च से 15 जून 2018 तक, नब्बे दिन का प्रसूति अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-1068-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री अनिल कुमार खेरे, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 18 से 30 जून 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार खेरे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार खेरे भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2018

क्र. ई-1-181-2018-5-एक.—डॉ. एम. मोहन राव, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. एम. मोहन राव द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(5) श्री अशोक शाह, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-898-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दिनांक 9 से 13 जुलाई 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे, आयुक्त वाणिज्यक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे, श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. ई-5-562-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 16 से 18 जुलाई 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

आयुष विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-631-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री संजय दुबे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय दुबे द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. ई-1-149-2018-5-एक.—श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे, (2007) नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल की सेवाएं, राजस्व विभाग से वापस लेकर उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश,

भोपाल पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-180-2018-5-एक.—श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. ई-5-835-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस., आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जून 2018 द्वारा दिनांक 4 से 6 जुलाई 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-990-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 31 मई से 14 जून 2018 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1084-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जून 2018 द्वारा दिनांक 18 से 23 जून 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 18 से 27 जून 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जून 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”।

**गृह विभाग**  
**मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. एफ 1(ए) 119-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक महिला अपराध, जबलपुर को दिनांक 16 से 28 जुलाई 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 व 29 जुलाई 2018 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री भगवत सिंह चौहान, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 128-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अमनि/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सीरियस फॉडस मुख्यालय, मुम्बई, को खण्ड वर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वर्ड करते हुए) परिवार सहित नई दिल्ली जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 2 से 7 जुलाई 2018 तक, छः दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 1 व 8 जुलाई 2018 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. श्री शैलेष सिंह     | — स्वयं |
| 2. श्रीमती सुनीता सिंह | — पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेष सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अमनि/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

सीरियस फॉडस, मुख्यालय मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए) 254-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय राणा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 21 से 23 जून 2018 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. एफ-1(ए)122-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल जोन को खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वर्ड करते हुए) परिवार सहित नई दिल्ली जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 16 से 28 जुलाई 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 एवं 29 जुलाई 2018 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1. श्री सुधीर व्ही. लॉड | — स्वयं  |
| 2. डॉ. अपर्णा लॉड       | — पत्नी  |
| 3. डॉ. सागरिका लॉड      | — पुत्री |
| 4. क्षितिज लॉड          | — पुत्र  |
| 5. आकाश लॉड             | — पुत्र  |

(2) श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अमित सांघी, भापुसे पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल जोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव,

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2018

फा. क्र. 2815-इक्कीस-ब-(दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में गठित विधि आयोग के लिए विधि विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 1951-इक्कीस-ब(दो)-2018, दिनांक 16 मई 2018 में अनुक्रमांक 18 से 21 तक पूर्व से आउटसोर्स आधार पर स्वीकृत पदों के अतिरिक्त उक्त आदेश के अनुक्रमांक 7, 8, 14 एवं 17 में वर्णित कुल 8 स्वीकृत पदों को नियमित पद पूर्ति होने तक आउटसोर्स से भर्ती की अनुमति प्रदान करता है।

फा. क्र. 2922-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री दग्दू सिंह चौहान (ADJ) जोबट, जिला अलीराजपुर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2018

क्र. 1659-2244-18-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ई. एन. खण्डवा	ई. एन. खण्डवा	श्री कपिल वर्मा, JMFC
2	गुना	गुना	श्री महेश कुमार वर्मा JMFC
3	रीवा	रीवा	श्री योगीराज पाण्डेय JMFC

No.1659-2244-2018-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

#### SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	E. N. Khandwa	E. N. Khandwa	Shri. Kapil Verma, JMFC
2	Guna	Guna	Shri Mahesh Kumar Verma, JMFC
3	Rewa	Rewa	Shri Yogiraj Pandey, JMFC

क्र. 1661-2243-2018-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

#### अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बैतूल	बैतूल	श्रीमती सुनीता तारम, JMFC
2	मुरैना	मुरैना	श्रीमती शिल्पा तिवारी, JMFC
3	रायसेन	रायसेन	श्री मोहम्मद अरशद, JMFC
4	बड़वानी	बड़वानी	कु. रश्मि मंडलोई, JMFC

No.1661-2243-2018-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as

specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

### SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Betul	Betul	Smt. Suneeta Taram, JMFC
2	Morena	Morena	Smt. Shilpa Tiwari, JMFC
3	Raisen	Raisen	Shri Mohammad Arshad, JMFC
4	Barwani	Barwani	Ku. Rashmi Mandloji, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

### योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2018

क्र. 1755-2018-तेर्इस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999, की धारा 4 की उपधारा 3(ग) तथा संशोधित अध्यादेश, 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट विदिशा जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये नाम-निर्दिष्ट किया जाता है :—

### सारणी

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिनेश सोनी	विदिशा
2	श्री आनंद जैन	विदिशा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र सिंह राजे, उपसचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री व्ही. के. मिश्रा को जिला सागर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्र. एफ-25-130-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-21°57'18.404" से N-21°57'35.620" उत्तर आक्षंश व E-78°31'35.270" से E-78°32'4.359" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—मोहखेड़, वनमण्डल—पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल, वनपरिक्षेत्र—सांवरी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बिछुआ बैतूल “अ”	बिछुआ बैतूल	चरनोई	100	15.649	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 107 से मुनारा क्र. 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से मुनारा क्र. 38 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 38 से मुनारा क्र. 80 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 80 से मुनारा क्र. 107 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						योग . . 15.649

### (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08-2007-एफसी, दिनांक 30 नवम्बर 2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश स्टेट मार्ईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत) कुल 328.935 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.649 हेक्टेयर (चरनोई) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन व विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 141-अ-19(3)-2014-15, दिनांक 30-5-2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
  2. सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्र. एफ-25-130-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-130-2017-दस-3, दिनांक 17 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th July 2018

No. F-25-130-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter-IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N- $21^{\circ}57'18.404''$  to N- $21^{\circ}57'35.620''$  north latitude and E- $78^{\circ}31'35.270''$  to E- $78^{\circ}32'4.359''$  east longitude :—

## SCHEDULE

**District—Chhindwara, Tehsil—Mohkhed, Forest Division—West Division Chhindwara, Forest Range—Saori**

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries	
	Name of Forest Block (1)	Name of Village (2)	Present head of Land (3)	Khasra No. (4)	Area in (Hectare) (5)	(6)	(7)
1	Bichua Betul "A"	Bichua Betul	Charnoi	100	15.649	<b>North</b> —Artificial Forest boundary From Pillar No. 107 to Pillar No. 6 Protected Forest Block.	
						<b>East</b> —Artificial Forest boundary From Pillar No. 6 to Pillar No. 38 Protected Forest Block.	
						<b>South</b> —Artificial Forest boundary From Pillar No. 38 to 80 of Protected Forest Block.	
						<b>West</b> —Artificial Forest boundary From Pillar No. 80 to Pillar No.107 Protected Forest Block.	
					Total . .15.649		

## (A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No. 8-08/2007-FC, dated 30th November 2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Mining Corporation the above mentioned Non Forest Land of 15.649 hectare (Charmoi) transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 141-A & 19 (3) 2014-15- dated 30th May 2015 Collector, Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Detail of other Reasons—Nil.

3. (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mohkhed District Chhindwara are as under.

1. **Individuals Rights**—There are no individual Rights on the said land.

2. **Communities Rights**—There are no Communities Rights on the said land.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Add. Secy.

### नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2018

क्र. एफ 31-9-2018-सत्ताईस-एक-राजपत्र क्रमांक 554, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 में किये गये संशोधन अनुसार जल उपभोक्ता संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाना है एवं आगामी विधान सभा निवाचन एवं आगामी विधान सभा निवाचन सभा निवाचन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना जबलपुर के अंतर्गत गठित निम्नलिखित जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्षों एवं सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 30 जून 2018 से आगामी छः माह की वृद्धि करता है :—

स. क्र.	जल उपभोक्ता संस्था का नाम	जल उपभोक्ता संस्था का कोड क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	कुटी	003
2	इमलिया	004
3	बेदू	005
4	गुंदरई	006
5	बम्हनी	007
6	मगरधा	008
7	बेलखेडा	009
8	बागपोडी	018
9	लुहेटा	019
10	सूरजगांव	016
11	झगरहाई	015
12	नंदवारा	014
13	नवलगांव	013
14	नरसिंहपुर	012
15	मैनावारी	011

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,  
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

**चिकित्सा शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018**

क्र. एफ 5-18-2018-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम. ई. दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है :—

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 39 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“40. डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी (डी. फार्मा. होम्योपैथिक)”

No. F-5-18-2018-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah-Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001) the State Government hereby makes the following further amendment in the schedule of the said published vide this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October 2002, namely :—

**AMENDMENT**

In the said Notification, in the schedule, after serial number 39 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be added, namely :—

“40-Diploma in Homeopathic Pharmacy (D. Pharma, HOMEOPATHIC)”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.

**विभाग प्रमुखों के आदेश**

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल  
“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2018

जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4011-वि.यो. 496-नग्रानि.—एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्र. 23 सन् 1973) की सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर.

2. कलेक्टर, जिला जबलपुर.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर.

### अनुसूची

क्र.	विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण हेतु प्रस्तावित प्रावधान
1	2	3
1.	<p><b>2.17 प्रस्तावित भूमि उपयोग (मध्य क्षेत्र)</b></p> <p>(ब) सेवा उद्योग</p> <p>मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित असंगत औद्योगिक इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर मध्य क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जावेगा। लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थापित मान्य सेवा एवं गृह उद्योगों के व्यवस्थित संचालन हेतु निवेश इकाई-2 में प्रावधानित भी किया गया है। आवासीय उपयोग के अंतर्गत म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) की सूची अनुसार उद्योग अनुज्ञेय होंगे।</p> <p><b>2.18 मध्यवर्ती क्षेत्र में आवास</b></p> <p>सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों एवं मांग को देखते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र का वर्तमान मिश्रित उपयोग स्वरूप यथावत् रखना प्रस्तावित है। मिश्रित उपयोग रहने से आवासीय एवं कार्य स्थलों में परस्पर सामंजस्य एवं संबंध परिस्थिति की आवश्यकता है।</p>	<p><b>2.17 प्रस्तावित भूमि उपयोग (मध्य क्षेत्र)</b></p> <p>(ब) सेवा उद्योग</p> <p>मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित असंगत औद्योगिक इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर मध्य क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जावेगा। लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थापित मान्य सेवा एवं गृह उद्योगों के व्यवस्थित संचालन हेतु निवेश इकाई-2 में प्रावधान भी किया गया है। आवासीय उपयोग के अंतर्गत म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) की सूची अनुसार उद्योग अनुज्ञेय होंगे।</p> <p><b>2.18 मध्यवर्ती क्षेत्र में आवास</b></p> <p>सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों एवं मांग को देखते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र का वर्तमान मिश्रित उपयोग स्वरूप यथावत् रखना प्रस्तावित है। मिश्रित उपयोग रहने से आवासीय एवं कार्य स्थलों में परस्पर सामंजस्य एवं संबंध परिस्थिति की आवश्यकता है।</p>

	<p>अधिक अधिवासी दर अधिक आवासीय घनत्व अस्वच्छता एवं सेवा-सुविधाओं का अभाव आदि मध्यवर्ती क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र से संलग्न समीपवर्ती क्षेत्रों में भाड़ा क्रय योजनायें एवं किराये के मकान उपलब्ध कराकर मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित आबादी का घनत्व कम करना प्रस्तावित है। मध्यवर्ती क्षेत्र में, वर्तमान में जो सेवा-सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें संलग्न समीपवर्ती क्षेत्र में प्रावधानित कर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र में आवास इकाईयों का रूपांकन म०प्र० भूमि विकास नियम-2012 के अनुसरण में होगा। राईट टाउन, नेपियर टाउन एवं गोल बाजार क्षेत्र में निर्मित स्वरूप, आच्छादन क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात और खुले क्षेत्र आदि जिनका विस्तृत विवरण अध्याय 4 में उल्लेखित हैं, के अनुसरण में होगा।</p>	<p>अधिक अधिवासी दर, अधिक आवासीय घनत्व अस्वच्छता एवं सेवा-सुविधाओं का अभाव आदि मध्यवर्ती क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र से संलग्न समीपवर्ती क्षेत्रों में भाड़ा क्रय योजनायें एवं किराये के मकान उपलब्ध कराकर मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित आबादी का घनत्व कम करना प्रस्तावित है। मध्यवर्ती क्षेत्र में, वर्तमान में जो सेवा-सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें संलग्न समीपवर्ती क्षेत्र में प्रावधानित कर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र में आवास इकाईयों का रूपांकन म०प्र० भूमि विकास नियम-2012 के अनुसरण में होगा। राईट टाउन, नेपियर टाउन एवं गोल बाजार क्षेत्र में निर्मित स्वरूप, आच्छादन क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात और खुले क्षेत्र आदि जिनका विस्तृत विवरण अध्याय 4 में उल्लेखित हैं, के अनुसरण में होगा।</p>
2.	<p><b>4.4.6 वाणिज्यिक क्षेत्र</b>  जबलपुर: वाणिज्यिक क्षेत्र विकास के मापदण्ड 4-सा-5  टीप: 2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर से ऊंचे 18 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा।  3. 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 मीटर</p>	<p><b>4.4.6 वाणिज्यिक क्षेत्र</b>  जबलपुर: वाणिज्यिक क्षेत्र विकास के मापदण्ड 4-सा-5  टीप: 2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर से ऊंचे के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र म०प्र० भूमि विकास नियम -2012 के अनुसार होंगे।  3. 360 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6.0 मीटर चौड़ा ऑफस्ट्रीट पार्किंग एवं 3 मीटर चौड़ा कोरीडोर तथा अन्य तीनों ओर 4.5 मीटर खुला क्षेत्र रखना होगा साथ ही सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।</p>

3. 4.9 जबलपुर : उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी क्रमांक 4-सा-17 के

4.9 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी क्रमांक 4-सा-17 के सरल क्रमांक 029 के पश्चात् निम्नानुसार और जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक (1)	उपयोग परिसर (2)	आर.डी. (3)	उपयोग परिसर			
			सी. 3 (4)	सी. 4 (5)	आई. 1 (6)	आई. 2 (7)
030	मल्टी प्लैक्स	P	P	P	NP	NP
031	मल्टी प्लैक्स कम शॉपिंग	P	P	P	NP	NP
032	शॉपिंग माल	P	P	P	NP	NP
033	ओपन माल	P	P	P	NP	NP
034	कनवेन्शन सेंटर सह होटल	P	P	P	P	P
035	कन्वेशन सेन्टर	P	P	P	P	P
036	एम्यूजमेंट/थीम पार्क	P	P	P	P	P
037	होटल	P	P	P	P	P
038	प्रोफेशनल महाविद्यालय	P	P	P	NP	NP
039	पॉलिटेक्निक/व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान/होटल मैनेजमेंट संस्थान/आई टी आई/प्रशिक्षण केन्द्र.	P	P	P	P	P
040	नर्सरी स्कूल/प्ले स्कूल/झूलाघर	P	P	P	NP	NP
041	चिकित्सालय 100 बेड से अधिक	NP	P	P	NP	NP
042	चिकित्सालय 30 से 100 बेड तक	P	P	P	P	P
043	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय	P	P	P	NP	NP
044	क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक/डिस्पेन्सरी	P	P	P	P	P
045	नर्सिंग एवं पैरा मैडिकल संस्थान	P	P	P	NP	NP
046	सुपर मार्केट/डिपार्टमेंटल स्टोर	P	P	P	NP	NP
047	व्यवसायिक कार्पोरेट कार्यालय/आफिस चेम्बर	P	P	P	P	P
048	रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	P	P	P	P	P
049	मैरिज हाल	P	P	P	NP	NP
050	मैरिज गार्डन	P	P	P	NP	NP
051	कान्फ्रेंस हाल/ऑडिटोरियम/प्रदर्शनी केन्द्र	P	P	P	P	P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
052	क्लब/रिसोंट	P	P	P	NP	NP
053	सांस्कृतिक भवन/कम्प्युनिटी हॉल	P	P	P	P	P
054	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	P	P	P	NP	NP
055	समस्त सार्वजनिक सेवा सुविधायें	P	P	P	P	P
056	रेडियो/दूरदर्शन केन्द्र	P	P	P	NP	NP
057	पिकअप स्टेशन	P	P	P	P	P
058	बस स्टॉप	P	P	P	P	P
059	ऑटो स्टेण्ड/टैक्सी स्टैण्ड	P	P	P	P	P
060	मल्टी लेवल पार्किंग/पार्किंग	P	P	P	P	P
061	पिकअप स्टेशन	P	P	P	P	P
062	बस स्टॉप	P	P	P	P	P
063	ऑटो स्टेण्ड/टैक्सी स्टैण्ड	P	P	P	NP	NP
064	मल्टी लेवल पार्किंग/पार्किंग	P	P	P	P	P
065	ईधन भराव/ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र	P	P	P	P	P
067	स्टोरेज/गोदाम	NP	P	P	P	P
068	आटोमोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/सर्विस स्टेशन/आटो मोबाईल पार्क.	NP	P	P	P	P
069	ओद्योगिक प्रयोगशाल	NP	P	P	P	P
070	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	NP	NP	NP	P	P
071	गैस गोडाउन	NP	NP	P	P	P
072	जल शोधन संयंत्र	P	P	P	P	P
073	वेस्ट वॉटर संशोधन उपचार संयंत्र	P	P	P	P	P
074	दूरसंचार केन्द्र	P	P	P	P	P
075	सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग	P	P	P	P	P

क्र.	विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण हेतु प्रस्तावित प्रावधान
4	4.9 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी क्रमांक 4-सा-17 के पश्चात * केवल वाणिज्यिक भूमि उपयोग परिक्षेत्र में	विलोपित
5	4.9.1 शेष उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य भूमि उपयोग प्रशासनिक संस्थान/संस्थायें (पी.एस.-2)	प्रशासनिक संस्थान/संस्थायें (पी.एस.-2) में निर्दिष्ट स्वीकार्य भूमि उपयोग के अतिरिक्त निम्न गतिविधियां जोड़ा जाना प्रस्तावित:- समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, छात्रावास, धर्मशाला, लाजिंग एवं बोर्डिंग, रेस्ट हाउस/ अतिथिगृह, रेन बसेरा, कार्यालय सहित सुविधाजनक/ स्थानीय दुकान, रेस्टोरेंट, कनवेंशन सेंटर, कनवेंशन सेंटर सह होटल, सामुदायिक/कम्युनिटी हॉल, आर्ट गैलरी/संग्रहालय, खेल/मनोरंजन गतिविधियां, समस्त सार्वजनिक सेवा सुविधायें, मल्टीलेवल पार्किंग/पार्किंग , सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग, ईंधन भरावकेंद्र, अन्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थायें।
6	4.9.1 शेष उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य भूमि उपयोग ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में कृषि उपयोग अंतर्गत उल्लेखित एवं तालिका 4-सा-18 की टीप अनुसार उपयोग टीप - कृषि उपयोग के अंतर्गत म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में परिभाषित भू-उपयोग तथा कब्रिस्तान, १मशान घाट, जल-मल उपचार संयत्र, ट्रैचिंग ग्राउण्ड , ईंट भट्ठा , चीनी मिट्टीके वर्तन निर्माण , स्टोन क्रेशर, वेयरहाउस व सूचना प्रौद्योगिकी, गैर प्रदूषणकारी उद्योग" , कृषि पर्यटन सुविधा" खेलकूद से संबंधित गतिविधियाँ / स्टेडियम, एवं समस्त प्रकार के भड़ारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे। व्याख्या:-	ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) की टीप के पूर्व निम्नलिखित और जोड़ा जाना प्रस्तावित है। टीप - कृषि उपयोग के अंतर्गत म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में परिभाषित भू-उपयोग तथा कब्रिस्तान, १मशान घाट, जल-मल उपचार संयत्र, ट्रैचिंग ग्राउण्ड , ईंट भट्ठा , चीनी मिट्टीके वर्तन निर्माण , स्टोन क्रेशर, वेयरहाउस व सूचना प्रौद्योगिकी, गैर प्रदूषणकारी उद्योग" , कृषि पर्यटन सुविधा" खेलकूद से संबंधित गतिविधियाँ / स्टेडियम, एवं समस्त प्रकार के भड़ारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे। 1- "सूचना प्रौद्योगिकी" से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें। 2- "गैर प्रदूषणकारी उद्योग" से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। 3- "कृषि पर्यटन सुविधा" से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम

		<p>17(क) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं 'गैर प्रदूषणकारी उदयोग के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।</p>
7	<p><b>4.10 (फार्म हाउस बन आवास)</b></p> <p>विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है, इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भू-खण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा।</li> <li>2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।</li> <li>3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊँचाई 6.5 मीटर होगी।</li> <li>4. फार्म हाउस के भूखण्ड न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण कराना होगा, जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा।</li> <li>5. फार्म हाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिए सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुंच मार्ग उपलब्ध हो अथवा या क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।</li> <li>6. फार्म हाउस में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा। अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-</li> </ol> <p>अ. आवासीय/आच्छादित भवन का अग्र भाग फार्म हाउस बाड से कम से कम सेटबेक 15 मीटर रहेगा।</p> <p>ब. यदि फार्म हाउस पक्की सड़क पर स्थित हो तो ऐसी दशा में बाड से 22 मीटर का सेटबेक रखा</p>	<p><b>4.10 फार्म हाउस हेतु नियमन</b></p> <p>फार्म हाउस हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के अनुसार होंगे।</p>

	<p>जावेगा तथा ग्रामीण सड़क पर फार्म हाउस हो तो ऐसी दशा में ऐसे मार्ग के मध्य से 30 मीटर जगह खुली रखी जावे।</p> <p>स. फार्म हाउस यदि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित हो तो राष्ट्रीय मार्ग की सीमांत रेखा से 90 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा।</p> <p>द. जिन क्षेत्रों की ढलान जलाशय, नदी, पेयजल स्रोत, जल संग्रहण एवं जल वितरण केन्द्र की ओर हो, वहां उक्त से 5 मीटर तक फार्म हाउस प्रतिबंधित रहेंगे। यही शर्त प्राकृतिक ढलानों पर स्थित भूमि के लिए भी लागू मानी जावेगी।</p> <p>इ. फार्म हाउस के लिए पहुंच मार्ग कम से कम 13 मीटर का रहेगा किन्तु जब एक ही पहुंच मार्ग एक से अधिक फार्म हाउस के लिए उपयोग में हो तो पहुंच मार्ग की चैडाई कम से कम 18 मीटर होगी। पहुंच मार्ग का निर्माण संयुक्त प्रयासीय हो सकता है।</p> <p>फ. फार्म हाउस में भवनआच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संरचना तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेगी।</p> <p>ग. किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप फार्म हाउस के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।</p>
8.	<p><b>4.11 विकास/ निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया</b></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होगा -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।</li> <li>2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण : खसरा पंचसाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि का</li> </ol> <p><b>4.11 विकास/ निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया</b></p> <p>विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निर्धारित अनुसार होगी।</p>

<p><b>नामांतरण ।</b></p> <p>3. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू-सीमायें)</p> <p>4. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हों, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जावे ।</p> <p>5. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखंड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित ।</p> <p>6. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन ।</p> <p>7. 1:500/1000/2000 की माप पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्ढे, पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राइट आफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग। विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों से सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हों।</p> <p>8. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाते प्लान/मानचित्र ।</p> <p>9. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होंगे ।</p> <p>10. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।</p> <p>11. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन</p>	
--	--

	<p>द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना चाहिये।</p> <p>12. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें।</p> <p>13. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे।</p> <p>टीप - 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जावेगा।</p> <p>2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिये।</p>	
9	<p><b>4.12 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया</b></p> <p>म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3) के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र।</li> <li>2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के सभीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो।</li> </ol>	<p><b>4.12 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया</b></p> <p>विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति की प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 टिप्पणी 4 के अनुसार होगी।</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>3. अद्यतन खसरा पंचसाला एवं खसरा खतौनी।</p> <p>4. आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>5. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीयन प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो।</p> |
|--|---|

11.	5.7 योजना की व्याख्या	5.7 योजना की व्याख्या
	<p>3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियों जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग में परिभाषित नहीं हैं तथा स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में तथा तालिका 4-सा-18 एवं 4-सा-19 में नहीं हैं, उन गतिविधियों का भूमि उपयोग परिवर्तन के रूप में नहीं माना जावेगा।</p>	<p>3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियों जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में माने जावेंगे किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग की सूची में शामिल है वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।</p>

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownnplan.gov.in](http://www.mptownnplan.gov.in) वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

राहुल जैन, संचालक

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्रमांक 78-अ-82-17-18-1935

सागर, दिनांक 20 फरवरी 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनानांतर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनानांतर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

- |                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. जिला                     | : | सागर      |
| 2. तहसील                    | : | केसली     |
| 3. ग्राम                    | : | जनकपुर    |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 17        |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.930 है। |

**:: अनुसूची-1 ::**

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा है.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	मलखान वल्द महराज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	210	0.320	0.030	
2	विन्द्रावन वल्द घुरके साकिन भजिया	भूमिस्वामी	214/1	1.870	0.080	
3	बालकिशन वल्द झल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	197	1.090	0.090	
		भूमिस्वामी	214/2	0.450	0.040	
4	काशीबाई पुत्री हल्काई साकिन महका	भूमिस्वामी	300/1	0.660	0.040	
		भूमिस्वामी	214/4	0.690	0.120	
5	चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	24/1	0.400	0.040	
6	भगुन्ती वल्द परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	110	0.830	0.050	
7	वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	179/5	0.030	0.030	
8	गोलू वल्द चन्द्रभान साकिन डोमा	भूमिस्वामी	179/6	0.400	0.030	
9	सत्यनामसींग वल्द महराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	187	1.670	0.070	
10	मानवती पुत्री भगवतशरण लोधी साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	202	0.640	0.060	
11	दीनदयाल विक्रम पिता मोतीलाल द्वोपती पुत्री मोतीलाल मायारानी वेवा मोतीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	228/1	0.220	0.020	
12	रेवाराम गुलाब बाली पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	262/2	0.890	0.070	
13	संतोषरामी अमोलसींग पिता शेवसींग, रामकली, श्यामबाई कृष्णबाई प्रीतीबाई पुत्री शेवसींग राजाधर कमलेख रुपनारायण नेवन्द्र धरमबाई सविता भगवती पिता लक्ष्मन रामरानी वेवा शेवसींग मिहरबान रविशंकर पिता भगवानसींग देववती पुत्री भगवानसींग चन्द्रासानी वेवा	भूमिस्वामी	263	1.630	0.120	

	भगवानसींग देवेन्द्र नीलेश दीपक रवेन्द्र पिता अर्जुनसींग रजनी कल्यान रश्मि पुत्री अर्जुनसींग प्रकाशरानी वेवा अर्जुनसींग साकिन देह					
14	नाथूराम गजराज रामसेवक पिता घारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	303	0.410	0.030	
15	नाथूराम गजराज रामसेव पिता घारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	308/1	1.780	0.010	
	योग:-		17	13.980	0.930	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 द्वारा उन्नीसों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 79-अ-82-17-18-1934

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईंनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परस्तुक अनुसार ऐसी रिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं। भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईंनर नहर निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
     1. जिला : सागर  
     2. तहसील : देवरी  
     3. ग्राम : बैनी पिपरिया  
     4. पट.ह.न.- : 09  
     5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.033 है।

### :: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुले रकवा हेटे. में	अर्जित भूमि (रकबा हेमें)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	भुवानी वल्द हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	164	0.460	0.059	
2	प्रहलाद वल्द हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	185	0.310	0.047	
3	थोवन छोटे पिता मुरलीधर, पुरखबाई पुत्री मुरलीधर, कनई परसोत्तम पिता निजाम, श्यामबाई ताराबाई भागबाई पुत्री निजाम सदारानी वेवा निजाम शंकर रंगवीर रूपसींग पिता निरंजन शीलरानी वेवा घनश्याम	भूमिस्वामी	186	0.100	0.017	
4	पंचमसींग वल्द रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	66/1	0.200	0.018	
5	हरिराम रामकुमार प्रभु पंचम पिता रामदयाल पिंडा कृष्णा द्वोपती पुत्री रामदयाल सियारानी वेवा रामदयाल सा. देह	भूमिस्वामी	65	0.380	0.018	
6	देवीसींग वल्द हरीराम चैनसींग वल्द रामकुमार पंचम वल्द रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	226	0.500	0.062	
7	इस्लाम वल्द धन्नू खां साकिन देह	भूमिस्वामी	232	0.190	0.057	
		भूमिस्वामी	69	0.810	0.096	
		भूमिस्वामी	225	0.510	0.032	
		भूमिस्वामी	72	2.750	0.096	
		भूमिस्वामी	229	0.760	0.064	
		भूमिस्वामी	234/1	0.490	0.029	

<b>8</b>	श्री देव राधाकृष्णजी मंदिर मढ़ी जमुनिया मुह. नन्ह प्रबंधक जिलाधीश महोदय सागर	भूमिस्वामी	<b>235</b>	<b>0.490</b>	<b>0.084</b>	
<b>9</b>	केशरबाई जोजे यशवंत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>236</b>	<b>0.270</b>	<b>0.054</b>	
<b>10</b>	निर्भयसींग नारायण सींग, कमलेश पिता जयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>252</b>	<b>2.840</b>	<b>0.207</b>	
<b>11</b>	बबू वल्द बल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>242</b>	<b>0.300</b>	<b>0.042</b>	
<b>12</b>	हरगोविन्द, रामकुमार, रामक्रेश वल्द सुन्दर साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>243</b>	<b>0.930</b>	<b>0.036</b>	
<b>13</b>	भगवानसींग वल्द हल्काई साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>86</b>	<b>0.710</b>	<b>0.141</b>	
<b>14</b>	महराजसींग वल्द हल्काई साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>112/1</b>	<b>1.100</b>	<b>0.008</b>	
		भूमिस्वामी	<b>87</b>	<b>0.580</b>	<b>0.098</b>	
<b>15</b>	सीताराम वल्द राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>78</b>	<b>0.530</b>	<b>0.069</b>	
<b>16</b>	सोनाबाई वेवा लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>76</b>	<b>1.310</b>	<b>0.047</b>	
<b>17</b>	दयाराम वल्द बोदन साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>68</b>	<b>2.500</b>	<b>0.158</b>	
<b>18</b>	देवीसींग वल्द दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>67/1</b>	<b>0.340</b>	<b>0.093</b>	
<b>19</b>	देवीसींग वल्द दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>66/2</b>	<b>0.530</b>	<b>0.029</b>	
<b>20</b>	देवीसींग वल्द दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>67/2</b>	<b>0.240</b>	<b>0.046</b>	
<b>21</b>	रूपसींग वल्द लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>64/2</b>	<b>0.820</b>	<b>0.018</b>	
<b>22</b>	हल्के वल्द लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>64/1</b>	<b>0.800</b>	<b>0.018</b>	
<b>23</b>	श्रीसींग वल्द जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	<b>234/2</b>	<b>0.490</b>	<b>0.028</b>	
<b>योग:-</b>			<b>31</b>	<b>26.06</b>	<b>2.033</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-रात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशनुसार कार्यवाही करते हुये निधरित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 82-अ-82-17-18-1931

चूंकि समुचित सरकार को कह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनातार्गत खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री मार्झनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रभागित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण राज्याधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक राज्याधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपरांत (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	सोनपुर मध्यम परियोजनातार्गत खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री मार्झनर नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	देवरी
3. ग्राम	:	मढ़ी जमुनिया
4. पट.ह.नं.-	:	09
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.392 है।

### :: अनुसूची-1 ::

संक्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टेर में	अर्जित भूमि (रकवा ह.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	केदार सिंह पिता पूरन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	306	2.830	0.139	
		भूमिस्वामी	307	2.840	0.003	
		भूमिस्वामी	271	2.350	0.125	
		भूमिस्वामी	270	0.220	0.009	
2.	श्री देव जानकीरमण बाके शाला देह मुह. शारदाराव मधुकरराव अनिलराव प्रभातराव प्रशांतराव पिता विनायकराव निर्मला वेवा विनायकराव साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	311/1	7.940	0.001	
3.	उदयभान वल्द वल्देव प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	314	6.200	0.303	
4.	चित्तर सींग वल्द मलखान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	276	2.180	0.129	
5.	सुमतरानी वेवा सुन्दरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	253	1.870	0.108	
6.	आंकार वल्द गुबन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	246	0.770	0.027	
		भूमिस्वामी	245/1	0.930		
		भूमिस्वामी	245/2	0.250	0.089	
7.	वन्द्रभान पिता गुबदी साकिन देह	भूमिस्वामी	244	1.150	0.043	
8.	इमरत भगतरीम भोपालरीम नक्का पिता भावरीग रा. देह	भूमिस्वामी	240/1	2.530	0.164	
		भूमिस्वामी	240/2	0.800		

9.	नेतराम वल्ड यू-दरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	240/3	0.100		
10.	राज्यपाल नाबगेलिंग वल्ड केदार वल्ली जपकरणी वेवा पुरनरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	239	0.940	0.138	
11.	अवरामी वेवा करनरसींग उदयमान वल्ड करनरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	258	3.660	0.018	
12.	सीताराम वल्ड वैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	238/2	0.880	0.024	
13.	वलोराम वल्ड वैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	238/3	0.940		
14.	गुलावरामी वल्ड झामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	130/1	0.200		
15.	जगतरसींग वल्ड वैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	130/2	0.200	0.170	
16.	यशवंत वल्ड झामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	130/4	0.610		
17.	परषोत्तम वल्ड वैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	130/3	0.200	0.036	
18.	मलखान वल्ड वल्देव साकिन देह	भूमिस्वामी	129	0.800		
19.	हल्लेभाई वल्ड मलखान साकिन देह	भूमिस्वामी	131/1	0.140		
20.	रम्मू वल्ड मलखान साकिन देह	भूमिस्वामी	131/2	0.520	0.158	
21.	सरमन वल्ड मलखान साकिन देह	भूमिस्वामी	131/3	0.520		
22.	पीयुष कुमार वल्ड प्रभातराव साकिन देह	भूमिस्वामी	131/4	0.720		
23.	विजयसींग, बहादुरसींग, भरतसींग पिता मलखानसींग, रामदुलारी वेवा मलखानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	132	0.510	0.071	
24.	अशोक कुमार राजू राजेश कुमार भरतलाल हनुमत वल्ड गजाधर भरतसींग पिता मलखान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	111/1	0.130		
25.	शिवराजसींग वल्ड लखनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	111/2	0.200		
26.	जिनेन्द्र कुमार वल्ड रतनचंद साकिन गौरज्ञामर	भूमिस्वामी	111/3	0.400	0.128	
27.	जिनेन्द्र कुमार वल्ड रतनचंद साकिन गौरज्ञामर	भूमिस्वामी	111/4	0.200		
28.	भरतसींग वल्ड मलखान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	111/5	0.200		
29.	भरत वल्ड लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	111/6	0.320		
30.	अशोक कुमार, राजू, राजेश कुमार, भरतलाल, हनुमत भरतसींग पिता मलखान सिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	112	0.200	0.037	
31.	जगदीश वल्ड झालकन साकिन देह	भूमिस्वामी	114/1	0.850	0.066	
32.	भरतसींग वल्ड मलखानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	114/2	0.400		
33.	लखन वल्ड तरवर, शिवराजसींग, भरतसींग वल्ड लखन, सुब्बी, जानकी, शारदा पुत्री तरवर साकिन देह	भूमिस्वामी	21/1	0.940	0.003	
34.	कमलाबाई जोजे लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	21/2	0.800		
35.	परमलाल वल्ड तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	27/1	0.860	0.163	
		भूमिस्वामी	27/2	0.390		
36.	श्रीदेव राधाकृष्णजी मंदिर बहेरिया कला मुह. धीरतसींग, छतरसींग, सरभनसींग खिलान, दामोदरसींग प्रबंधक कलेक्टर महोदय, सागर साकिन गौरज्ञामर	भूमिस्वामी	32	1.840	0.106	
37.	नहेभाई, हाकम, सुन्दर, संग्राम पिता घसीटे, कृष्णा, गुलाबबाई, अहिल्या, कौशिल्या पुत्री घसीटे, डेलनसींग, छुट्टन पिता सीताराम, उमाबाई, गुड्डीबाई पुत्री सीताराम, गोराबाई वेवा सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	31	0.740	0.076	
38.	वैजनाथ पिता भीकम साकिन बहेरिया कलां	भूमिस्वामी	54	0.740	0.055	
	योग:-		48	63.33	2.392	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये आदेशित किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 25 भौपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य देश राजपत्र दिनोंक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशित किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (८) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनेक्षम श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशनुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सुजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के सामग्र (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

### क्रमांक 84-अ-82-17-18-1929

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनात्मक माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के सली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधान निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इरा आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनात्मक माइनर नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : केसली
3. ग्राम : रामखेड़ी
4. पट.ह.नं.- : 23
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.920 है।

### :: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रक्कड़े हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रक्कड़ा हेंडे)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नरेंद्र पिता हनमत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	113	1.160	0.020	
2	लक्ष्मीकांत पिता प्रेमनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	114/3	0.820	0.090	
3	हन्दी, गजाधर, करनसींग, प्रभुशालकराम छोटेलाल पिता शेवलाल राजारामी वेवा शेवलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	145	2.960	0.180	
4	शशिबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देवरी	भूमिस्वामी	157	1.760	0.010	
5	कुन्दी, प्यारेलाल पिता नन्हा, भगवानदास पिता हल्के, गुलाबरानी वेवा हल्के, चूरामन, रेवाराम, परबोत्तम पिता राजाराम, परवती वेवा राजाराम, सुमन, दुर्गाबाई पुत्री राजाराम, जगदीश पिता जगमोहन साकिन रामखेड़ी शशिबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देवरी	भूमिस्वामी	168/1	3.830	0.230	
6	कोमलसींग, विमलसींग पिता फुन्दी, उमाशंकर, संतोषकुमार नाबालिंग वल्द व वली प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	168/2	1.740	0.140	
7	भगवतशरण पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	185	0.330	0.080	

8	हल्लू पिता खिलानसींग, बैजनाथ पिता हरप्रसाद, कौशल पिता इंदुरसींग, दोपतीबाई जोजे इंदुरसींग, बाबूलाल पिता ननकी रामखिलान बलराम पिता मौजीलाल, कमलरानी वेवा गनेश प्रसाद, केशवप्रसाद बबली संघ्या नाबालिंग पिता गनेश वली व खुद कमलरानी वेवा गनेशप्रसाद, कृष्णकांत रामगोपाल पिता रामसेवक, सुनील नाबालिंग पिता रामसेवक पालक भाई कृष्णकांत किरनबाई पिता रामसेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	202	0.330	0.020	
9	हल्लू पिता खिलान सींग, बैजनाथ पिता हरप्रसाद, कौशल वल्द इंदुर सींग, दोपतीबाई जोजे इंदुरसींग, बाबूलाल पिता ननकी, रामखिलान, बलराम पिता मौजीलाल, कमलरानी वेवा गनेश प्रसाद, केशवप्रसाद, बबली संघ्या नाबालिंग पिता गनेशप्रसाद वली व माँ खुद कमलरानी वेवा गनेशप्रसाद कृष्णकांत रामगोपाल वालिंग पिता रामसेवक सुनील नाबालिंग पालक भाई कृष्णकांत किरनबाई पिता रामसेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	183/1	1.080	0.150	
<b>योग:-</b>			<b>09</b>	<b>14.010</b>	<b>0.920</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साढ़े) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (एलान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 85-अ-82-17-18-1938

चैंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत समनापुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के प्रत्युत्कु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत रामनापुर मायनर नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	केसली
3. ग्राम	:	समनापुर
4. पट.ह.नं.-	:	20
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.230 है.

### :: अनुसूची-1 ::

संक्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टे. में	अर्जित भूमि (रकवा हैमें)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रजनीकांत पिता उमाशंकर चौबे साकिन केसली	भूमिस्वामी	134	1.020	0.130	
2	दयाशंकर वल्द महादेव प्रसाद चौबे साकिन केसली	भूमिस्वामी	135/2	1.780	0.080	
3	उमाशंकर पिता महादेव प्रसाद चौबे साकिन केसली	भूमिस्वामी	132/3	1.750	0.250	
4	कृष्ण कुमार वल्द मोहन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	148/2	0.740	0.090	
			5/2	1.500	0.170	
5	मोहनसींग वल्द शंकर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	158/3	0.850	0.120	
6	जनकरानी जोजे मोहनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	159/1	1.240	0.050	
7	भगवानसींग वल्द मोहनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	160	0.850	0.070	
		भूमिस्वामी	161/1	1.110	0.100	
8	दीपेन्द्र, भूपेन्द्र पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	162	1.37	0.050	
9	रघुराज सिंह, मनोहर सिंह, हाकमसींग, लखनसिंह, राजसींग, प्रतापसींग पिता खिलान सींग, भागवति, सविता मुझी-खिलान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	174/1	1.090	0.040	
10	अभयसींग पिता विजयसींग, शीलरानी वेवा विजय सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	174/3	0.540	0.100	
11	सोमपाल पिता मुन्नालाल साकिन गुटौरीपाना	भूमिस्वामी	211/3	1.250	0.060	

12	नारान पिता रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	212/1	1.260	0.040
13	शोभाशाम, बाबूलाल पिता हजारी, कस्तूरीबाई, दशोदाबाई पुत्री हजारी साकिन देह	भूमिस्वामी	213	1.170	0.160
14	गोदन, कलू पिता भावसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	214	0.960	0.140
15	रमाकांत पिता शारदा प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	223/1	1.720	0.120
		भूमिस्वामी	223/2	1.600	0.110
16	मोहनसींग पिता शंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	5/1	1.510	0.090
17	बैजनाथ पिता बाबूलाल साकिन उदयपुर	भूमिस्वामी	7/1	2.220	0.080
18	कैलाश पिता बाबूलाल साकिन उदयपुर	भूमिस्वामी	7/2	2.000	0.170
19	जितेन्द्र पिता जगदीश साकिन उदयपुर	भूमिस्वामी	7/3	0.930	0.010
योग:-			22	28.460	2.230

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुभोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सूजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 41-अ-82-17-18-7197

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं रथाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण  
     1. जिला : सागर  
     2. तहसील : केसली  
     3. ग्राम : जैतपुर  
     4. पट.ह.नं.- : 21  
     5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.970 है।

सं. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण	भूमि पर स्थित रथावर परिसंपत्तियों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुभान खां, करीम खां, रहीम खां, मुन्ना खां, रसीद खां पिता शेखलाल बल्ली पुत्र शेखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	13	2.050	0.000	0.170	निरंक
2	राजेश कुमार वल्द परशोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	20/1	0.900	0.180	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	42/1	0.370	0.170	0.000	निरंक
3	आशुतोष नाबालिंग वल्द राजेश वली बब्बा परशोत्तम वल्द बाबूलाल सा. देह	भूमिस्वामी	21/1	0.300	0.050	0.000	निरंक
4	रत्नू वल्द धनर्सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	27/2	1.600	0.220	0.000	निरंक
5	प्रेमरानी जोजे रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	28/2	1.610	0.000	0.190	निरंक
6	संतोष वल्द विपतू महरानी वेवा विपतू सा. देह	भूमिस्वामी	34	0.790	0.000	0.050	निरंक
7	हरिशंकर, आनंद कुमार वल्द रामा सा. देह	भूमिस्वामी	145	0.810	0.000	0.120	निरंक
8	महेश, महेन्द्र, शीलचंद, जिनेश, हरेश कुमार, छोटेलाल पिता गुलझारीलाल, कुसुमरानी वेवा गुलझारीलाल, ममता, सुधा पुत्री गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	146/1	0.940	0.150	0.000	निरंक
9	महेश, महेन्द्र पिता गुलझारीलाल सा. देह	भूमिस्वामी	146/2	0.900	0.100	0.000	निरंक
10	जिनेश कुमार वल्द गुलझारी साकिन देह	भूमिस्वामी	146/5	0.410	0.050	0.000	निरंक
11	केशव पिता काशीराम साकिन डोमा	भूमिस्वामी	146/4	0.360	0.000	0.070	निरंक

	मुभम वल्द शिवकुमार, सीमा वेवा शिवकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	159/2	0.890	0.000	0.120	निरंक
4	राम वल्द हल्कू साकिन देह रामकुमार, रामभिलन, रामनरेश, रामकृष्णा बालिग सत्य, गोविन्द, अशोक कुमार, श्रीराम पिता राधेश्याम, प्रेमरानी वेवा राधेश्याम साकिन देह	भूमिस्वामी	279	1.970	0.200	0.000	निरंक
15	सुदामा पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	281/1	0.200	0.000	0.040	निरंक
16	चन्द्रभान सिंह पिता रामस्वरूप साकिन देह	भूमिस्वामी	283/2	0.470	0.210	0.000	निरंक
17	थम्मन वल्द हीरालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	293/5	0.040	0.010	0.000	निरंक
18	रमाकांत पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	294/1	0.550	0.060	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	295/1	0.800	0.010	0.000	निरंक
19	गनेश प्रसाद वल्द रामप्रसाद साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	355/1	0.450	0.000	0.080	निरंक
20	भगवानसींग, बलराम वल्द सूरतसींग साकिन देहयुवा	भूमिस्वामी	355/2	0.490	0.040	0.000	निरंक
21	सूरतसींग वल्द गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	356/1	1.560	0.160	0.000	निरंक
22	श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मौजा देह मुह. देवकीनन्दन, विश्वनाथ पिता रामसहाय, रामस्वरूप पिता परसादी, सुखराम पिता देवकरन, रामनरेश पिता भगवतशरण, अशीष पिता रमेश प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	16	5.930	0.000	0.470	निरंक
योग:-				13	24.770	1.610	1.360

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक.....6/8/18.. को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 42-अ-82-17-18-7194

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत नहर निर्माण

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	केसली
3. ग्राम	:	डोमा
4. पट.ह.नं.-	:	21
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.910 है।

संक्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खूबसींग पिता टुण्डे साकिन देह	भूमिस्वामी	400	0.660	0.110	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	348	0.240	0.020	0.000	निरंक
2	छोटेलाल भैयाजी, होतीलाल, प्रभु पिता सिग्राम सा. देह	भूमिस्वामी	349	0.280	0.090	0.000	निरंक
3	सोहन वल्द बहादुर साकिन देह	भूमिस्वामी	335/1	0.300	0.040	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	336/1	0.210	0.010	0.000	निरंक
4	तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	335/2	0.300	0.030	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	336/2	0.210	0.030	0.000	निरंक
5	भैयाजी पिता सिग्राम सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	331/1	0.360	0.050	0.000	निरंक
6	होतीलाल पिता सिग्राम सींग सा. देह	भूमिस्वामी	331/2	0.360	0.060	0.000	निरंक
7	कुसुमरानी जोजे पूरनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	327/2	0.500	0.070	0.000	निरंक
8	दीनदयाल वल्द लक्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	327/3	0.470	0.070	0.000	निरंक
9	अनुराधा पति मोहन सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	325/6	0.200	0.000	0.060	निरंक
10	रामनाथ पिता खुमान साकिन देह	भूमिस्वामी	323/2	0.470	0.020	0.000	निरंक

11	परसराम वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	312/1	0.200	0.000	0.070	निरंक
12	घनश्याम नाबालिंग वल्द व वली मोतीलाल वल्द उदयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	312/2	0.400	0.060	0.000	निरंक
13	मनोहर पिता खरगराम साकिन देह	भूमिस्वामी	312/5	0.220	0.010	0.000	निरंक
14	लवकुश नाबालिंग वल्द हाकम वली आजी कुसुमरानी साकिन देह	भूमिस्वामी	196/482/1	1.000	0.080	0.000	निरंक
15	हाकम वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	196/482/3	1.400	0.100	0.000	निरंक
16	धरमदास, ग्याप्रसाद, सुनील कुमार पिता जगदीश सा. देह	भूमिस्वामी	202/3	1.210	0.080	0.000	निरंक
17	अजित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, जीवन, शीतलचंद पिता हुकमचंद, जैन्तीबाई, सुलोचना, चंदाबाई कमल, श्रीरजनी, सुषमा पिता हुकमचंद, गेंदाबाई वेवा हुकमचंद, प्रेमचंद, ताराचंद, उत्तमचंद, भागचंद वल्द पन्नालाल सा. जैतपुर	भूमिस्वामी	200/1	3.140	0.270	0.000	निरंक
18	सीताराम बक्ते, मूरत, दलीप, वनदेवी पुत्री गुलाब, सुहागरानी वेवा गुलाब सा. देह	भूमिस्वामी	117	2.020	0.020	0.000	निरंक
19	गोकल, रामअवतार पिता मकुन्दी, सरसवती, शांतिबाई, नन्हीबाई, राजकुमारी पुत्री मकुन्दी, बृजरानी वेवा मकुन्दी साकिन जैतपुर भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	119	0.590	0.050	0.000	निरंक
20	बलवंतसींग, मोहनसींग, गजराजसींग, पूरनसंग, काशीराम पिता फूलसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	396	0.030	0.000	0.010	निरंक
21	पूरन, मुन्ना, दशरथ पिता शोभाराम, दिनेश वल्द भागीरथ, पार्वती, ममता, सीमा वती नाबालिंग पिता भागीरथ वली माँ व खुद सुमतरानी वेवा भागीरथ साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	444 330 334	3.360 1.680 0.390	0.220 0.070 0.030	0.000 0.000 0.000	निरंक निरंक निरंक
22	महेश, श्यामलाल पिता सीताराम, रानी वेवा सीताराम, पार्वती पुत्री सीताराम सा. देह	भूमिस्वामी	352/3	0.610	0.060	0.000	निरंक
23	शिवदयाल, रामक्रेश पिता खूबसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	355/1	0.300	0.030	0.000	निरंक
24	जगदीश पिता निरपत साकिन देह	भूमिस्वामी	202/1	2.220	0.090	0.000	निरंक
योग:-			29	23.330	1.770	0.140	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक.....6/8/18..... को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से

या अधिकृता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 59-अ-82-17-18-7198

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत नहर निर्माण

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	: सागर
2. तहसील	: केसली
3. ग्राम	: बमर्नी
4. पट.ह.नं.-	: 15
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 1.500 है

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिवित	असिवित	
1	राजकुमार पिता नारायण सींग, भगवतसींग पिता तुलसीराम माखन पिता तखतसींग सा. देह	भूमिस्वामी	374/1	1.080	0.160	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	374/3	0.310	0.040	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	374/4	0.080	0.040	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	377	1.120	0.220	0.000	निरंक
2	रामनाथ पिता नारायण सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	386/1	0.990	0.080	0.000	निरंक
3	तुलसीराम पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/2	1.860	0.170	0.000	निरंक
4	तखत सींग पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/3	1.780	0.170	0.000	निरंक
5	राजकुमार पिता नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	386/4	0.990	0.080	0.000	निरंक
6	सियारानी वेवा काशीराम, पारवती पुत्री काशीराम, दैजनाथ वल्द गजराज, प्रहलाद पिता बैजनाथ, शंकर, जयराम, शेवदयाल, गोविन्द, मीराबाई, कलंलोबाई पिता मिहरापसींग, बलराम पिता खिलान, सुखरानी वेवा खिलान, दुरगसींग पिता धोकलसींग, रूपरानी वेवा धोकलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	373	0.310	0.000	0.140	निरंक

7	भूदानी, परमलाल, मुना पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	374/2	0.960	0.000	0.160	निरंक
8	दलपा, द्वारका, दिल्ला, बन्दू पिता उमराई, शांतिबाई, गुड़डीबाई पिता उमराई सा. देह	भूमिस्वामी	614/1	0.290	0.000	0.100	निरंक
9	कैलाश पिता विन्द्रावन साकिन देह	भूमिस्वामी	649/1	0.220	0.000	0.060	निरंक
		भूमिस्वामी	649/2	0.230	0.000	0.060	निरंक
10	काशीराम वल्द मोहन, तुलसीराम, नथीबाई पिता तुलसीराम, शिवप्रसाद, सुन्दर पिता कन्छेदी, जयराम, दयाली पिता उदयराम, कुंवरबाई, पानबाई पिता उदयराम, वली माँ व खुद फूलरानी वेवा उदयराम, बलियाबाई, गणेशी, मथुरा पिता दिबई, चित्तर, दुरजन, मुना पिता शिवप्रसाद, जगरानी वेवा शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	672	0.920	0.000	0.020	निरंक
योग:-			14	11.140	0.960	0.540	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक.....6/8/18..... को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मार्पों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 62-अ-82-17-18-7195

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधेकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनातात्परत नहर निर्माण

## (2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	देवरी
3. ग्राम	:	घोषीपट्टी
4. पट.ह.न.-	:	04
5. अर्जित भमि का क्षेत्रफल	:	0.834 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :		0.834 5.					
सं. क्र.	मू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8

बांधी मुख्य नहर की शाखा (गौरज्ञामर) नहर

1	राम पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	140/1	1.680	0.115	0.000	निरंक
2	राजेन्द्र पिता रणछोड़ी रोशनी प्रियंका पुत्री रणछोड़ी साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	140/2	0.530	0.000	0.070	निरंक
3	गोकल, धरमू, घनश्याम दुर्जन, रामदयाल पिता मोहन, दशोदा पुत्री मोहन, बबलू महेन्द्र पिता फूलसींग ललता वेवा फूलसींग मनोज, अमोल दम्मू धीरज पिता मुन्ना घसीटीबाई वेवा मुन्ना अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	141	1.500	0.165	0.000	आम-2 बेरी-1 बिही-1 घेवला-1
6	संतोष नाबालिंग वल्द वली गोकल सिंह साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	183/3	0.600	0.000	0.021	निरंक
8	संजय कुमार वल्द शंकरलाल साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	182/1	0.800	0.000	0.040	निरंक
9	अनिल कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	182/2	0.810	0.053	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	186/2	0.850	0.050	0.000	निरंक
11	विनोद कुमार, अजित कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	187	1.660	0.100	0.000	निरंक

चौपड़ा मायनर नहर								
12	सुधीर कुमार वल्ड गोकलचंद साकिन गौरज्ञामर	भूमिस्वामी	213/3	1.6	0.12	0.000	निरंक	
13	कुन्दनसींग वल्ड गुलाबसींग साकि न गौरज्ञामर		भूमिस्वामी	216/1	0.25	0.04	0.000	निरंक
	योग:-		भूमिस्वामी	217	0.46	0.06	0.000	निरंक
				11	10.7	0.703	0.131	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 6/४/२०१४ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 125-अ-82-17-18-7201

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत पटनाबुजुर्ग माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत पटनाबुजुर्ग माईनर नहर निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
   1. जिला : सागर  
   2. तहसील : रहली  
   3. ग्राम : पटना बुजुर्ग  
   4. पट.ह.नं.- : 12  
   5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.174 है।

## :: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. मे	अर्जित भूमि (रकवा हे.मे)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	रणधीर सिंह पिता रामनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	283	0.830	0.012	
2	कुंवरसींग वल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	290/1	0.400		
3	प्रेमसिंह पिता महराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	290/2	0.690	0.114	
4	जवाहर पिता रामनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	290/3	0.450		
5	कृष्णपाल पिता कुंवर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	290/4	0.800		
6	बहादुर पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	282/1	3.200		
7	शिवराज पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	282/2	3.200	0.246	
8	कमलेश, बृजेन्द्र पिता इन्दुर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	282/3	0.400		
9	रघुराज सींग वल्द भैयाराम, मालतीबाई पति रघुराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	295	3.180	0.132	
10	नेकसींग पिता रामनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	310	0.840	0.072	
		भूमिस्वामी	311/1	0.370		
11	रघुराज सिंह वल्द भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	311/2	0.340	0.072	
12	नेकसींग पिता रामनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	309/1	1.420	0.054	
13	जवाहर पिता रामनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	309/2	1.160		
14	विशनबाई पति राजाराम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	314	0.810	0.093	
15	लक्ष्मनसींग पिता नथूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	307	2.310	0.108	
16	राजकुमार पिता प्रताप सिंह साकिन सहरी	भूमिस्वामी	315/1	1.710		
17	संदीप सिंह पिता प्रताप सिंह साकिन सहरी	भूमिस्वामी	315/2	0.480	0.072	
18	गुड्डू वल्द नबू साकिन रामपुर	भूमिस्वामी	306	1.700	0.028	
19	संदीप सिंह पिता प्रताप सिंह साकिन सहरी	भूमिस्वामी	316	1.240	0.099	
20	रघुवीर सिंह पिता गुलाब सिंह साकिन सहरी	भूमिस्वामी	317	0.910	0.072	
योग:-			21	26.440	1.174	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए घोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए घोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन। और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित राहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (राठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 126-अ-82-17-18-7203

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांधी मुख्य नहर की शाखा नहर टेल माईनर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की समावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम

: सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांधी मुख्य नहर की शाखा नहर टेल माईनर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	रहली
3. ग्राम	:	पाटई
4. पट.ह.न.-	:	11
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	3.001 है।

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टेर में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	चंदन सिंह वल्द रामसींग साकिन पर्का	भूमिस्वामी	763	0.290	0.010	
2	बुदू वल्द परमानंद साकिन बहेरिया कला	भूमिस्वामी	765	0.460	0.100	
3	भेयाराम पिता बुद्दे साकिन बहेरिया	भूमिस्वामी	766	0.200	0.050	
4	महेन्द्र सिंह पिता शालकराम साकिन अचलपुर	भूमिस्वामी	767	0.550	0.060	
5	महेन्द्र सिंह पिता शालकराम साकिन अचलपुर	भूमिस्वामी	769/2	0.160	0.100	
6	प्रहलाद सिंह पिता प्रताप सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	769/3	0.350	0.030	
7	गोविन्द सिंह, रूपनरायण, रामनरायण पिता भगवान सिंह साकिन पर्का	भूमिस्वामी	769/1	0.290	0.070	
योग:-			07	2.300	0.420	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए गोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अग्रिम श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 मेंसका। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सूचित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षण यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 127-अ-82-17-18-7202

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांधी मुख्य नहर की शाखा नहर (पटनाबुजुर्ग) माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की समावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 हैं भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांधी मुख्य नहर की शाखा नहर (पटनाबुजुर्ग) माईनर नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	रहली
3. ग्राम	:	सेहरी
4. पट.ह.न.-	:	12
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.851 है।

### :: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टेर में	अर्जित भूमि (रकबा हे.मी)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीश पिता चरण सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	32/1	0.410		
2	सोहन वालिंग सौरभ संकेत नाबालिंग पिता रूपराह पालक भाई सोहन पिता रूपसिंह साकिन देह	भूगिरवामी	32/2	0.410	0.072	
3	जाहरसिंह पिता बदन सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	29	0.090	0.015	
4	श्री देव जानकी रमणजी बांके मौजा देह मुह बदन रिह पिता रतन सिंह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	168	3.700	0.180	

5	प्रीतम सिंह पिता प्रेमसिंह साकिन देह	भूगिरवामी	169/2	0.200	0.048	
6	कुआरसिंह पिता प्रहलाद सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	162/1	1.540	0.066	
7	बलराम पिता प्रहलाद सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	161/1	1.350	0.060	
8	शिवराज सिंह पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	161/2	0.200	0.015	
9	दरेगा सिंह पिता सीताराम साकिन देह	भूगिरवामी	170/1	1.180		
10	हाकम सिंह पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	170/2	0.200		
11	रघुवीर पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	170/3	0.200	0.096	
12	सज्जन सिंह पिता महराज सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	170/4	0.200		
13	रामराज सिंह पिता बलराम सिंह साकिन देह	भूगिरवामी	170/5	0.150		
14	रागवीर सिंह, रामविहारी, रघुराज, राजकुमार पिता महराज सिंह सुमन पालक व खुद माँ सुशीलाबाई वेवा रघुराज साकिन देह	भूगिरवामी	217	1.620	0.060	
15	गंधर्वसिंह पिता रामसिंह साकिन देह	भूगिस्वामी	216/1	0.500		
		भूमिस्वामी	216/3	0.330	0.072	
16	रामकेश पिता रामसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	216/2	0.500		
		भूमिस्वामी	216/4	0.180		
17	शिवराज सिंह पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	215	1.050	0.017	
18	रघुवीर पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	183	1.030	0.150	
योग:-			20	15.040	0.851	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 52-अ-82-17-18-7506

सागर, दिनांक 10 जुलाई 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : जमदर्दा जलाशय योजनानांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

- |                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. जिला                     | : | सागर         |
| 2. तहसील                    | : | गढ़ाकोटा     |
| 3. ग्राम                    | : | जरिया खिरिया |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 19           |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 1.00 है।     |

सं. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रवेशरानी पति डालचंद साकिन परसोरिया	भूमिस्वामी	10/1	1.99	1.00	0	कुआं-1

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १३/५/१५ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यवितगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 97-अ-82-17-18-7510

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1)	परियोजना का नाम	:	<b>मगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण</b>
(2)	भूमि का विवरण—		
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	मगरौन
4.	पट.ह.नं.	:	106
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	3.714 हेक्टेर

::अनुसूची—1::

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रामजी उर्फ चंद्रिका प्रसाद	भूमिस्वामी	13	2.020	0.067	शून्य
2	बालमुकुन्द पिता लंटकन	भूमिस्वामी	27	1.820	0.133	शून्य
3	राधेश्याम, शंकरलाल, नंदराम पिता बाबूलाल, सिरदाररानी बेबा बाबूलाल सा. देवरी पथरिया	भूमिस्वामी	26	2.600	0.100	शून्य
4	भरत पिता बालमुकुन्द	भूमिस्वामी	50/5	1.420	0.100	शून्य
5	जयराम पिता परसराम	भूमिस्वामी	52/2	0.480	0.110	शून्य
6	सीताराम पिता परसराम	भूमिस्वामी	52/3	2.150	0.110	शून्य
7	वीरेन्द्र कुमार पिता देवेन्द्रकुमार	भूमिस्वामी	55	2.930	0.100	शून्य
8	सदारानी वेवा रामसींग	भूमिस्वामी	61/1	0.460	0.020	शून्य
9	ब्योमकेश वल्द वीरेन्द्र कुमार	भूमिस्वामी	61/2	0.800	0.020	शून्य
10	छत्रसाल सिंह पिता निरजसिंह	भूमिस्वामी	61/3	0.850	0.020	शून्य
11	रंजीत पिता रामसींग	भूमिस्वामी	61/4	0.890	0.030	शून्य
12	जयतीबाई पति संतोष कुमार	भूमिस्वामी	61/5	0.870	0.027	शून्य
			61/7	0.870	0.020	
13	बृजेश पिता बृजगोपाल	भूमिस्वामी	60	0.780	0.078	शून्य
14	महीपसींग, कलूसींग, प्रीतमसींग पिता जल्ले, प्रागबाई, शांतिबाई पुत्री खिलान, बृजरानी बेबा खिलान, हल्कीबाई	भूमिस्वामी	62	1.360	0.124	शून्य

	वेवा जल्ले					
15	मु.हाऊन मु.युनुस, मु.असलम, मु.पारख, मु. इकराम पिता इकबाल	भूमिस्वामी	289	1.050	0.060	शून्य
16	भगतराम, रामकली पिस. श्रीधर, अवधरानी, बेवा श्रीधर	भूमिस्वामी	290/1	0.090	0.010	शून्य
17	मु.0 अरिफ पिता हारून	भूमिस्वामी	290/2	0.680	0.019	शून्य
18	मु.0 यूनिस पिता इकबाल	भूमिस्वामी	290/3	0.970	0.019	शून्य
19	मु.हाऊन मु.युनुस मु.असलम, मु.पारख मु. इकराम पिता इकबाल	भूमिस्वामी	291	1.860	0.080	शून्य
20	रज्जूसींग,रामा,नहेमाई जगदीश पिसरान महाराज, किरन पु. महराज, दिवालसिंह बल्द हिम्मतसिंह	भूमिस्वामी	86	0.900	0.055	शून्य
21	मोहम्मद असलम पिता इकबाल	भूमिस्वामी	278	0.900	0.113	शून्य
22	राजेन्द्र बा. मिथुन, राकेश ना.बा. पिता रामावली माँ व खुद ममता बेबा रामा भूमिस्वामी अंजली ना.बा.पु. रामा बलि माँ ममता	भूमिस्वामी	272/1	0.860	0.017	शून्य
23	रमजान बल्द घस्सू	भूमिस्वामी	279	2.080	0.010	शून्य
24	सुरेन्द्र, सुरेश, भगवानदास विजय, सतीश पिता पूरनलाल, नन्हीबाई बेवा पूरनलाल	भूमिस्वामी	273	0.950	0.091	शून्य
25	कमला पुत्री फेरनसिंह	भूमिस्वामी	274	0.960	0.060	शून्य
26	सतीश पिता पन्नालाल	भूमिस्वामी	267	0.900	0.043	शून्य
			266	1.630	0.044	
			265	0.920	0.078	
27	हनुमत सिंह पिता रगराज	भूमिस्वामी	269/1	0.790	0.010	शून्य
28	राहुल पिता सतीश	भूमिस्वामी	269/2	0.400	0.016	शून्य
			269/3	0.280	0.016	
29	शोभारानी, बेबा प्रताप	भूमिस्वामी	251/1	0.520	0.016	शून्य
30	तुलसीराम बल्द तिमया उर्फ तमी	भूमिस्वामी	251/2	0.360	0.016	शून्य
31	शिवाजी पिता निरंजनसिंह	भूमिस्वामी	263/1	0.190	0.034	शून्य
32	नन्हूलाल पिता भुलई	भूमिस्वामी	254/2	0.950	0.040	शून्य
33	चित्तामन पिता मुलू	भूमिस्वामी	254/1	0.400	0.040	शून्य
34	राजेन्द्र पिता रामा	भूमिस्वामी	254/6 *	0.070	0.019	शून्य
35	रुपनारायण,कैलाश नारायण,उमाकांत पिता बलराम, सुमतरानी बेबा बलराम	भूमिस्वामी	253/1	0.500	0.144	शून्य
36	धीरज सींग पिता प्यारेलाल कनई पिता बोरेसींग	भूमिस्वामी	71	1.000	0.048	शून्य
37	रामरानी पति खिलानसींग जसवँस, कमलेश, रतन, भरत,पिता चित्तरसींग, गुड़डीबाई, उमाबाई पुत्री चित्तरसींग, राधारानी बेवा चित्तरसींग	भूमिस्वामी	72/1	0.960	0.046	शून्य
38	धीरज सींग पिता प्यारेलाल कनई पिता बोरेसींग कमलाबाई पुत्र बोरेसींग गुलाब नंदराम,मदन पिता टीकराम, हरीसींग पिता दुरग राजकुमार,रुपनारायण पिस रामप्रसाद हनुमत, अवधेश, पिता हीरा मु.प्रेमरानी बेवा हीरा रुपरानी, हरीसींग	भूमिस्वामी	301	0.420	0.052	शून्य
			302	0.640	0.021	
39	धीरज सींग पिता प्यारेलाल कनई पिता बोरेसींग कमलाबाई पुत्र बोरेसींग गुलाब नंदराम,मदन पिता टीकराम,हरीसींग पिता दुरग भगतसींग पिता गजराज सींग बैजनाथ पिता नोने मकुन्दी पिता नबू अरविन्द बल्द बृजगोपाल भीकम पिता प्रभानसींग	भूमिस्वामी	303	1.380	0.128	शून्य
			305	1.010	0.180	
			311	0.620	0.040	
40	भगोतीबाई,ताराबाई, हल्कीबाई, अहिल्याबाई, उर्मिलाबाई पुत्र राजाराम, मूरत पिता गुलाब लोधी,	भूमिस्वामी	457/1	1.590	0.050	शून्य
41	दुर्गाबाई बेवा रमाकांत सा.खैजरा उददेत भूमिस्वामी भगोतीबाई,ताराबाई, हल्कीबाई, अहिल्याबाई, उर्मिलाबाई पुत्री राजाराम पता.सा.खैजरा उददेत भूमिस्वामी मूरत पिता गुलाब लोधी पता देवरी पथरिया	भूमिस्वामी	457/2	0.400	0.030	शून्य

42	हल्कीबाई पति मोहन बाबू	भूमिस्वामी	457/3	0.600	0.040	शून्य
43	मुकेश ब. दशरथ कुर्मा जसवँस, कमलेश, रतन, भरत, पिता चित्तरसींग, गुड्डीबाई, उमाबाई पुत्री चित्तरसींग, राधारानी बेबा चित्तरसींग	भूमिस्वामी	457/4	0.770	0.040	शून्य
			457/5	0.630	0.040	
44	हरप्रसाद पिता ज्ञाप्रसाद शांतिकुमार विजयकुमार पि. दीपचंद	भूमिस्वामी	458/2	0.200	0.044	शून्य
			459	0.160	0.012	
45	जानकीसींग बल्द बिन्दे लोधी ओमकार प्रसाद पिता मोहनलाल	भूमिस्वामी	460/1	0.160	0.018	शून्य
			460/2	0.400	0.018	
46	अजबसिंह पिता अर्जुन, पता सा. देह भूमिस्वामी तेजसींग, हरबलसींग, भगवानसींग, देवेन्द्रसींग पिस. थानसींग, कल्लोबाई, नन्हीबाई, रामसखी, सूरजबाई, पु. थानसींग, रामरानी बेबा थानसींग	भूमिस्वामी	461/1	0.750	0.040	शून्य
47	हेमराज, चोखेलाल, मनीराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	461/2	0.740	0.040	शून्य
48	कैलाश पिता बलराम, सूर्यकांत, अभिषेक, अखिलेश पिता कैलश, रमारानी पत्नि कैलाश	भूमिस्वामी	440	2.890	0.156	शून्य
49	संतोष कुमार पिता छोटेलाल	भूमिस्वामी	439	0.280	0.060	शून्य
50	टीकाराम बल्द नन्हाराम	भूमिस्वामी	479	3.520	0.212	शून्य
51	मयंक बल्द मदनगोपाल	भूमिस्वामी	362/3	0.530	0.046	शून्य
52	करिया बखत पिसरान पूरन	भूमिस्वामी	361/1	0.370	0.030	शून्य
53	तिर्जई पि. छैकोड़ी, धन्नी, खुमान पिता दिब्बी, पार्वती पिता बेबा दिब्बी	भूमिस्वामी	363	0.510	0.088	शून्य
54	प्रमोद, राजेश, भूपेन्द्र पिसरान कृष्णकुमार, अर्चना पु. कृष्णकुमार सुधारानी बेबा कृष्णकुमार	भूमिस्वामी	361/2	0.030	0.030	शून्य
55	महेन्द्रप्रसाद, राधेश्याम पिता मुन्नालाल	भूमिस्वामी	366	2.120	0.096	शून्य
	कुलयोग:-		कुल 55 किता	62.19	3.714	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्वस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्वस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/8/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 49-अ-82-17-18-7511

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- |                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | : | बरौदा जलाशय निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण           |   |                     |
| 1. जिला                     | : | सागर                |
| 2. तहसील                    | : | सागर                |
| 3. ग्राम                    | : | बरौदा रहली          |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 113                 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 21.930 है           |

संक्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	द्रोपतीबाई वेवा वर्ली साकिन देह	भूमिस्वामी	708	1.120	1.120	0.000	कुआ-1
		भूमिस्वामी	710	1.020	1.020	0.000	नीबू-2 बरगद-1 कुआ-1 मकान कच्चा-1
2	पूरन पिता हल्के साकिन देह	भूमिस्वामी	709	1.020	0.000	1.020	सागौन-3
3	चन्दन सिंह पिता पूरन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	711	0.800	0.000	0.800	रेजा-1 बरगद-1 साज-2 सागौन-1 सेमर-1 टेंदू-2 रेजा-1 पीपल-1
4	फूलसिंह पिता जियालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	712	0.200	0.000	0.200	पीपल-1 रेजा-2 टेंदू-2
5	छुट्टी पिता किशोरी	भूमिस्वामी	813	1.600	0.000	0.520	सागौन-100 सागौन-73 करिया सेजा-5 रेजा-5
6	रामसुन्दरी राममणी पुत्री चन्द्रभान साकिन देह	भूमिस्वामी	814	0.320	0.000	0.320	आवला-1 साज-5 इमली-1 सागौन-97 पीपल-1 महुआ-2 गुरार-2 छेवला-10
7	जयराम सिंह पिता रज्जू सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	815	2.120	0.000	1.640	कोहा-4 रेजा-2 साज-5 सागौन-98 सेमर-1 पीपल-1

8	बलराम सिंह, लखन सिंह पिता कृपाल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	828	1.170	0.000	0.480	निरंक
9	सूरजबाई पुत्री प्रहलाद सींग साकिन टीलाखेड़ी	भूमिस्वामी	829	0.470	0.000	0.470	कोहा-1 छेवला-1 कोहा-1 सागौन-2
10	बलराम पिता बाबूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	832	4.550	4.550	0.000	आंवला-1 नीम-2 रसल्ला-1 सेमर-3 महुआ-1 गुरार-1 बमूरा-2 रेजा-1 कोहा-1 बरगद-1 सागौन-4 छेवला-2 पीपल-1
11	दिविजय भूपेद्र सीमा डब्बा पिता भगतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	833	0.300	0.000	0.300	पीपल-1 सागौन-21
		भूमिस्वामी	834	1.410	0.000	1.410	बरगद-1 सागान-2
		भूमिस्वामी	837	0.910	0.000	0.910	छिल्ला-1 सागौन-2 गुरार-1
12	भगवानदास पिता पुटई साकिन देह	भूमिस्वामी	848	1.000	1.000	0.000	बिही-2 सीताफल-2 नीबू-1 आम-2 कोहा-1 नीम-3 कंजी-1 मकान कच्चे-2
13	भगवानदान पिता पुटटी साकिन देह	भूमिस्वामी	847	0.340	0.000	0.340	आंवला-7 गुरार-1 सूबबूल-8 जामुन
14	राजेन्द्र पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	851	2.500	0.000	2.500	बांसभिर-2 कोहा-1 छेवला-1 सागौन-4
15	रघुराज सिंह पिता सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	853	3.330	3.330	0.000	नीम-2 रेजा-11 छेवला-4 कुआ-1
योग:-			18	24.180	11.020	10.910	0

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक.....13/8/19..... को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मार्पों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 48-अ-82-17-18-4515

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण एवं जांच उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : जमदर्दा जलाशय योजनांतर्गत ढूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	गढ़ाकोटा
3. ग्राम	:	माधौ
4. पट.ह.नं.-	:	21
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	40.41 हे. कृषि भूमि एवं 0.10 हे. व्यपवर्तित भूमि

सं. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिवित	असिंचित	व्यपवर्तित	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	जगत, जमना पिता छोटेलाल, गनेशीबाई वेवा छोटेलाल सा. देह	भूमिस्वामी	1/1	1.220	0.000	1.220	0.000	सेमर-1
2	फूलसानी वेवा रामप्रसाद साकिन सिंगपुर तह. सागर	भूमिस्वामी	1/2	0.500	0.000	0.500	0.000	नीबू-1
		भूमिस्वामी	1/3	0.300	0.000	0.300	0.000	0
		भूमिस्वामी	4/1	0.420	0.420	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	4/2	0.400	0.400	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	4/3	0.400	0.400	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	4/4	0.400	0.400	0.000	0.000	विही-1 आम-3 बेरी-3 पाकल-1 मकान-1 बोर-1
		भूमिस्वामी	9/1	0.810	0.000	0.080	0.000	0
3	प्रयाग पिता अर्जुनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/1	0.500	0.000	0.500	0.000	आम-1 बेल-1 महुआ-1 केथा-1 कुआ-2
4	दशरथ पिता अर्जुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/2	0.510	0.510	0.000	0.000	विही-1 आंवरी-1 मकान-1
5	नलू पिता अर्जुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/3	0.510	0.000	0.510	0.000	सीताफल-3 इमली-2
6	कमल पिता अर्जुन साकिन देह	भूमिस्वामी	2/4	0.500	0.500	0.000	0.000	केला-1 आम-1 मकान-1 कुआ-

7	जाहिद खां पिता गुलाब खां सा. देह	भूमिस्वामी	3	1.610	1.610	0.000	0.000	नीबू-1 बिही-1 आम-1 महुआ-1 बांसभिरा-1 सागौन-4 साज-1 भकान-1 कुआ-1
8	सुमतरानी वेवा रतनसींग, लखन, चन्द्रभान पिता रतनसींग, अशोकरानी वेवा नथूसींग, कलू, हल्लेमाई पिता नथूसींग जाति सोर साकिन देह	भूमिस्वामी	5	1.620	0.900	0.000	0.000	कुआं-1
9	श्रीमति कमला पिता रामनारायण साकिन बाजार बार्ड गढ़कोटा	भूमिस्वामी	6	1.040	0.000	1.040	0.000	बेल-1 कोहा-1 बांस-1 ऐसा-1
10	हरिमजन पिता रामनारायण नेमा साकिन गढ़कोटा	भूमिस्वामी	7	1.040	0.000	1.040	0.000	कोहा-1
11	नरेन्द्र पिता भगतसींग, मालती, मारती, नेहा पुत्री भगतसींग, ममतरानी वेवा भगतसींग साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	8	1.040	0.000	1.040	0.000	0
12	राजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पिता हिरदेसींग, प्रेमरानी वेवा हिरदेसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	10	1.040	0.000	1.040	0.000	0
13	खेमचंद पिता रामनारायण साकिन गढ़कोटा	भूमिस्वामी	11/1	1.680	0.600	0.000	0.000	मकान-1 कुआ-1
14	अक्षय पिता खेमचंद साकिन गढ़कोटा	भूमिस्वामी	13/1	1.600	0.000	0.040	0.000	0
15	झल्लू कनई, भागीरथ, कल्यान पिता भगवानदास, अवधरानी वेवा भगवानदास, दयाराम, नंदन, लखन पिता मुल्ला, सीता, पार्वती नाबलिंग पुत्री मुल्ला वली माँ व खुद हरिबाई वेवा मुल्ला साकिन हरदी	भूमिस्वामी	126/4	0.640	0.000	0.100	0.000	आंवला-2 बांसभिरा-3
16	संतूसींग वल्द निरपतसींग साकिन हरदी	भूमिस्वामी	127/1	1.900	0.000	1.900	0.000	अचार-1 साज-1 बमूरा-1 बेरी-1
17	मूरत पिता निरपतसींग साकिन हरदी	भूमिस्वामी	127/2	2.100	2.100	0.000	0.000	जामुन-1 महुआ-6 अचार-3 बरादे झुंठ कोहा-1 गुरार-1 सेमर-1 कुआ-1
18	द्वोपतीबाई पुत्री लल्लूसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	128/1	5.430	0.000	5.430	0.000	महुआ-6 कोहा-8
19	कुन्तीबाई पुत्री लल्लूसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	128/2	3.280	1.640	0.000	0.000	महुआ-7 पीपल-1 आम-1 कुआं-1
20	किशुन पिता बाबूलाल साकिन हरदी	भूमिस्वामी	129/1	0.600	0.600	0.000	0.000	महुआ-1 जाचर पेड 1 कुआ-1
		भूमिस्वामी	129/2	0.600	0.600	0.000	0.000	0
21	उत्तमसिंग वल्द हल्ला साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	129/3	0.400	0.000	0.400	0.000	0
		भूमिस्वामी	130/3	0.800	0.000	0.800	0.000	0
22	बलराम पिता विश्वनाथ साकिन घरासिया	भूमिस्वामी	129/4	0.400	0.000	0.400	0.000	0
23	घनवेश्वर पिता बाबूलाल साकिन हरदी	भूमिस्वामी	130/1	0.600	0.000	0.600	0.000	0
		भूमिस्वामी	130/2	0.600	0.000	0.600	0.000	0

24	कनई वल्द नन्हू केशरबाई पति कनई अहस्तांतरणीय शासकीय पट्टेदार	भूमिस्वामी	131/2	1.600	1.600	0.000	0.000	आंवरी-1 अचार-3 सागौन-14 गहुआ-2 सेजा-1 साज-1 कोहा-1 आम-1 सूबबूल-1 मकान-1 कुआं-1
25	दली वल्द रमले, रज्जोबाई पति दली साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	131/4	0.600	0.600	0.000	0.000	कोहा-1 बेरी-1 सेज-4 करदई-2 नीम-1 चिरोल-1 खैर-3 अचार-1 अकोला-1 बांसमिर्दा-1 रेजा-1 धोवन-1 छेवला-1 कुआं-1
26	लखन वल्द दली, कलाबाई पति लखन साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	131/5	0.600	0.000	0.600	0.000	सीताफल-5 रेजा-1 केम-1 कोहा-3 खैर-3 सेजे-10
27	सैयद जाबेद हुसैन पिता सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/1	1.010	0.000	1.010	0.000	आंवला-1 सीताफल-2 सूबबूल-1 दक्षिण इमली-1 मकान-1
28	श्रीमति नीलोफर बेगम पति सैयद परवेज हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/2	1.010	0.000	1.010	0.000	सीताफल-5 पाकल-1 सेजा-1 धोवन-1 चिरोल-1 तेंदू-1 सूबबूल-1
		भूमिस्वामी	139/3	0.100	0.000	0.000	0.100	0
29	सैयद परवेज हुसैन पिता सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/4	0.400	0.000	0.400	0.000	0
		भूमिस्वामी	135	1.530	0.000	1.530	0.000	0
30	श्रीमति शाहीन बेगम पति सैयद इशरार हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/3	1.520	0.000	0.760	0.000	0
31	जमीला पति सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	133	1.530	0.000	1.530	0.000	0
32	भरत पिता घनश्याम चौरसिया साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	134	1.540	0.000	0.950	0.000	0
		भूमिस्वामी	136	1.540	0.000	0.200	0.000	0
33	मंजू पति सुशील कुमार जैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/2	2.000	0.000	2.000	0.000	बरगद-1
योग:-			45	49.470	12.880	27.530	0.100	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/08/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 95 अ-82-17-18-7518

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:—

(1)	परियोजना का नाम	:	<b>भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण</b>
(2)	भूमि का विवरण—		
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	शाहपुर
4.	पट.ह.नं.	:	107
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.310 हेक्टेर

::अनुसूची-1::

सं. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रामकिसन बल्द पूरन	भूमिस्वामी	315	0.140	0.017	शून्य
2	बिहारी बल्द खूबसींग	भूमिस्वामी	316	0.280	0.001	शून्य
3	माखन पिता लच्छु	भूमिस्वामी	313	0.580	0.017	शून्य
4	नरेन्द्र कुमार बल्द गोकलचंद, चमेलीबाई जोजे गोकलचंद	भूमिस्वामी	327	0.580	0.027	शून्य
5	श्रीराम बल्द निर्भयसिंह, नवदसींग, गोविन्दसींग, शिवराजसींग, मीरबाई पिता प्रकटसींग, रतनसींग, रामजी, लक्ष्मणसींग वलि कल्लो पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	331	0.140	0.012	शून्य
6	गुलाबरानी वेवा भोपतसींग, अमूल, सुखराम, खेतसींग, रूपसींग पिता भोपतसींग, शिववति, राजकुमारी पुत्री भोपतसींग	भूमिस्वामी	332	1.130	0.080	शून्य
7	कालूराम बल्द मत्थूराम	भूमिस्वामी	338	0.570	0.052	शून्य
8	ऋषभ कुमार, सुमतकुमार, सुधीश कुमार पिता प्रेमचंद, बसंतीबाई बेबा प्रेमचंद	भूमिस्वामी	340	0.240	0.020	शून्य
9	मुकुल मनोज, मयंक, नावा, बल्द वलि, मदनगोपाल, अनिता जोजे मदनगोपाल	भूमिस्वामी	1042	1.390	0.110	शून्य
10	रघुवीरसिंह बल्द गुलाबसिंह	भूमिस्वामी	342	0.350	0.038	शून्य
11	डालचंद बल्द हरप्रसाद	भूमिस्वामी	1038	0.390	0.011	शून्य
			1035	0.540	0.088	
12	राजकमारी जोजे हरीनारायण	भूमिस्वामी	1039/1	0.370	0.043	पात्रा

							शून्य
13	भगवानदास पिता तुलसीराम, रामवती, शति, भागबाई, भुवानीबाई पुत्री तुलसीराम, दीपचंद, गणेश, दिनेश, सोनाबाई, पूनाबाई, गायत्री, सीताबाई पिस, धरमदास, गुलाबरानी वेवा धरमदास, ब्रजेश, भीम, कमला, लीलाबाई, जनकाबाई, गीता, पिस, बल्ली, चंद्ररानीबेवा बल्ली	भूमिस्वामी	919	0.270	0.036		
14	दृन्दे, सुखलाल पिता कलू, सियारानी वेवा मुलू भागबाई, बोराबाई, झींगाबाई पुत्री कलू	भूमिस्वामी	920	0.260	0.023	शून्य	
15	कलू वल्द पकोले	भूमिस्वामी	922	0.430	0.019	शून्य	
			374/2	0.070	0.020	शून्य	
16	रामदुलारी वेवा नाथूराम, ग्याप्रसाद, डालचंद, खेमचंद, किसनचंद, पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	932	0.710	0.079	शून्य	
17	रामकृष्ण वल्द रघुनाथसिंह, द्रोपती, मीरा, कृष्णा, अनुमति पिता रघुनाथसिंह		935	1.650	0.095		
18	छोटसिंह बल्द किशोरसिंह		255	1.370	0.013	शून्य	
19	शंकर पिता रामदीन	भूमिस्वामी	284	0.540	0.050	शून्य	
			295/1	0.280	0.028	शून्य	
20	भोले वल्द रामदीन	भूमिस्वामी	295/2	0.290	0.028	शून्य	
21	नन्ना बल्द भग्ना, लतई, बबू, रामलाल, शम्भू, जयराम, मीरा, कुसुमबाई पिता नन्ना	भूमिस्वामी	296	0.620	0.043	शून्य	
			297	0.620	0.076	शून्य	
22	नर्मदा प्रसाद, शालकराम, डालचंद, हरि नारायण, हरचंद पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	298	0.470	0.019	शून्य	
23	सुदामा पिता बहोरे	भूमिस्वामी	314	1.130	0.159	शून्य	
24	फूलसींग पिता दरई	भूमिस्वामी	374/1	0.050	0.020	शून्य	
25	कलू उर्फ कल्याणसिंह बल्द पकोले	भूमिस्वामी	375	0.100	0.020	शून्य	
26	मेघराज वल्द खूबसींग, ध्रुवसिंह, सुहागरानी पत्नि खूबसींग	भूमिस्वामी	833	1.290	0.120	शून्य	
27	केशवसिंह पिता दयाराम	भूमिस्वामी	832/1	0.260	0.019	शून्य	
28	नरेन्द्र पिता कपूरे	भूमिस्वामी	832/2	0.140	0.019	शून्य	
29	देववती वेवा मूरतसींग, मनोज ना.वा. पिता, मूरतसिंह वली माँ, देववती वेवा मूरतसिंह	भूमिस्वामी	832/3	0.240	0.018	शून्य	
30	मेघराज, ध्रुवसिंह पिता खूबसींग	भूमिस्वामी	835	0.300	0.027	शून्य	
31	वृदंसिंह बा. नरेन्द्रसिंह ना.वा. पिता चैनसिंह, वली माँ फूलरानी जोजे चैनसिंह	भूमिस्वामी	836	0.290	0.020	शून्य	
32	रामरानी वेवा विश्वनाथ सिंह	भूमिस्वामी	837	0.610	0.056	शून्य	
33	नरवदसींग भगतसींग, जगतसींग, रघुनाथ सींग, भोपालसींग, परसोत्तम, परशराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन, पिस, वृदावन, अवधरानी, फूलरानी, बेवा वृदावन, केशवसींग, निर्भयसींग, वालिक मूरतसींग, नावा. पिता दयाराम, वलि व खुद माँ देशरानी बेवा दयाराम, फेरन कपूरे पिता हन्नू रामभरोसे पिता हरिसिंह, गुलाबरानी बेवा पडवा, सुखरानी वेवा अमीरसुग, मेंदाबाई मायाबाई, गुलाबबाई पिता पूरन, राजरानी, नहींबाई बेवा पूरन	भूमिस्वामी	846	0.260	0.024	शून्य	
34	देवेन्द्र सिंह वल्द हरनाम सिंह, प्रताप सिंह वल्द कंवर सिंह	भूमिस्वामी	879	0.660	0.095	शून्य	
35	शिव्व, हल्लू, धन्नू पिता गुलाब, सुमन्त्रा, पार्वती, गोपी, गीता पु.गुलाब, देवीसींग, काशीराम पि. हरदेव, प्रेमबाई पुत्री हरदेव, किस्सू ना.बा. मुलू, द्रोपतीबाई ना.बा. पुत्री भूमिस्वामी मुलू बलि बडेदादा, गुलाब	भूमिस्वामी	897	0.280	0.040	शून्य	
36	महेन्द्रसिंह वल्द रंगसिंह, वेदरानी, वेवा रंगसिंह, रंजीतसिंह वल्द फूलसिंह सा.देह नरवदसिंह, भगतसिंह भूमिस्वामी रघुनाथसिंह, भोपालसिंह, परशोत्तम, परशराम,	भूमिस्वामी	906	0.760	0.087	शून्य	

	अवधरणी, फूल भूमिस्वामी फूलरानी वेवा वृद्धावन, केशवसिंह, निर्मयसिंह व सूरतसिंह ना.बा.व दयाराम बलि व खुदान देशरानी वे. भूमिस्वामी कपूरे, फेरन व हनूराम, भरोसे, पिल्हीसिंह सा.देह भूमिस्वामी राजरानी, राहीबाई वेवा पूरनसींग, मैदाबाई, मायाबाई, गुलाबबाई पु. पूरनसिंह					
37	विनोद कुमार वल्द गुलाबचंद, पन्नालाल वल्द हरचंद	भूमिस्वामी	907	0.320	0.072	शून्य
			911	0.740	0.087	
38	मदन गोपाल पिता विन्द्रावन	भूमिस्वामी	345/2	0.420	0.048	शून्य
39	भोपालसिंह, परशोत्तम, परशराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन, पिस. वृद्धावन, फूलरानी वेवा वृद्धावन	भूमिस्वामी	847/1	0.160	0.026	शून्य
40	फेरनसिंह पिता हनूसिंह, रामसेवक, रामकुमार, रामेश्वर पिता फेरनसिंह,	भूमिस्वामी	847/2	0.150	0.026	शून्य
41	रामजी रज्जन, वल्द वृद्धावन, साहबसिंह वल्द भोपालसिंह लोधी	भूमिस्वामी	848	0.350	0.050	शून्य
	कलयोग:-		कुल 41 किटा	25.88	2.310	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक कमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 3941-भू-अर्जन-2018

बैहर, दिनांक 2 जुलाई 2018

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का सम्मान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई प्रयोजन में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसिलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

**— :: अनुसूची ::—**

**भूमि का वर्णन :—**

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—बैहर / परसवाड़ा
- (ग) ग्राम—पचामा, दलदला, नारंगी, सोनपुरी, घोन्दी प.ह.नं — 28/48, 26/54
- (घ) निजी भूमि रकबा—23.533 हे.

शासकीय भूमि रकबा—35.198 हे.

**ग्राम पचामा :—**

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/वल्द, पति, पिता का निवासी आदि का विवरण	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित किया जाना वाला रकबा हेक्टेर में	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति (कुंआ, वृक्ष, मकान आदि जिसे अर्जित किया जाना है)
1	2	3	4	5	7
1	राकेश गिरी वल्द हिर गिरी गोस्वामी साकिन सोनपुरी	5/1	0.886	0.886	वृक्ष
2	चैनलाल वल्द छत्तर गोवारा	7/1, 7/4	0.688 0.449	0.688 0.449	निरंक
3	अंगीराबाई पति बहादुरसिंह	9/1	0.109	0.109	—
4	प्रेमबतीबाई पति स्व मानकसिंह, शिवकुमार, नरेन्द्र कुमार, राकेश वल्द मानकसिंह, मीना संगीता वल्द मानकसिंह, शांतिबाई, पिता शंभूसिंह, शिशुपाल, दुर्योधन, अनीता वल्द शंकरसिंह, सुषमा पति फेकन, राजेन्द्र, अशोक वल्द रुपसिंह, कमला, ईमला वल्द अगरसिंह,	9/2	8.094	8.094	निरंक
5	पूनाराम वल्द मेहतर, चैती शांती गोंड	15 19	1.169 0.829	1.169 0.829	निरंक
6	लक्षण, सदू रामप्रसाद वल्द समलसिंह, सोनम वल्द समलसिंह, सुषमा पति समलसिंह घुडन, सोनलाल, सुखलाल वल्द	21/4	0.405	0.405	वृक्ष

	मोहनसिंह मंती पति मोहनसिंह, वृक्ष सुली, सूना,, कचरा, सुन्दो, कहरासिंह, ग्राम दलदला				
7	रामसिंह पिता सावा,	33/3	0.849	0.849	वृक्ष

**ग्राम नारंगी :-**

1	उदेसिंह पिता प्रेमसिंह	22/5 22/10	1.089 0.526	0.032 0.089	
2	बालकराम, महेन्द्र पिता खेलूराम, सुषमा, मनीषा उमा पिता खेलूराम श्यामसिंह, भागन, सागन पिता सोहबत, पतिराम, पिता साधुसिंह,	22/3 22/9	0.769 0.591	0.021 0.045	
3	फूलोबाई पति सूबेलाल गोड	22/8	0.324	0.048	
4	हिवराबाई पति रतनसिंह	16/2 22/7	0.190 0.364	0.008 0.045	
5	सालिकराम पिता उदेसिंह	22/6	0.749	0.021	
6	मिलापसिंह पिता तोपसिंह	16/1 22/1	0.186 0.607	0.016 0.032	
7	रमेश पिता मनोहरसिंह	22/11	0.405	0.024	
8	चन्द्रशेखर पिता लेखराम	15/5	0.142	0.020	
9	सनोता पति छनू	15/1	0.554	0.040	
10	कारीबाई पति सूखराम	15/8	0.582	0.053	
11	नानाजी पिता गुन्ठूलाल	15/2 36/2	0.202 1.142	0.052 0.072	
12	लिख्खनसिंह वल्द पदमसिंह	13/2	0.986	0.105	
13	दुलमसिंह वल्द पदमसिंह गोड	13/1 37	0.983 0.037	0.126 0.004	
14	ईशप्रसाद वल्द गुट्टप्रसाद	36/3	1.142	0.057	
15	बुधराम वल्द दादू लोहार	34/3	0.337	0.044	
16	किर्तनबाई पति रामेश्वर राजेश सुनित वल्द रामेश्वर	9/4	1.133	0.032	
17	कांतीलाल वल्द इशलाल पंवार	8/2	0.506	0.024	
18	उदरलाल वल्द सकरु लोहार	8/1	0.809	0.040	
17	शारदाप्रसाद, नरेन्द्र नाथ पिता जैलसिंह, पालक लीलाबाई	7/8	1.345	0.077	
20	ददूलाल, रमुलाल, बुधराम, पिता जगतसिंह गोड	5/4	0.405	0.036	
21	सगुनाबाई पति हगरसिंह गोड	5/1	0.271	0.074	

**ग्राम सोनपुरी :-**

1	विनोता पति स्व. गुहदड सिंह, रविन्द्र टेकश्वर, देवेन्द्र गुहदड सिंह गोड, डिलेश्वरी वल्द गुहदड सिंह	289/2	0.549	0.52	
2	दुलमसिंह वल्द पदम सिंह गोड	289/3	0.549	0.56	
3	लिख्खन सिंह वल्द पदमसिंह	289/4	0.549	0.52	
4	तरासन बाई पति सतनारायण पंवार	288/3 288/7	0.950 0.264	0.012	
5	हेमलता पिता नेतलाल	288/1 क	0.141	0.012	

	सुरमिला जौजे बखतराम				
6	मंथरी पति मेहतर	287	0.202	0.041	
7	लटिराम खोवाराम पिता तुलसीराम पंवार	288 / 4	0.420	0.048	
8	देवीलाल, खेमराज, हरिराम वल्द पाण्डुरंग, लक्ष्मीबाई पिता पाण्डुरंग, तरासन विधवा पाण्डुरंग, मेहतर पिता तुलसीराम, लटिराम खोवाराम पिता तुलसीराम पंवार	286 / 1	1.438	0.024	
9	ममता पति राजेन्द्र गोड	285 / 2	0.202	0.032	
10	सायाबाई पति पेकराम	285 / 6	0.113	0.32	
11	देवकनबाई जौजे मोहनलाल पंवार	284 / 4	0.809	0.032	
12	अशोक कुमार पिता पुरनलाल पंवार	284 / 2	0.809	0.045	
13	रेवाराम वल्द दोंदी लोहार	284 / 3	0.674	0.20	
14	देवी लाल पिता पुरुसोत्तम राव पंवार	283	2.501	0.092	
15	धनलाल पिता पुरुसोत्तम पंवार	281	2.553	0.52	
16	ढालसिंह वल्द ईमरत पंवार	282 / 1	0.832	0.22	
17	जय सिंह वल्द ईमरत पंवार	282 / 2	0.833	0.23	
18	प्रभाकर वल्द ईमरत पंवार	282 / 3	0.832	0.022	
17	नहेलाल पिता श्रीलाल, पूर्णिमा पति राजेश्वर नाबा. सुलकावली पूर्णिमा	280 / 3	1.214	0.052	
20	बलीराम गणेश प्रसाद पिता मुन्नालाल महार	280 / 7	0.786	0.045	
21	राजेन्द्र राव वल्द मल्हार राव, ममता, लक्ष्मी, राजश्री पिता मल्हार राव गुणवंता पति मल्हार राव	280 / 1	2.812	0.245	
22	सुखराम पिता मुशी	276 / 2	0.291	0.061	
23	भागनबाई स्व. पति सुमरतलाल, अनिल, दीलिप, पिता सुमरतलाल अनुज, ललीता पिता सुमरतलाल	275 / 1	0.194	0.023	
24	हिम्मतलाल पिता मुन्नालाल परधान	273 / 2 275 / 2	0.243 0.154	0.024 0.020	
25	रतिराम पिता सुककल, धानी जौजे दलपत, सुखराम पिता मुशी, सायतरा बाई पिता मुशी	274 / 1	0.190	0.077	
26	काटा बाई पति गंगाराम पंवार	272	1.594	0.093	

## ग्राम दलदला :-

1	सरदार रामबक्स वल्द सरूपसिंह शातीबाई धरम पति स्व. शंकर सिंह, सिसूपाल दुर्योधन पिता शंकर सिंह, सुषमा पत्नि फेंकन, किरनापुर, राजेन्द्र सिंह, सरूपसिंह कमला ईमला पिता सरूप सिंह सुमित्रा पिता दुरगू गीता स्व.	351 349	4.160 0.489	0.166 0.109	
---	---	------------	----------------	----------------	--

	अंगतू अमरनाथ पिता अंतू पुरना, भागा, फगनी, सागन फूलन पिता अंतू गोड				
2	मेंदाबाई उदेलाल चम्हार	352/3	1.094	0.028	
3	धनलाल पिता चुन्नीलाल चम्हार	352/4	1.214	0.194	
4	सरुपा बाई पति बुधराम बैगा	354/2	1.582	0.109	
5	नवलसिंह पिता बुंदेलसिंह बैगा	354/1	1.987	0.194	
6	ईमरत लाल पिता जीवनलाल	362/5	0.687	0.166	
7	गणेश वल्द माहू महेश वल्द अमरसिंह, सोमेश्वरी वल्द माहू	362/3	0.972	0.332	
8	दुपेन्द्र हेमन्त पिता छगनलाल, सोमेश्वरी रुपेश्वरी, सुधा पिता छगनलाल	373/1 224 225/1	3.307 1.052 0.453	0.223 0.040 0.113	
9	पिथम गिरी, मधु गिरी, पिता श्याम गिरी	273/2 ख 432/2	0.259 1.214	0.085 0.085	
10	पिथम गिरी, मधु गिरी, पिता श्याम गिरी लक्ष्मी जौजे युवराज आशा जौजे मदनलाल, अर्चना, अनुसूईया, पिता श्यामगिरी	380 381 427/ख	0.061 0.168 0.182	0.154 0.093	
11	मीलन वल्द होरा लाल गोड	420/1 ख	0.202	0.045	
12	राजकुमार पिता मोती लाल गोड	420/2 ख	0.202	0.032	
13	भागन पति कारुलाल पंवार	376	0.150	0.024	
14	खिडका, परसराम, पिता डोकेशसिंह, तारा चम्पा सुकवारों, काटन, पार्वती, पिता डोकेसिंह	377/1 377/4	0.025 0.931	0.152	
15	तेजलाल पिता कुसोबा	426	1.348	0.045	
16	बेन बाई पल्लि नारायण पंवार	422	0.401	0.028	
17	दिलिप बुधराम वल्द गुहदड मालन धरम पल्लि गुहदड सुकलाल वल्द सदन	413	1.688	0.040	
18	जैवंता जौजे सद्द गोड	414	1.214	0.170	
19	रमेश, दिनेश वल्द भैयालाल जाति महार	378 389/1	0.405 0.216	0.089 0.069	
20	पार्वती पति ढड्डू लाल, दुरगसिंह पति ढड्डू लाल	377/3	0.259	0.045	
21	सुरजनबाई पिता दशरथ महार	317/1	0.405	0.068	
22	तुरगन बाई पिता दशरथ महार	317/2 296/1	0.809 0.243	0.085 0.048	
23	तरासन जौजे लक्ष्मण	317/4	0.385	0.032	
24	यदुनाथ पिता चन्दुलाल पंवार	314/1	0.890	0.195	
25	उषा बाई धर्मपल्लि शिवप्रसाद	313	0.506	0.121	
26	पुष्पलता जौजे सुभाष	295/1 ख 263/2	0.318 0.563	0.045	
27	इन्द्रलता जौजे मोहन पंवार	295/1 ग	0.314	0.060	
28	राजेबा जौजे योगेन्द्र पंवार	295/1 घ	0.318	0.060	
29	साधना जौजे श्याम कुमार	295/1 ङ	0.330	0.050	
30	माधुरी जौजे युवराज	263/1	0.546	0.032	
31	हेमन्त पिता छगन लाल पंवार	295/2	2.464	0.048	
32	कौशिक कुमार लिनेश कुमार पिता पन्नालाल पंवार	264	4.913	0.344	
33	इन्द्रजीत सिंह वल्द ओमकार सिंह पंवार	248/3	1.619	0.073	

34	योगेश्वरी जौजे यशवंत पंवार	248 / 4	1.736	0.073	
35	धीरज लाल , कौशल प्रसाद, चिंतामन, ताराचंद, लक्ष्मीचंद वल्द हरगोविंद यशोबाई, कौशल्या, देवनबाई, प्रभिला सुनिता, कृष्णा पिता हरगोविंद पंवार	217	6.681	0.170	
36	रामलाल पिता निलकंठ पंवार	230 / 8	0.718	0.065	
37	प्रेमकला पति सुरज लाल पंवार	149 / 2	0.218	0.056	
38	अंकेश्वर, भूमेश बानू चैतन बाई, श्याम लाल वल्द सूरज खेलन वल्द विधवा सुखलाल सूलन फूलन पार्वती रामबता शांताबाई शकुनतला पिता मोहपत राय प्रेमलाल वल्द तुलसीराम सालिकराम रेखलाल निर्मला ईन्द्रा चैतन पिता हिरालाल अन्जु पिता हिरालाल, बायजन पत्नि हिरालाल , बसंतराय तेजलाल यशवंत राय पिता जगतराय, लेखराम सुखराम पिता मोतीराम जीवन लाल उर्फ ढडडी वल्द बिहारी लाल चंदन लाल पिता हरचंद पंवार	134 / 1	1.396	0.056	
39	रोशन पिता सुककाजी पंवार	38 / 1	2.130	0.336	
40	झामेश्वर पिता ईशाराम	40 / 1	0.769	0.036	
41	कुंतनलाल पति रोशनलाल	38 / 3	4.075	0.238	
42	भूमेश्वर पिता रोशनलाल	38 / 4	1.986	0.061	
43	शंदीप पिता यशवंत पंवार	149 / 3	1.134	0.166	
44	अशोक वल्द दुलीचंद पंवार	249 / 2 ग 249 / 5 ग	0.477 0.470	0.026	
45	पुष्पराज वल्द दुलीचंद	249 / 5 ख	0.785	0.026	
46	सत्यजीत अभय पंवार	249 / 2 ज	0.285	0.026	
47	ओंपकार वल्द परसराम पंवार	249 / 1	5.668	0.108	
48	जयपाल पिता घुड़न, तुलसा बाई पत्नि घुड़न	415 / 2	1.659	0.021	
49	लखन वल्द चुन्नीलाल	410 / 7	1.333	0.101	
50	पुन्नीबाई धरमपत्नि आशाराम गोंड	410 / 4 410 / 5	0.343 0.850	0.032	
51	शांताबाई पत्नि लेखराम	410 / 16	0.740	0.020	
52	थानसिंह पिता गिरधारी	48 / 1	0.664	0.013	
53	धूरनबाई जौजे शोभाराम पंवार	46 / 1	4.290	0.064	
54	राधनबाई पति रूपचंद	40 / 3	0.315	0.016	
55	शेषराम वल्द धरमाजी पंवार	40 / 4	1.254	0.024	
56	रूपचंद वल्द रतनलाल पंवार	39 / 2	0.550	0.073	
57	चित्रेश वल्द कोतल	218 / 1	0.809	0.061	
58	लिखेश वल्द कोतल	218 / 2	0.809	0.060	

## ग्राम घोंडी :-

1	पूरनलाल वल्द मेहतर	55/27	0.283	0.073	
2	रामसिंह, गेंदसिंह वल्द कमलसिंह	55/28	0.097	0.069	
3	शंकरसिंह, राजेन्द्रसिंह, अशोकसिंह वल्द रूपसिंह, शिवकुमार, संदीपकुमार, गीताबाई, सनीताबाई, ना.बा. पिता मानकसिंह, प्रेमबति पति स्व. मानकसिंह	55/5	0.255	0.101	
4	रहमतसिंह, हिम्मतसिंह, गोविंदसिंह, बलदेवसिंह, नारायणसिंह, उत्तमसिंह, गौतमसिंह पिता महलसिंह	55/11	0.081	0.073	
5	अमीलाल, सोहपतसिंह, बुधराम वल्द सुनऊ, समलीबाई पति स्व. सुनऊ	55/7	0.170	0.093	
6	किशनसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता करणसिंह, दसवंताबाई पति मंगलसिंह, सुमोबाई पति स्व. करनसिंह, धनवंती, सुकवंती, शांतिबाई पिता करनसिंह	55/3	0.259	0.130	
7	भगवानसिंह, रायसिंह पिता सुमरनसिंह	45/3	0.538	0.166	
8	रणजीतसिंह पिता किस्मतसिंह	45/2	2.039	0.089	
9	अंकाकसिंह पिता हनवतसिंह	63/1	0.446	0.446	
10	परसराम पिता हनवतसिंह	63/3	0.446, 1.417	0.696	
	शासकीय भूमि	55/39	1.522	0.048	
	कुल निजी भूमि का रकबा			23.533	
	कुल शासकीय भूमि का रकबा			35.198	
	कुल रकबा			58.731	

2— अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dbmalaghat@nic.in](mailto:dbmalaghat@nic.in) एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है।

3— अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू—अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4— अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण कार्यपालन यंत्री जलसंशाधन सिंचाई सर्वेक्षण बालाघाट में किया जा सकता है।

5— अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू—अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट / अ.वि.अ.(रा.) बैहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,**  
**राजस्व विभाग**

क्रमांक 5161-भू-अर्जन-18

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को धर प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के आने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के आने (6) में उसके समाने दिये जाये सर्वजागिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

**प्रकरण क्रमांक** चूंकि राज्य शासन को इस दाता का सम्मान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन केसु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विभरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्त्यवस्थापन में उपर्युक्त अंतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजागिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची(1)**

आम श्यामपुरा			तालुकीनं नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि के रखका हैं०	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	5
निजी	भूमि	0.151 हें०	-	0.151 हें०	

**अनुसूची(2)**

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	उसका नं०	कुल भूमि का रखका	प्रभावित भूमि	सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7	
1	भैरोसिंह पिता गोपीलाल दांगी	186/2/1	0.475	0.025	-	0.025	
2	राधेश्याम पिता गोपीलाल दांगी	186/2/2	0.379	0.040	-	0.040	
3	दौलतराम पिता गोपीलाल दांगी	187/1/1	0.157	0.015	-	0.015	
4	सबजीराम पिता भंवरलाल दांगी	187/2/1	0.663	0.021	-	0.021	
5	देवकरण पिता रतीराम ललता वार्ड पति देवकरण जाटव	188/2	1.012	0.040	-	0.040	
6	जानीबाई बेवा गोपीलाल दांगी	185/5	1.000	0.010	-	0.010	
	योग कुल किता	6	3.686	0.151	-	0.151	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का विरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 5162 / भू-अर्जन / 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में व्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ की योजनात्तर्गत ग्राम पगारी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-(1)

व्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील व्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्कम	प्रयोजन
1	2	3	
1	ग्राम पगारी (निजी भूमि)	11.307	व्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण

### अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना' के अंतर्गत व्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील व्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रक्कम	प्रभावित रक्कम
1	2	3	4	5

#### ग्राम:- पगारी

1	रतन पिता प्यारजी जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.	1/1	0.202	0.114
2	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.	1/2/1	0.338	0.046
3	रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	285/3	0.253	0.026
4	प्रभुलाल पिता राम लाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.	3/1	0.669	0.300
5	रंगलाल, मांगीलाल पिता सोबगस दांगी नि.ग्रा.भू.	3/2	0.838	0.300
6	गगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	285/4	0.253	0.124
7	रामबगस, कन्हैया, बद्री, कैलाश, मोहन, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	20	1.252	0.443
8	प्रभुलाल, बालाबक्ष, रुगनाथ, रामचरण पिता गंभीर, गंगाबाई, जानिबाई, पुत्री गंभीर हि. 75 पै. हजारी, शिवजी पिता गंगाराम हि 25 पै जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	21	3.832	0.366
9	मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी निवासी ग्रा पगारा	18/2	0.253	0.020
10	मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी नि.पगारा	19/2	0.780	0.404
11	बैजनाथ पिता प्रभुलाल जाति दांगी पगारा	16/2	0.780	0.038
13	कालू पिता शिवजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	285/5	0.506	0.140
15	रामचन्द्र, राधेश्याम पिता बंशीलाल, भगवतीबाई बैवा बंशीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. पगारा	30/1/2	0.310	0.025

1	2	3	4	5
16	रामबगस, कहैया, बद्री, कैलाश, मोहन, खेलकराम पिता गोपाल हीरबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.	30/1/3	0.620	0.107
17	देवचंद पिता भवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	30/2/1	0.443	0.100
18	मांगीलाल पिता नरसिंह जाति दांगी नि. पगारा भू.	30/2/2	0.481	0.100
20	बजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	39/2/1	1.012	0.764
21	मांगीलाल, मोहनलाल पिता काशीराम जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू.	39/1/1	1.265	0.379
23	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	173	0.506	0.103
24	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	176/1	0.696	0.018
25	शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/2	0.873	0.627
26	शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/1	0.202	0.034
27	शिवनारायण पिता मेहताब दांगी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/2/2	0.032	0.026
28	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	161	0.190	0.048
29	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	160	0.240	0.190
30	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	159/3	0.126	0.126
31	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/3/2	0.158	0.158
32	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	157/2/3	0.062	0.019
33	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/3	0.860	0.116
34	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	157/3	0.155	0.040
35	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/2/3	0.126	0.026
36	रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	18/1/1	0.061	0.010
37	देवचंद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	169/1/3/2	0.604	0.059
38	लक्ष्मी नारायण आ हजारी लाल दांगी पगारा	169/1/3/1/1 /2	0.303	0.126
39	भवर सिंह भगवान सिंह भगवत सिंह रूप सिंह धीरज सिंह एणीजीत सिंह मनोहर सिंह पिता नवल सिंह राजपूत	295/176	0.342	0.025
40	जालमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	176/2/2	0.202	0.014
41	रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	276	1.897	0.005
42	रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	287/1/2	0.506	0.063
43	गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा नंदराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	287/3/2	0.506	0.485
44	देवचंद पिता मांगीलाल दांगी	287/12/3/1	0.166	0.010
45	देवचंद पिता मांगीलाल दांगी	278/2/2	0.386	0.023
46	रतनलाल, बंशीलाल, छवीलाल, मोतीलाल, मोहन, खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी	287/12/2	0.151	0.083
47	जगदीश सिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	287/3/1	2.023	0.273
48	धूलजी, कहैयालाल पिता मोजी लाल	287/12/1	0.150	0.126
49	खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	277/1	0.430	0.141
50	खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	278/1	0.689	0.229
51	शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	277/2	0.506	0.485
52	छबीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	169/2	1.733	0.661

1	2	3	4	5
53	बजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	169/3	1.138	0.557
54	रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	169/1/2	0.582	0.076
55	धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/1	1.062	0.191
56	रामनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	286/1	0.165	0.028
57	विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/2	1.062	0.191
58	गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	286/2	0.164	0.048
59	शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/3	1.050	0.189
60	शिव जी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/4	1.075	0.194
61	रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	154/3/4	0.054	0.016
62	लालजी पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/1	0.218	0.050
63	चन्द्रलाल,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	154/3/2	0.054	0.005
64	चन्द्रलाल,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/2	0.218	0.050
65	दौलतराम पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/3	0.219	0.050
66	रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/4	0.219	0.050
67	भंवर लाल आ हजारी लाल दांगी	287/9/1/1	0.202	0.117
68	रामवरण पिता हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	287/9/1/2	0.201	0.118
69	लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल दांगी	287/9/1/3	0.201	0.118
70	रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	19/1/1	0.729	0.034
71	लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	180/1/1	0.232	0.090
72	चंद्र लाल,रामनारायण,अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल नि.ग्रा.भू.	180/1/2	0.232	0.013
73	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	17	0.620	0.443
74	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	18/1/2	0.154	0.116
75	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	171	0.152	0.152
76	नवल सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	172	0.266	0.266
योग:-ग्राम पगारी		किता-76	39.237	11.307

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक/ 5163 /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्तयीवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित घिया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

आम पालागीर		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	4.984 है.	-	4.984 है.

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खस्या नं०	कुल भूमि का रकबा	योग
1	2	3	4	7
1	पार्वती बाई बेबा गंगा राम अहीर	44/2	0.354	0.076
		46/2	0.557	0.291
2	दौलत राम पिता गंगा राम अहीर	45	0.569	0.260
		46/3	0.455	0.032
3	पार्वती बाई बेबा गंगा राम अहीर	43/1	0.759	0.360
4	राम बाबू पिता मूलचंद अहीर	40/1	0.923	0.250
		39/4/1	0.343	0.060
5	कंवर लाल पिता हजारी लाल अहीर	41/1	0.747	0.380
6	हरीश कुमार पिता प्रभुलाल अहीर	39/1/1	0.973	0.038

7	हरीश कुमार पिता प्रभुलाल अहीर	39/4/2	1.029	0.230
8	पण्ठे लाल लाल अहीर	38/2	1.618	0.620
9	कैलाश पिता हीरालाल बेलदार	22/1/1	1.222	0.013
10	धीसोबाई बेवा हीरा लाल बेलदार, प्रेम बाई पुरी हीरा लाल बेलदार	37	0.164	0.090
11	गोकुल पिता लाल अहीर	36/1/1 36/2	0.095 0.025	0.085 0.025
12	पण्ठे लाल लाल अहीर	36/1/2 33/3	0.120 0.454	0.055 0.150
13	गंभीर सिंह पिता लाल अहीर	33/1	0.218	0.101
14	गोकुल पिता लाल अहीर	33/2	0.454	0.152
15	तुलसी बाई पलि पूरन चंद अहीर	69/3	0.511	0.100
16	गंभीर सिंह पिता लाल अहीर	32/1/1 32/2	0.048 0.063	0.020 0.005
17	देवी सिंह भागचंद पिता बंशीलाल कंचनबाई बेवा बंशीलाल अहीर	34/1	0.259	0.228
18	हीरानारायण पिता गंगा राम अहीर	34/2	0.260	0.160
19	लाल अहीर पिता उमेद अहीर मृतक राम प्रसाद पिता हीरालाल बेलदार	27/1/1	0.926	0.300
20	पण्ठे पिता हीरालाल बेलदार	27/1/2	0.927	0.342
21	प्रह्लाद सिंह पिता धंवरलाल बेलदार	27/2/1	1.308	0.228
22	धंवरलाल पिता जगन्नाथ बेलदार	27/2/2	0.544	0.070
23	तुलसी बाई पलि पूरन चंद अहीर	26/2/2	0.906	0.100
24	हरि सिंह पिता मूलचंद	126/4	0.077	0.026
25	बनेसिंह पिता नाथू लाल अहीर	126/5/1	0.079	0.069
26	रोतान बाई बेवा प्रभुलाल अहीर	126/5/2	0.078	0.068
	योग कुल किता	26	17.065	4.984

भूमि के नवशे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 5165/ भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बामलाबे के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बामलाबे

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	बामलाबे	26.935
	कुलयोग :-	26.935

### —: अनुसूची ( 2 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बामलाबे

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	दुलेसिंह पिता देवीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 245/2/1/2 ✓	1.785	✓ 0.352
	योग	1	1.785	0.352
2	भंवरलाल पिता भाणा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 246/2/1 ✓ ✓ 251/1/1 ✓	1.000 0.670	✓ 1.000 ✓ 0.670
	योग	2	1.670	1.670
3	धन्नालाल पिता भाणा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 246/2/2 ✓ ✓ 251/1/2 ✓	1.000 0.670	✓ 1.000 ✓ 0.670
	योग	2	1.670	1.670
4	भवरिया पिता भाणा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 246/3 ✓	4.070	✓ 0.800
	योग	1	4.070	0.800

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
5	रामचरण पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 253 ✓ ✓ 251/2 ✓ ✓ 255/1/6/1 ✓ ✓ 255/1/9/2 ✓	0.835 0.051 1.012 1.013	✓ 0.835 ✓ 0.051 ✓ 0.200 ✓ 0.200
	योग	4	2.911	1.286
6	हीरालाल पिता भवरजी बगैराह जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 255/1/5 ✓ ✓ 255/1/3 ✓ ✓ 255/1/4 ✓	1.012 1.012 1.012	✓ 1.012 ✓ 0.265 ✓ 0.150
	योग	3	3.036	1.427
7	हिन्दूसिंह पिता मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम माण्डाखेड़ा भू-स्वामी	✓ 245/2/2 ✓	2.500	✓ 1.200
	योग	1	2.500	1.200
8	मेहताबबाई पति भवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 255/1/9/1 ✓	1.012	✓ 0.269
	योग	1	1.012	0.269
9	फूलसिंह पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 2/2/1 ✓ ✓ 3/6/1 ✓ ✓ 3/7/1 ✓	1.270 0.467 0.303	✓ 1.270 ✓ 0.467 ✓ 0.303
	योग	3	2.040	2.040
10	सोनीबाई पति नारायण जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 2/3/1 ✓	1.700	✓ 1.700
	योग	1	1.700	1.700
11	भावसिंह, हजारीलाल, फूलसिंह, धीरपसिंह, गोपीलाल, धन्ना, रुकमाबाई, सरुबाई पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 2/4 ✓	1.711	✓ 1.711
	योग	1	1.711	1.711
12	धीसालाल पिता रामचरण नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 2/1 ✓	1.416	✓ 1.416
	योग	1	1.416	1.416
13	भावसिंह पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 3/3/1 ✓ ✓ 4/4/1/1/1 ✓ ✓ 3/10/1 ✓ ✓ 11/3/2 ✓	0.167 0.300 1.265 1.288	✓ 0.167 ✓ 0.300 ✓ 1.265 ✓ 1.288
	योग	4	3.020	3.020
14	भावसिंह, हजारीलाल, फूलसिंह, धीरपसिंह, गोपीलाल पिता धन्ना, खेमीबाई बेवा धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 3/4/1 ✓ ✓ 3/5/1 ✓	0.406 0.580	✓ 0.406 ✓ 0.580
	योग	2	0.986	0.986
15	नारायण पिता नाथू जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 9/5/1 ✓	2.287	✓ 0.500
	योग	1	2.287	0.500

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
16	अनारसिंह, राजू पिता मोहनप्रसाद, विनोद, सोनू ना.बा. पिता कालू मु. पारीबाई बेवा कालू स.प.माता स्वंयं पारीबाई बेवा कालू हि.50 पैसे रोड़जी दीपा हि. 50 पैसे बौराह	✓ 4/4/1/1/2 ✓ ✓ 3/8/1 ✓	0.327 0.523	✓ 0.327 ✓ 0.523
	योग	2	0.850	0.850
17	प्रेमा पिता रामसिंह जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 4/6/1/1 ✓	0.406	✓ 0.406
	योग	1	0.406	0.406
18	भवरलाल, चरोजीबाई, कैलाशबाई, कमलाबाई पिता हीरलाल, रामकली बेवा हीरलाल पिता बृजा पता नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 5/2/1/1 ✓	1.974	✓ 1.974
	योग	1	1.974	1.974
19	हरिनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 3/2/1 ✓	2.298	✓ 2.298
	योग	1	2.298	2.298
20	गोपीलाल पिता धन्नालाल आदि	✓ 3/9/1 ✓	0.196	✓ 0.196
	योग	1	0.196	0.196
21	उषा पिता श्रवण	✓ 3/10/2 ✓	0.735	✓ 0.735
	योग	1	0.735	0.735
22	बद्रीलाल पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 13/1/1 ✓	4.959	✓ 0.050
	योग	1	4.959	0.050
23	जुगल, किशोर पित कालूराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 11/3/1 ✓	0.379	✓ 0.379
	योग	1	0.379	0.379
<b>कुलयोग :-</b>		<b>37</b>	<b>43.611</b>	<b>26.935</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ 5167 / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में व्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "व्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

ग्राम कडियामित्रसेन		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं0		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	4.114 हें0	-	4.114 हें0

### अनुसूची(2)

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	श्रीमति ग्यारसी बाई पलि गोकुल प्रसाद अहीर	220/1	0.211	0.161
2	श्रीमति गीता बाई बेबा हरि सिंह अहीर	220/2	0.210	0.131
3	श्रीमति गीता बाई बेबा हरि सिंह अहीर	222/2	0.388	0.200
4	श्रीमति गीता बाई बेबा हरि सिंह अहीर	244/2	1.265	0.008
5	बाबूलाल पिता गोपी लाल अहीर	220/3	0.210	0.063
6	जगदीश प्रसाद पिता गौकुल प्रसाद अहीर	221/2	0.658	0.020
7	श्रीमति ग्यारसी बाई पलि गौकुल प्रसाद अहीर	222/1	0.776	0.154

8	श्रीमति ग्यारसी बाई पत्नि गौकुल प्रसाद अहीर	219	0.569	0.360
9	श्रीमति ग्यारसी बाई पत्नि गौकुल प्रसाद अहीर	230	0.190	0.080
10	गौकुल प्रसाद पिता गोपी लाल अहीर	244/1	1.770	0.638
11	गंगा राम पिता प्रभू लाल अहीर	237	1.176	0.120
12	बनेसिंह पिता रत्न लाल अहीर	239/1	0.942	0.554
13	कैलाश नारायण पिता रत्न लाल अहीर	239/2	0.942	0.500
		234/3	0.064	0.005
14	भगवान सिंह पिता लक्ष्मी नारायण अहीर	261	0.746	0.005
15	भगवान सिंह पिता लक्ष्मी नारायण अहीर	263/1	0.569	0.115
16	शिव प्रसाद पिता रुग्नाथ सूतार निवासी चेनपुरा कला	262	1.063	0.410
17	शिव प्रसाद पिता रुग्नाथ सूतार निवासी चेनपुरा कला	266/1	0.202	0.093
18	राम प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण अहीर	266/2	0.823	0.357
19	भारत सिंह पिता रत्नलाल जाति अहीर	234/2	0.063	0.013
20	संमदर सिंह सूरज सिंह सोहन सिंह मनोहर सिंह पिता मंतरा अहीर	269/1	0.683	0.051
21	धापू बाई पत्नि राजा राम अहीर पाल जागीर	74/1	0.358	0.076
	योग कुल किता	21	13.878	4.114

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ 5168 / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि सलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

**प्रकरण क्रमांक** चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन प्रयोजन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

ग्राम कहारपुरा			तहसील नरसिंहगढ़		
संख्या	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकम है	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	
निजी	भूमि	4.330 हे	-	4.330 हे	

संख्या	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकम	प्रभावित रकम
1	2	3	4	7
1	अनारबाई पति बद्रीलाल दांगी	21/3/2/1	0.253	0.180
2	लीलाबाई पति रामनारायण	21/3/2/2	0.506	0.276
3	बद्री लाल पिता जगन्नाथ दांगी	21/2/1/1	0.633	0.220
4	रामनारायण पिता जगन्नाथ	21/3/1/2	0.291	0.070
5	लक्ष्मीनारायण पिता सलिगराम तेली	21/1/3	0.885	0.100
6	चंदन लाल पिता छीता राम दांगी	21/1/1	0.759	0.379
7	मांगी लाल पिता मदन लाल दांगी निवास धामदोर	21/7	0.658	0.386

8	राम किशन पिता छोता राम दांगी धामदोर	15	1.088	0.088
9	जितेन्द्र पिता मोती लाल धोबी नरसिंहगढ़	14/1	1.327	0.420
10	प्रेम नारायण पिता मांगी लाल अनिवास नरसिंहगढ़	14/2	1.328	0.420
11	गोवर्धन सिंह रमेश सिंह पिता देवी गुजर	12	2.453	0.506
		11	0.202	0.170
		9	0.24	0.039
		8	0.582	0.342
		42	1.303	0.440
12	कृष्ण गोपाल कृष्ण बल्लभ दिनेश पिता रामचरण सवित्री मोहिनी बाई पुत्री रामचरण धोबी नरसिंहगढ़	7	0.304	0.039
		40	1.391	0.111

		41	0.025	0.025
13	बापू लाल पिता मदन लाल दांगी	21/1/2	0.089	0.014
		21/2/3	0.291	0.090
		21/3/5	0.253	0.015
	योग कुल किता	13	14.608	4.330

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 25-अ-82-17-18-8132

बैतूल दिनांक 5/6 जुलाई 2018

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हेक्टेएर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	कुठखेड़ी	4.191	पारसंडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

**अनुसूची - 2**  
( प्रमाणित धारको की सूची )

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेएर में से	अर्जन की भूमि का रकबा हेक्टेएर में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	212/3	2.711	0.160	रघुनाथ व. जन्या कुन्ही सा. देह
	212/7	0.446	0.190	
	215/4	0.070	0.070	
2	141/3	0.253	0.253	लता जौ. मनोहर जाति कुबी सा० देह
3	236/2	0.243	0.100	मंजी बेवा श्यामू रामराव शेषराव देवराव व० श्यामू पूँजी जानता गुन्ता पिता श्यामू जाति कुबी सा० पौनी भूमि स्वामी
	212/5	3.540	1.200	
4	104/5	1.604	0.080	गुन्ता बेवा दयाराम, हेमंत व० दयाराम लीला निर्मला आशा पिता दयाराम सुलका पिता आत्माराम नवल किशोर गोकुल मनोहर गुड्डू व० फुस्ल्या कुसुम शकुन सुमन पिता फुस्ल्या जाति किराड़ सा० पौनी भूमि स्वामी
5	128/3	0.307	0.140	पारबती बेवा मिट्टू सनम बाबाराव व० मिट्टू मित्रा पिता मिट्टू कमला जया सया पूर्णा पिता पूँज्या जाति कुबी सा० पौनी भूमि स्वामी
	136/4	0.129	0.109	
6	225	1.234	0.300	आत्माराम गेंदू तापी चंद्रकला पिता गेंदू वामन व० भैयाजी गुनी रेणुका सिंधू पिता भैयाजी पता सा० देह भूमि स्वामी

7	233/4	0.251	<b>0.251</b>	श्रावण वा० गंगाराम कौसू उर्फ सुशिला काशी उर्फ कासू भागू पिता गंगाराम पता नि० ग्राम साठदेह भूमि स्वामी
8	212/6	0.668	<b>0.041</b>	चिंधी पिता संपत्ति जाति कुंबी सा० पौनी भूमि स्वामी
	215/3	0.922	<b>0.020</b>	
	236/3	0.284	<b>0.081</b>	
9	204/1	1.436	<b>0.856</b>	सोनी बेवा गरीब्या, नारायण रामजी वा० गरीब्या ठगू पिता गरीब्या अजाबराव पंजाबराव साहेबराव वामनराव वा० बाजेराव कासाबाई पिता बाजेराव जाति कुंबी पता नि० पौनी भूमि स्वामी
10	149	1.538	<b>0.070</b>	जयवंती सकु पिता भूरा गोविंदा बबलू कैलाश वा० संतोषराव भीरा अनिता सुनिता पिता संतोषराव पता सा० देह भूमि स्वामी
11	104/7	0.572	<b>0.140</b>	रामदयाल वा० आत्मराम सुलका उर्फ नान्ही पिता आत्मराम नवलकिशोर गोकूल मनोहर गुड्डू उर्फ अशोक वा० फुस्त्या उर्फ पुरषोत्तम, कुसुम शकुन उर्फ सकुत्तला सुमन उर्फ सुनीता पिता फुस्त्या उर्फ पुरषोत्तम जाति किराड सा० पौनी भूमि स्वामी
12	104/11	0.480	<b>0.130</b>	भैया वा० राधो चिंधीबाई बेवा रामा विष्णु वा० रामा काशी पिता रामा चंद्रकला बेवा देवराव लौकेश ना.बा. वा० देवराव ऐश्वर्या ना.बा. पिता देवराव वली मा चंद्रकला जाति कुंबी सा० पौनी भूमि स्वामी
योग	<b>18</b>	<b>16.688</b>	<b>4.191</b>	

(2) चूंकि पारस्परिक मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 20-अ-82-17-18-8131

बैतूल दिनांक 6 जुलाई 2018

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हेतुमें)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	पचधार	4.562	पारसङ्गोह मध्यम उद्वहन परियोजना

### अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हेतु में से	अर्जन की भूमि का रकबा हेतु में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	256/6	1.068	0.008	कैलाश व. मुन्नालाल लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश व. मुन्नालाल सुनीता रोशनी उर्फ रजनी व. मुन्नालाल बेबी उर्फ संतरी पिता श्रीराम वली जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
2	296/4	1.335	1.240	सुलोचना पिता बलीराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	297/6	0.648	0.085	सुलोचना पिता बलीराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
4	275/2	0.162	0.162	भागचंद नामदेव व. टीका मिठठो साकरो बुन्दन पिता टिका कौशल बेवा शान्तीलाल राजेश मुकेश किरण संगीता मंजू पिता शांतीलाल जाति मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
	290/1	1.239	1.239	शंकर व. बग्या शिवकला पिता बग्या जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
5	296/7	0.283	0.283	रमेश, दिलिप, दिनेश सुरेश रवि अनील सुनील पिता पुरणलाल करुणसिंहु लक्ष्मीनारायण, भवानीशंकर राजाराम व. शिवकिशोर अरुणा पिता शिवकिशोर जाति कलार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
6	272/1	0.516	0.516	

7	294/1	2.572	0.750	सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचंद्र रामकला पिता अमरचंद्र, कमलू बेवा उदेराम चटर दिपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
8	256/11	0.179	0.179	दिलिप व. रामचरण जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
9	262/8	0.090	0.090	रामदयाल व. श्रीराम देवकी पिता श्रीराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
10	260/1	0.648	0.010	सुरजलाल व. गेंदू भूता उर्फ शास्त्री पिता गेंदू पति किशोरी अंजीरा पिता गेंदू कला बेवा अमरलाल ईश्वरी उर्फ प्रभिला कविता पिता अमरलाल जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग	11	8.740	4.562	

(2) चूंकि पारसङ्गोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 24-अ-82-17-18-8405

बैतूल दिनांक 12 जुलाई 2018

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हेक्टेएर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (स०प्र०)	मुलताई	गरब्हा	27.925	पारसङ्गोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

( प्रमाणित धारको की सूची )

अंक्रो	खसरा नम्बर	रकबा हेठो में से	अर्जन की भूमि का रकबा हेठो में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	150	0.631	<b>0.631</b>	कला बेवा अमरलाल, सुरजलाल व. गेंदू पता सा.पचधार भूमिस्वामी
	151	0.380	<b>0.380</b>	
2	176	1.149	<b>0.150</b>	सुखदेव व. भभूत्या किराड़ सा. देवडोंगरी
	168/5	0.300	<b>0.300</b>	
	168/6	0.306	<b>0.306</b>	
3	178/1	0.522	<b>0.522</b>	सुखदेव पिता भभूत्या पता नि. देवडोंगरी
4	168/2	0.364	<b>0.364</b>	दयानंद, सुखदेव, नामदेव व. भभूत्या किराड़ सा. देवडोंगरी
	180/2	0.445	<b>0.445</b>	
5	435	2.133	<b>0.060</b>	सुन्दा पिता लक्ष्मी धुइया पिता रमवंद गोड सा. देह भूमिस्वामी
6	293/1	1.924	<b>1.924</b>	रामदास दिनेश पिता मारोती चंदरी सुगन्ती पिता मारोती जसोडा माणिकराव पिता बंगाली पता नि० ग्राम समान भाग, बहना बेवा गणपती दशरथ शिवा वारू व. गणपती काशी पिता गणपती जाति मेहरा सा. नांदकुड़ी भूमिस्वामी
	293/3	0.202	<b>0.202</b>	
7	67/2	1.256	<b>1.256</b>	हेमराज व. गणपती कुन्ची सा. देह
	157/1	3.438	<b>3.030</b>	
	122/2	0.368	<b>0.368</b>	
8	135/6	0.405	<b>0.405</b>	कला बेवा अमरलाल कविता ईश्वरी उर्फ प्रमिला पति धनराज, पिता अमरलाल सुरजलाल व. गेंदू भूता उर्फ शास्त्री पति किशोरी अंजीरा पिता गेंदू सा. पचधार भूमिस्वामी
	135/10	1.011	<b>1.011</b>	
	135/12	0.202	<b>0.202</b>	
9	164/1	3.793	<b>3.793</b>	गेंदराम व. तुकाराम धुरु धुस्या व. बकाराम कुन्ची पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
10	18/2	0.113	<b>0.080</b>	मानिकराव व. श्यामू जाति कुन्ची पता नि ग्राम भूमिस्वामी
	33/2	0.505	<b>0.340</b>	
	447/3	0.202	<b>0.110</b>	
	448/5	1.862	<b>0.250</b>	

12	18/1	0.113	<b>0.080</b>	मोरेश्वर व. तीमा चंद्रकला सुमन वच्छला उर्फ राधिका पिता तीमा पति तुलसीराम इदिरा उर्फ कमला पिता तीमा पति घनश्याम जाति कुन्ही पता नि ग्राम भूमिस्वामी
13	447/2	0.607	<b>0.430</b>	मोरेश्वर व. तीमा कुन्ही पता नि ग्राम भूमिस्वामी
14	168/1	0.578	<b>0.578</b>	किसना साहेबराव सुरेश, गुणवंत, वासुदेव व. भूरा सुशीला पिता भूरा गेंदा उर्फ गेंदया व. गणपत बाया अलाखी पिता गणपत कुन्ही पता नि. गौला भूमिस्वामी
14	180/1	0.405	<b>0.405</b>	
14	180/4	0.359	<b>0.359</b>	
15	88/1	0.211	<b>0.211</b>	गथा बेवा गोविंदराव निर्मला बेवा सीताराम सुरेश योगेश पिता सीताराम रेखा कविता पिता सीताराम काशीनाथ जगन्नाथ व. गोविंदराव दशरथ व. तुनका जनु बेवा पंजाबराव निर्मला गीता पिता पंजाबराव अंजू उर्फ पारबती पिता तुनका पति वामनराव गीता बेवा बाबाराव सनी व. बाबाराव कलीराम वामनराव व. तुनका भालता पिता तुनका सुमाष माधोराव व. तुनु रमेश, दिनेश, निलेश अनील व. धर्मराव कुन्ही पता नि. गौला भूमिस्वामी
16	133/1	1.032	<b>0.422</b>	मालती पति सायबू किराङ पता नि. पच्चाधार भूमिस्वामी
16	145/10	0.202	<b>0.202</b>	
17	274/2	0.405	<b>0.405</b>	सुशीला पिता चैतराम पति गरीबदास नि. नांदकुड़ी भूमिस्वामी
18	178/2	0.522	<b>0.522</b>	नल्लू नारायण व. गज्जा बाया कमला पिता गज्जा जाति कुन्ही पता नि. जामगांव
19	294	0.571	<b>0.571</b>	रामदास दिनेश व. मारोटी चंद्री भगुन्ठी पिता मारोटी बहना बेवा गणपती दशरथ वारू व. गणपती काशी पिता गणपती ईना ईना पिता रामचन्द्र गरीबदास व. दयाल पंचफूला पिता दयाल जाति बेहरा पता नि. नांदकुड़ी भूमिस्वामी
20	72/1	0.313	<b>0.313</b>	मानिकराव व. सम्पती प्रेति वर्षा उर्फ वैशाली पिता गोविंदराव जाति कुन्ही पता नि ग्राम भूमिस्वामी
20	91/2	0.498	<b>0.498</b>	
20	93/1	0.202	<b>0.202</b>	
20	94/1	0.033	<b>0.033</b>	
20	96/2	0.085	<b>0.085</b>	
20	100/1	0.168	<b>0.168</b>	
20	103/2	0.196	<b>0.196</b>	
21	309	3.209	<b>0.560</b>	फूलचंद विनोदी भूरा व. भाकचंद फुल्लु पिता भाकचंद साहेबलाल दुल्लू पिलकचंद व. गणपत झापू पिता श्यामलाल पता नि. बोरगाव भूमिस्वामी
21	310	0.263	<b>0.050</b>	
22	200/1	0.201	<b>0.201</b>	सन्तोषराव व. लक्ष्मण जाति कुन्ही पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
23	256	2.914	<b>2.664</b>	सुभाष व. रामू सुमित्रा सुनिता पिता रामू कौशु बेवा रामू श्यामू व. घनसा मुशिया पिता घनसा गोंड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
24	252/2	0.767	<b>0.390</b>	भीमराव व. बाबूजी जाति कुन्ही पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
25	257/1	3.966	<b>0.850</b>	नारायण पिता भीमराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग	51	<b>42.830</b>	<b>27.925</b>	

(2) चूंकि पारसंडोह मध्यम उद्यवहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 22-अ-82-17-18-8406

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हेक्टेएर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	देवडोंगरी	28.338	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

### अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

आठवाँ नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेएर में से	अर्जन की भूमि का रकबा हेक्टेएर में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	68	0.081	0.081	भीमराज व. देवसिंग गुलाबराव पंजाबराव, छोटेलाल व. दयाराम जाति किराड़ पता सा.देह. भूमि स्वामी
2	104	0.979	0.979	भद्रा व. फगन्या, सारजी बेवा फगन्या पता सा.देह भूमि स्वामी
3	178	1.011	0.350	बाबूराव, बुधराव, दादूराव, पंडरी, प्रकाश व. दौलत, कोल्ही वे. दौलत, पूला, निर्मला पिता दौलत वच्छला इन्दिरा पिता चिन्ध्या, वारु व. दयाल मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	180	3.925	0.200	
4	79	0.045	0.045	तुलसी व. रामा तुमड़ी वे. चिन्ध्या पता सा.गुढ़ी भूमि स्वामी
5	4/1	10.090	7.085	श्रीराम, किशोरी, हरीराम, दिनू वल्द नथ्यु, रामकिशन मनोहर जवाहरलाल चन्द्रभान व0 फत्या रामप्यारी अनुसुइया निर्मला पिता फत्या अंजी इयामा, प्रमीला पिता नथ्यु जाति किराड़ पता निवासी नांदकुड़ी भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता
	6	3.088	3.088	
	10	1.777	1.777	
	12/1	4.532	0.370	
	20	0.684	0.684	
6	4/3	2.025	1.525	अनिल सुभाष व0 सुखदेव किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	4/4	2.500	2.500	सूर्यकांत व0 खेमराज जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भैसदेही भूमि स्वामी
	12/2	0.607	0.607	

<b>8</b>	<b>93</b>	<b>2.197</b>	<b>2.197</b>	रामकिशन व० श्यामराव पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार ग्राम नौकर भू राजस्व शामिल लगानमुक्त
<b>9</b>	<b>26/2</b>	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>	रामकिशोर रामराव व. भीमराज हैबती मीरा पिता भीमराज जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
	<b>44/2</b>	<b>0.433</b>	<b>0.433</b>	
	<b>45/2</b>	<b>0.522</b>	<b>0.522</b>	
	<b>52/2</b>	<b>0.554</b>	<b>0.554</b>	
	<b>74/2</b>	<b>0.009</b>	<b>0.009</b>	
	<b>86/2</b>	<b>0.036</b>	<b>0.036</b>	
	<b>89/2</b>	<b>0.044</b>	<b>0.044</b>	
<b>10</b>	<b>77</b>	<b>0.016</b>	<b>0.016</b>	पंजाबराव व. चिंध्या फुलवा कांता द्वारकी पिता चिंध्या संगीता जौ दिलिप जाति मेहरा नि. ग्राम भूमिस्वामी
<b>11</b>	<b>69</b>	<b>0.057</b>	<b>0.057</b>	सावन्या मंगल व. चैतराम फगनी पिता चैतराम फूलबंती बेवा महेंग्या रामदयाल दिनदयाल पिंटू उर्फ संतोष व० महेंग्या सुमत्री भागरती सावित्री अनीता इमला उर्फ विमला पिमा महेंग्या जाति ढिमर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
<b>12</b>	<b>76</b>	<b>0.016</b>	<b>0.016</b>	कला सयजा देवकी पिता चिंधू पता सा. देह भूमिस्वामी
<b>13</b>	<b>30/5</b>	<b>1.547</b>	<b>1.070</b>	सुशिला उर्मिला पिता रतिराम किराड पता नि. नांदकुड़ी
	<b>31/1</b>	<b>0.729</b>	<b>0.050</b>	
<b>14</b>	<b>14/1</b>	<b>1.562</b>	<b>1.562</b>	मंगली, कला पिता अंछाराम, सुखदेव, हेमराज, धनराज उर्फ सिटटी, बिसन, किसनलाल, व० तुलसीराम, मीरा, सूगन्ती, रामरती, फुलबंती, कलावंती, निर्मला पिता तुलसीराम पूजी बेवा बालाराम शांता व० विजयशंकर सुदन अभिराम व० बालाराम ईमला लीला उर्मिला रमल सुनिता पिता बालाराम उर्फ प्यारेलाल भजनलाल व० विजयशंकर मिना उमा पिता विजयशंकर सावजी व० परसराम सुनिता जौ० गुलाबराव जाति किराड पता निवासी नांदकुड़ी भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता
	<b>16</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	
<b>योग</b>	<b>28</b>	<b>41.547</b>	<b>28.338</b>	

(2) चूंकि पारसपारोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, इस ग्राम के आवादी के मकान धारकों का विस्थापन हो रहा है जिनके विस्थापन की कार्यवाही पृथक से प्रचलित होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया गया।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शाशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्रकरण क्रमांक 172-अ-82-2017-18

शिवपुरी, दिनांक 13 जुलाई 2018

चूंकि राज्य शासन को उस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के ग्राम नारौनी की ढूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्रमांक 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची क्रमांक 02 की भूमि अनुसूची क्रमांक 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची क्रमांक :-: 01**

लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण में ढूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का पत्रक		
ग्राम :- नारौनी	तहसील – खनियाधाना	जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
विवरण	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में
लेअर ओर बांध निर्माण की ढूब से प्रभावित होने से	171.480	171.480
कुल योग :-:		

**अनुसूची क्रमांक :-: 02**

क्रमांक	कृषक का नाम पिता / पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
संलग्न				

स. क्र. 172 जहाँ सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ नारौनी ग्राम खनियाधाना तालुक /उपखंड /तहसील /ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 171.480 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् ।

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 171.480 हेक्टेयर है जो ग्राम नारौनी तालुक /उपखंड /तहसील /ब्लॉक (यथा लागू) खनियाधाना जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत व्योरा निम्नलिखित है :

संख्या	चर्चण संख्या	स्थगित का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	अर्जन का केन्द्र हेक्टेयर में	कुल का नाम सिवा/पर्याप्ति का नाम विवर स्थान	संभार			संरक्षण		
							उ०	द०	प०	प०	प्रकार	कुर्सी एवं क्रमांक
4	2	3	4	5	6	7						9
	1	भू-स्थानी	सिवित	0.620	0.620							
6	6	भू-स्थानी	सिवित	0.420	0.420							
13	13	भू-स्थानी	सिवित	1.150	1.150							
77	77	भू-स्थानी	सिवित	0.650	0.650							
78	78	भू-स्थानी	सिवित	0.720	0.720							
125	125	भू-स्थानी	सिवित	0.670	0.670							
183	183	भू-स्थानी	सिवित	0.070	0.070							
189	189	भू-स्थानी	सिवित	0.470	0.470							
292	292	भू-स्थानी	सिवित	0.270	0.270							
1	293	भू-स्थानी	सिवित	0.060	0.060							
297	297	भू-स्थानी	सिवित	0.060	0.060							
361	361	भू-स्थानी	सिवित	0.050	0.050							
363	363	भू-स्थानी	सिवित	0.710	0.710							

म.रज्जुराई रेवा ऊधमसिंह-कपदानसिंह  
जपटेलराई जातीशासिंह पुरीगण ऊधमसिंह  
कमलाराई सातिरी मुरुखीराई अरामवाई  
भागवती पुरीगण-ऊधमसिंह जाति यादव  
पता नि.प्रयाण\*\*\* भूमि स्थानी स्टेट बैक ऑफ  
इंडिया गोर्खी चौक शासा खनियाधाना म०  
सम्पूर्ण खाता दि 20-07-06 से कथक है।

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	व्यापिक वर्क का प्रकार	प्रमि का प्रकार	फूल बोन (लि.)	आवेदन का दृष्टि देखेगा में	उपकरण का गमन फिला/पहिले का गमन फिला	सीमांग				सांख्यना	
							उ०	द०	प०	प०	प्रकार	कुल घोरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	प्रकार	—
	395	मू-स्वामी	सिंचित	0.370	0.370		292	394	397	365	—	—
	400	मू-स्वामी	सिंचित	0.440	0.440		288	406	397	—	—	—
	414	मू-स्वामी	सिंचित	0.440	0.440		413	415	417	417	—	—
	415	मू-स्वामी	सिंचित	0.140	0.140		414	414	417	417	—	—
	416	मू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060		415	417	नाला	नाला	—	—
	4	मू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040		5	3	5	2	—	—
	8	मू-स्वामी	सिंचित	0.590	0.590		संबोज	9	10	6	—	—
	14	मू-स्वामी	सिंचित	1.220	1.220		संबोज	नदी	15	13	—	—
	85	मू-स्वामी	सिंचित	0.400	0.400		रास्ता	84	84	40	—	—
	118	मू-स्वामी	सिंचित	0.150	0.150		107	126	116	119	—	—
	119	मू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100		117	126	116	120	—	—
	120	मू-स्वामी	सिंचित	0.240	0.240		121	126	119	122	—	—
	181	मू-स्वामी	सिंचित	0.380	0.380		190	151	179	182	—	—
	184	मू-स्वामी	सिंचित	0.310	0.310		185	183	189	142	मकान पक्का	3.6
	190	मू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080		189	181	191	183	—	—
2	233	मू-स्वामी	सिंचित	1.510	1.510	निगम भूमि खाली मध्य भारत ग्रामीण बैक शाखा वामार कर्तों में सम्पूर्ण खाला कर्तक है।	330/9	236	236	334	—	—
	286	मू-स्वामी	सिंचित	0.070	0.070		327	294	297	260	—	—
	296	मू-स्वामी	सिंचित	0.210	0.210		327	294	297	260	—	—
	325	मू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060		324	327	348	246	—	—
	360	मू-स्वामी	सिंचित	0.300	0.300		334	362	293	359	—	—
	394	मू-स्वामी	सिंचित	0.610	0.610		365	411	396	393	—	—
	401	मू-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120		आखाड	402	403	राजस्ता	—	—
	413	मू-स्वामी	सिंचित	0.190	0.190		393	412	394	414	—	—
	434	मू-स्वामी	सिंचित	0.180	0.180		430	483	436	430	—	—
	435	मू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100		434	436	438	442	—	—
	440	मू-स्वामी	सिंचित	0.430	0.430		439	नदी	441	432	—	—

धारासिंह पुत्र रामदयाल जाति यादव पता  
निगम भूमि खाली मध्य भारत ग्रामीण बैक  
शाखा वामार कर्तों में सम्पूर्ण खाला कर्तक है।

मार्ग संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	दोष का नाम विवर/परिकार	दोष का नाम विवर/परिकार/जाति का नाम विवर	सीमाएं				सरकारी		
							उ.	द०	पू.	प०	प्रकार	कुली संख्या	
1	2	3	4	5	6	7						9	
3	10	भू-स्थानी	सिंचित	3.950	3.950	मुश्कुक पुरुष महाराजसिंह हि 2, संजयसिंह, पुरुषाण सुदामासिंह, हनमामसिंह गणेशसिंह पुरुषाण जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्थानी बेतालसिंह हि 27 लक्ष्मणसिंह पुरुष दातार सिंह, 11/42 रामराजा शिवराज पुरुषाण शिवराजसिंह जाति यादव पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्थानी	11	9	13	8	—	—	
11	भू-स्थानी	सिंचित	0.920	0.920			स. चन	10	13	8	—	—	
15	भू-स्थानी	सिंचित	2.270	2.270			नदी	19	14	—	—	—	
49	भू-स्थानी	सिंचित	1.010	1.010			50	48	55	47	—	—	
131	भू-स्थानी	सिंचित	0.800	0.800			आन चला	140	121	144	—	—	
132	भू-स्थानी	सिंचित	0.120	0.120			131	195	नाला	135	—	—	
135	भू-स्थानी	सिंचित	0.030	0.030			131	136	131	126	—	—	
212	भू-स्थानी	सिंचित	0.150	0.150			227	214	212	214	—	—	
213	भू-स्थानी	सिंचित	0.180	0.180			236	246	236	238	—	—	
237	भू-स्थानी	सिंचित	0.720	0.720			272	275	270	274	—	—	
273	भू-स्थानी	सिंचित	0.060	0.060			272	275	270	274	—	—	
274 वे	भू-स्थानी	सिंचित	0.200	0.200			259	275	273	305	भक्ता न पवका	297.66	
4	298	भू-स्थानी	सिंचित	0.070	0.070	नेव्रपालसिंह तखरसिंह-पंज भगवानसिंह सुमित्रावाइ वेवा भगवानसिंह पुरुष भगवानसिंह वेवा भगवानसिंह पुरुष भगवानसिंह - कल्याणसिंह राजेन्द्रसिंह पुरुषाण संगमसिंह, भूमि स्थानी मुरीबाई पुरुषी संगमसिंह, जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्थानी	297	299	280	290	—	—	
305	भू-स्थानी	सिंचित	0.040	0.040			304	309	316	301	—	—	
306	भू-स्थानी	सिंचित	0.780	0.780			305	323	327	307	—	—	
316	भू-स्थानी	सिंचित	0.530	0.530			315	347	343	315	—	—	
370	भू-स्थानी	सिंचित	0.350	0.350			363	380	369	389	—	—	
387	भू-स्थानी	सिंचित	0.850	0.850			388	नदी	391	381	—	—	
389	भू-स्थानी	सिंचित	0.270	0.270			371	380	390	380	—	—	
422	भू-स्थानी	सिंचित	0.390	0.390			420	420	417	420	—	—	
423	भू-स्थानी	सिंचित	0.860	0.860			424	437	422	429	—	—	
425	भू-स्थानी	सिंचित	0.040	0.040			424	434	429	230	—	—	
511	भू-स्थानी	सिंचित	0.520	0.520			503	नदी	स.वन.	510	—	—	

संख्या संख्या	स्थानिक का प्रकार	प्रौढ़ का हूल सेवन (१)	उपचार का देव दाता सेर में	उपचार का नाम फिला/प्रसिद्ध नाम नियम ज्ञान	सीमांग्				सामग्री				
					२	३	४	५	६	७	८	९	
1	12/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.200	0.200					स.वन	10	13	11
	19	मू-स्वामी	सिंचित	0.580	0.580					नदी	22	20	—
	209	मू-स्वामी	सिंचित	0.650	0.650					222	208	207	12
	323/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.070	0.070					306	330	324	323/2
	327	मू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080					326	328	296	329
5	334	मू-स्वामी	सिंचित	0.090	0.090					335	351	332	359
	336	मू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040					337	352	334	372
	430/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.500	0.500					429	रास्ता	436	नाला
	461	मू-स्वामी	सिंचित	0.270	0.270					462	460	466	411
	462	मू-स्वामी	सिंचित	0.410	0.410					407	464	406	461
	464/2	मू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020					464/1	472	463	465
	12/2	मू-स्वामी	सिंचित	0.700	0.700					दन	10	13	12/1
	22	मू-स्वामी	सिंचित	0.150	0.150					18	42	23	21
	42	मू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060					रास्ता	नदी	43	रास्ता
	301/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.010	0.010					399	304	301/2	394
	328/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080					327	326	327	329
	335	मू-स्वामी	सिंचित	0.130	0.130					330	334	332	337
	337	मू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050					338	336	334	347
	377	मू-स्वामी	सिंचित	0.130	0.130					बहिया	383	382	376
6	383	मू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020					376	384	377	नाला
	429	मू-स्वामी	सिंचित	0.430	0.430					426	430	423	428
	460	मू-स्वामी	सिंचित	0.260	0.260					461	459	467	412

एमसब्लॉडी देवा नामनिहि - नीलमसिंह - बलवीरसिंह पुरा. नथनसिंह 1/2 तापननसिंह पुरा पीतमसिंह 1/2 जाति पादव पता नियामी ग्राम भूमि स्थामी मध्य भरत ग्रामीण देवक शाखा बामीरकाल में स्थापूर्ण आता दिन 07-10-13 से रथक है।

लाष्णनसिंह नावा पुरांगलसिंह अशा युद्धी नावा पत्रीगण दालसिंह. हरकुवर बेला दंगलसिंह जाति पादव पता नियाम भूमि लामी

क्रमांक	संरक्षण संख्या	स्थानिक फा. प्रकार	भूगोल का प्रकार	भूल कोड (इ)	वर्जन का दोनों हेवटेग्स में	वर्जन का गति भूगोल/पर्यावरण विषय	सीमाएं			संरक्षण		
							उ०	द०	पू	प०	पकार	कुल परिणा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	
464/1	मू-स्वामी	सिचित	0.180	0.180			462	472	463	465	—	
465	मू-स्वामी	सिचित	0.150	0.150			462	472	464	466	—	
474/1	मू-स्वामी	सिचित	0.130	0.130			472	नाला	474/2	—	—	
476	मू-स्वामी	सिचित	0.110	0.110			451	479	475	477	—	
477	मू-स्वामी	सिचित	0.250	0.250			476	478	479	451	—	
478	मू-स्वामी	सिचित	0.160	0.160			451	479	477	नाला	—	
7	17	मू-स्वामी	सिचित	0.380	0.380	जगतीष पव भेयालाल जाति यादव पता ति.ग्राम भूमि स्वामी	16	18	23	15	—	
18	मू-स्वामी	सिचित	1.290	1.290			17	19	23	15	—	
244/1	मू-स्वामी	सिचित	0.200	0.200			245	244/2	257	243	—	
301/2	मू-स्वामी	सिचित	0.030	0.030			301/1	304	302	307	—	
326	मू-स्वामी	सिचित	0.130	0.130			300	327	296	325	—	
353	मू-स्वामी	सिचित	0.150	0.150			322	354	361	350	—	
8	374	मू-स्वामी	सिचित	0.140	0.140	अधरसिंह थीरजसिंह जगदीशसिंह काठानसिंह पुत्रण भेयालाल लिंगा पुरी भेयालाल-शिवालाल वेवा भेयालाल जाति यादव पता नि.वासी.ग्राम- भूमि स्वामी	373	376	बंधिया	375	—	—
376	मू-स्वामी	सिचित	0.110	0.110			374	नाला	377	375	—	
418	मू-स्वामी	सिचित	0.060	0.060			417	414	413	416	—	
470	मू-स्वामी	सिचित	0.290	0.290			471	453	474	467	—	
474/2	मू-स्वामी	सिचित	0.480	0.480			474/1	नाला	नाला	470	—	
20	मू-स्वामी	सिचित	0.200	0.200			18	नदी	21	19	—	
61	मू-स्वामी	सिचित	1.080	1.080			नाला	नदी	75	नाला	—	
146	मू-स्वामी	सिचित	0.400	0.400			रास्ता	84	145	147	—	

क्रमसंख्या	संचया	सामित्र का प्रकार	ग्रनी का प्रकार	कुल दोष (₹)	बजार का दोष	बजार का नाम विषय	चौथा एवं				सारकरा	
							उ०	द०	पू	प०	प्रकार	कुल धेरिया
							४	५	६	७	८	९
1	2	3	4	0.390	0.390		179	170	192	170	अकाल पक्षा	11.62
	178	भू-स्वामी	सिंचित	0.370	0.370		179	176	178	180	—	—
	179	भू-स्वामी	सिंचित	0.450	0.450		191	178	192	181	—	—
	191	भू-स्वामी	सिंचित	0.200	0.200		192	178	192	181	—	—
	192	भू-स्वामी	सिंचित	0.530	0.530		193	178	198	191	—	—
	193	भू-स्वामी	सिंचित	0.200	0.200		194	191	192	189	—	—
	194	भू-स्वामी	सिंचित	0.620	0.620		197	200	नाला	193	—	—
	197	भू-स्वामी	सिंचित	0.660	0.660		203	नाला	207	महान पक्षा	6.25	—
	203	भू-स्वामी	सिंचित	0.780	0.780		206	207	211	—	—	—
	206	भू-स्वामी	सिंचित	0.540	0.540		247	253	249	246	—	—
	247	भू-स्वामी	सिंचित	0.150	0.150		329	कुआ	327	330	—	—
	329	भू-स्वामी	सिंचित	0.110	0.110		359	371	370	358	—	—
	359	भू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080		399	399	396	400	—	—
	399	भू-स्वामी	सिंचित	0.260	0.260		411	461	410	412	—	—
	411	भू-स्वामी	सिंचित	0.290	0.290		412	460	411	497	—	—
	412	भू-स्वामी	सिंचित	0.780	0.780		479	480	484	477	—	—
	479	भू-स्वामी	सिंचित	0.260	0.260		480	479	नाला	481	—	—
	480	भू-स्वामी	सिंचित	0.240	0.240		21	भू-स्वामी	सिंचित	20	—	—
	21	भू-स्वामी	सिंचित	0.550	0.550		10	भू-स्वामी	सिंचित	18	नदी	—
	437	भू-स्वामी	सिंचित	1.080	1.080		23	भू-स्वामी	सिंचित	22	—	—
	23	भू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030		25	भू-स्वामी	सिंचित	423	436/2	422
	25	भू-स्वामी	सिंचित	0.400	0.400		29	भू-स्वामी	सिंचित	422	430	—
	29	भू-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170		43	भू-स्वामी	सिंचित	नाला	18	—
	43	भू-स्वामी	सिंचित	0.450	0.450		45	भू-स्वामी	सिंचित	रास्ता	—	—
	45	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100		27/1	भू-स्वामी	सिंचित	वन	30	26
	27/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.090	0.090		30/1	भू-स्वामी	सिंचित	रास्ता	—	—
	30/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170		47/1	भू-स्वामी	सिंचित	32	31	30/2
	47/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.49	0.49					48	47/2	—

रामराजा शिवराजसिंह पुत्राण गिरवरसिंह  
जाति यादव पता निशाम भूमि स्वामी  
दयराम कृपालहरबन रामसिंह पुत्राण  
गोविन्दसिंह कपूरी पुत्री गोविन्दसिंह जाति  
यादव पता निशाम भूमि स्वामी तिलकराम  
पुत्राणसिंह जाति यादव पता निशाम भूमि  
स्वामी

संख्या	सर्वेक्षण का प्रकार	गुण का प्रकार	कुल कीमत (₹)	अधिन का सेवन के लिए उपयोग में	सीमांड				संख्या
					उ०	द०	प०	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	107/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.110	0.110	107/1	119	117	121
	117	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050	108	118	116	107
	121/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120	121/1	126	126	86
	147/1	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170	रास्ता	147/2	146	84
	169/1	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.180	0.180		170	161/9	167
	170/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.460	0.460	170/1	170/3	169	169/2
	170/3	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.460	0.460	170/2	170/4	168	171
	198/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170	198/1	198/3	197	170
	199/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.220	0.220	199/1	199/3	200	168
12	199/3	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.230	0.230	199/2	199/4	168	—
	289/1	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.010	0.010	288	285	283	286
	341	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060	333	347	359	327
	346/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.600	0.600	346/1	348	350	362
	350	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.240	0.240	351	355	353	348
	397/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050	397/1	408	400	395
	407	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.260	0.260	408	462	406	410
	428/1	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040	428/2	429	432	440
	436/3	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.300	0.300	438	440	431	436/2
	482/3	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.110	0.110	482/2	नदी	483	481
	488	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.510	0.510	485	नदी	489	483
	27/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100	नाला	रास्ता	32	27/1
	30/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.090	0.090	31	28	31	30/1
	47/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.240	0.240	रास्ता	नदी	47/3	47/1
	107/1	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120	नाला	111	110	121
	121/1	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120	106	120	107	127/2
	147/2	मूँ-स्वामी	सिंचित	0.180	0.180	147/1	84	146	84

गजेन्द्रसिंह पुर बेलासिंह जाति यादव पता  
नि.ग्र. 'प्रमि' स्वामी मध्य भरत ग्रामीण बैक  
शाखा वाराणकर्ता में सम्पूर्ण खाता दि. 18-05-  
10 से कम्बक है।

संख्या	नाम	समाप्ति का प्रकार	गणि का प्रकार	बाजान का देव उत्तरार्थ में	नीतांग				सरकार			
					उत्तरार्थ	द०	पू	प०	प्रकार	कुल रेटिंग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
1	16912	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.170	0.170	170	161/9	167	169/1	—	—	
13	1701	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.560	0.560	178	170/2	199	170/2	—	—	
	1704	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.570	0.570	170/3	169	168	171	—	—	
	1983	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.160	0.160	198/2	199/1	197	170	—	—	
	1991	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.300	0.300	198/3	199/2	197	170	—	—	
	1994	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.260	0.260	199/3	128	168	—	—	—	
	289/4	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.010	0.010	289/3	287	288	288	—	—	
	318	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.070	0.070	316	321	329	280	—	—	
	320	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.090	0.090	319	326	321	294	—	—	
	346/3	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.050	0.050	346/2	348	350	362	—	—	
	397/3	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.060	0.060	397/2	408	400	395	—	—	
	409	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.170	0.170	395	410	408	411	—	—	
	428/2	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.050	0.050	428/1	429	432	440	—	—	
	482/2	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.140	0.140	482/2	नदी	483	481	—	—	
14	484/2	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.100	0.100	485	483	488	484/1	—	—	
	489	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.420	0.420	रास्ता	नदी	490	488	—	—	
	27/3	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.120	0.120	32	रास्ता	27/2	27/1	—	—	
	47/3	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.340	0.340		रास्ता	नदी	47/4	47/2	—	
	210	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.020	0.020	211	209	208	222	—	—	
	211/2	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.040	0.040	211/1	210	206	222	—	—	
	222/1	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.190	0.190	221	209	222/2	221	—	—	
	222/4	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.200	0.200	222/5	209	211	222/3	—	—	
	235/2	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.150	0.150	234	239	235/3	235/1	—	—	
	235/3	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.150	0.150	234	239	235/4	235/2	—	—	
	289/2	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.020	0.020	289/1	288	285	286	—	—	
	317	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.200	0.200	315	318	327	298	—	—	
	343	मूँ-स्वामी	सिद्धित	0.080	0.080	343	346	347	316	—	—	

हरनामसिंह पूजन बैतालसिंह जाति यादव  
पता निय. भूमि स्वामी ग्राम प्रभागी  
बैक शाखा चामोरकला से सम्पर्ण छाता  
दि. 18-05-10 से वर्षक है।

इकुमसिंह - पहलादसिंह नेपालसिंह पुजारा  
सज्जमसिंह मीरवाई पुरी सज्जमसिंह जाति  
यादव पता नियांसी ग्राम भूमि स्वामी

संख्या	उचितवाक्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल देवत (हे.)	अर्जन का देवत हिस्टेट में	सीमांड				सरकारी		
					उ.	द०	पू	प०	प्रकार	दूरी में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	39711	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050				399	397/2	400
	410	भू-स्वामी	सिंचित	0.210	0.210				409	62	407
	436/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.630	0.630				438	440	439
	451/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.330	0.330				452	477	451/2
	475/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.250	0.250				475/1	485	476
	482/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.110	0.110				481	483	482/3
	483	भू-स्वामी	सिंचित	0.500	0.500				484	नदी	488
	497	भू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040				496	रास्ता	475
	27/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120				28	रास्ता	27/3
	47/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.410	0.410				47/3	नदी	48
	198/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170				192	198/2	197
	207/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.280	0.280				207/1	नाला	203
	211/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020				212	211/2	206
	222/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.190	0.190				222/1	222/5	209
	222/3	भू-स्वामी	सिंचित	0.200	0.200				222/5	209	211
	235/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.150	0.150				234	239	235/2
	235/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.150	0.150				234	239	245
	289/3	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020				289/2	288	287
	346/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060				346/2	347	378
	397/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050				397/3	408	400
	408	भू-स्वामी	सिंचित	0.230	0.230				397	407	409
	436/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.330	0.330				436/2	437	442
	451/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.330	0.330				451/1	477	475
	475/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.260	0.260				472	475/2	रास्ता
	481	भू-स्वामी	सिंचित	0.630	0.630				484	नदी	482
	482/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.140	0.140				484	482/2	483
15											481

सुदमसिंह पुत्र बेतालसिंह जाति यादव  
पता निःगा. भूमि स्वामी मध्य भारत प्राचीन  
बैक शाखा वामोरकल्प में सम्पूर्ण छाता  
दिनांक 24-05-10 से वक्त है।



संख्या	स्थानिक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल कोटि (₹)	वर्जन का कोटि में	दृष्टक वा गम फिला/फसी का गम निवास स्थान	सीमाएँ				संरचना		
						उ०	द०	ए०	प०	प्रकार	कुलमात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	प्रकार	कुलमात्रा	
1	324	भू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040	323 / 2	325	306	330	प्रकार	4.00	
18	328/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080	328 / 1	286	327	332	—	—	
	352	भू-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120	346	353	363	351	—	—	
	373	भू-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120	372	374	371	356	—	—	
	375	भू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080	356	नाला	376	नाला	—	—	
	466	भू-स्वामी	सिंचित	0.200	0.200	461	471	465	467	—	—	
	467	भू-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170	466	468	470	460	—	—	
	471	भू-स्वामी	सिंचित	0.130	0.130	472	470	474	466	—	—	
	472	भू-स्वामी	सिंचित	0.140	0.140	464	474 / 1	नाला	471	—	—	
	474/3	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100	470	नाला	474 / 2	नाला	—	—	
	66	भू-स्वामी	सिंचित	0.300	0.300	64	नाला	67	65	—	—	
	67	भू-स्वामी	सिंचित	0.240	0.240	73	नदी	68	66	—	—	
	113	भू-स्वामी	सिंचित	0.360	0.360	उमरौआ सेवलाल रामसिंह पुराण अंता जाति सेहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	रास्ता	112	नाला	—	—	
19	139	भू-स्वामी	सिंचित	0.670	0.670	218	140	121	145	—	—	
	219	भू-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170	217	224	220	225	—	—	
	220	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100	217	221	222	219	—	—	
	240	भू-स्वामी	सिंचित	1.090	1.090	234	242	238	नाला	—	—	
	68	भू-स्वामी	सिंचित	0.310	0.310	69	67	164	70	—	—	
	69	भू-स्वामी	सिंचित	0.090	0.090	59	56	71	72	—	—	
20	70	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100	71	73	69	73	—	—	
	71	भू-स्वामी	सिंचित	0.220	0.220	72	70	69	73	—	—	
	72	भू-स्वामी	सिंचित	0.890	0.890	73	71	163	71	—	—	
	73	भू-स्वामी	सिंचित	1.820	1.820	74	64	72	63	—	—	
	76 त	भू-स्वामी	सिंचित	1.100	1.100	83	75	158	82	—	—	
21	167	भू-स्वामी	सिंचित	0.750	0.750	168	नाला	429	169	—	—	

निलोकसिंह पुर भैयलाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी मध्य स्वामी मध्य भरत प्रायण बैक शाखा बानरकर्ता मे समर्पण आता दि. 13.09.2018 से चक्क है।

इमरत देवसिंह-रांगड़, बबलू पुराण गानपत रूपवती पुरी गानपत 13 परसाठी महीया पुराण उदा 2/3 जाति सेहर पता नि.ग्राम स्वामी

संख्या	सर्वेक्षण का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (डे)	अर्जन का क्षेत्र एवं उत्तराधिकारी	सीमाएं				संरचना		
					उ०	द०	ए	प०			
1	2	3	4	5	6	7	भूमि स्थानी	8	9		
	168	भू-स्थानी	सिंचित	0.350	0.350	पाण्य पुराण घटनाची मासन्तोषी देवा घटनाची 1/2 कुराई पुनर्वाप्ति तोकान रिह टि 1/2 सहर जाते सेहर पता निवासी ग्राम चुरल खिकडाडा बदरी भूमि स्थानी	199	167	199	170/5	—
22	82	भू-स्थानी	सिंचित	0.660	0.660	पाण्य पुराण घटनाची मासन्तोषी देवा घटनाची 1/2 कुराई पुनर्वाप्ति तोकान रिह टि 1/2 सहर जाते सेहर पता निवासी ग्राम चुरल खिकडाडा बदरी भूमि स्थानी	84	77	76	79	—
	164	भू-स्थानी	सिंचित	1.610	1.610	पाण्य पुराण घटनाची मासन्तोषी देवा घटनाची 1/2 कुराई पुनर्वाप्ति तोकान रिह टि 1/2 सहर जाते सेहर पता निवासी ग्राम चुरल खिकडाडा बदरी भूमि स्थानी	162	नदी	162	163	—
	83	भू-स्थानी	सिंचित	0.280	0.280	हीरसिंह प्योतालाजपाल पुराण गणपा हिरिया तुम्ही गणपाम सदिया बेबा गणपा जाति चमार पता निःग्राम भूमि स्थानी	84	76	158	82	—
23	143	भू-स्थानी	सिंचित	0.040	0.040	हीरसिंह प्योतालाजपाल पुराण गणपा हिरिया तुम्ही गणपाम सदिया बेबा गणपा जाति चमार पता निःग्राम भूमि स्थानी	144	142	142	142	—
	144	भू-स्थानी	सिंचित	0.400	0.400	हीरसिंह प्योतालाजपाल पुराण गणपा हिरिया तुम्ही गणपाम सदिया बेबा गणपा जाति चमार पता निःग्राम भूमि स्थानी	139	142	140	84	—
	439	भू-स्थानी	सिंचित	1.250	1.250	हास्ता जगना पुराण दुर्जना झुकतो फुलिया पुराण दुर्जना जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी	421	440	446	436	—
	84	भू-स्थानी	सिंचित	4.080	4.080	हास्ता जगना पुराण दुर्जना झुकतो फुलिया पुराण दुर्जना जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी	157	149	82	पक्का मकान	16.82
24	90	भू-स्थानी	सिंचित	0.370	0.370	हास्ता जगना पुराण दुर्जना झुकतो फुलिया पुराण दुर्जना जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी	91	89/4	94	89/3	—
	142	भू-स्थानी	सिंचित	0.820	0.820	हास्ता जगना पुराण दुर्जना झुकतो फुलिया पुराण दुर्जना जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी	140	149	184	148	—
	86	भू-स्थानी	सिंचित	3.120	3.120	मुजिय पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा गजुआ जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी परमा पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा गजुआ जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी शिसुआ पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा पुनर्वाप्ति गोकालेया जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी हिरिक कलिया पावरी पुराण दुर्जना झुकतो फुलिया पता निःग्राम भूमि स्थानी झुमन पुनर्वाप्ति गोकालेया पता निःग्राम भूमि स्थानी सरमन पुनर्वाप्ति गोकालेया पता निःग्राम भूमि स्थानी	105	147	124	वन सीमा	—
25	87	भू-स्थानी	सिंचित	0.250	0.250	मुजिय पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा गजुआ जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी शिसुआ पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा पुनर्वाप्ति गोकालेया जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी हिरिक कलिया पावरी पुराण दुर्जना झुकतो फुलिया पता निःग्राम भूमि स्थानी झुमन पुनर्वाप्ति गोकालेया पता निःग्राम भूमि स्थानी	86	128	वनसीमा	—	—
	239	भू-स्थानी	सिंचित	0.330	0.330	मुजिय पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा पुनर्वाप्ति गोकालेया जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी सरमन पुनर्वाप्ति गोकालेया पता निःग्राम भूमि स्थानी	235	239	236	240	—
26	88/1	भू-स्थानी	सिंचित	0.600	0.600	मुजिय पुनर्वाप्ति गोकालेया परमा पुनर्वाप्ति गोकालेया जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्थानी	88/7	88/3	95	वनसीमा	—

संख्या	सर्वेषण	स्थानिक का प्रकार	प्रमि का प्रकार	कुल सेवन (₹)	व्यवजन का देवन सेवन में	काल के ग्राम पिण्ड/प्रति वर्ग ग्राम विभाग क्रमांक	सेवन			संरचना		
							उ०	द०	प०	प०	प०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	88/2	भू-स्थानी	सिंचित	0.500	0.500	हरीसम पुन करन सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	88/1	88/3	95	कन सीमा	—	—
28	89/1	भू-स्थानी	सिंचित	0.750	0.750	पपू पुन दत्तरक्षय सेहर पता नि.सुलारखुट भूमि स्थानी	वनसीमा	89/2	91	वनसीमा	—	—
29	89/2	भू-स्थानी	सिंचित	0.750	0.750	मिट्ठ पुन दत्तरक्षय सेहर पता नि. सुलारखुट भूमि स्थानी	89/1	89/3	91	वनसीमा	—	—
30	89/3	भू-स्थानी	सिंचित	0.740	0.740	गोकर्णीया पुन जयसीया सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	89/2	89/4	90	वनसीमा	—	—
31	89/4	भू-स्थानी	सिंचित	0.740	0.740	देशराज पुन ऊराज सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	89/3	88/1	90	वनसीमा पक्का मकान	4.00	—
32	91	भू-स्थानी	सिंचित	1.140	1.140	गणेश वालराम नावा. पुन दत्तरक्षया 2/3 हि 2/3. मनसीया पुन नम्भीरा हि 1/3 जाति आदिवासी पता निवासी.ग्राम	92	90	98/5	89/2	—	—
33	93/2	भू-स्थानी	सिंचित	0.600	0.600	देवसिंह पुन डुला जाति सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	मौजा	225	93/3	93/1	—	—
34	93/3	भू-स्थानी	सिंचित	0.800	0.800	देवसिंहराई पुन गण न-पत्तसेह जाति सेहर भूमि स्थानी	सरहद	225	93/4	93/3	—	—
35	93/4	भू-स्थानी	सिंचित	0.600	0.600	नथुआ पुन मसुआ जाति चमर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	सरहदी	225	93/5	93/3	—	—
36	93/5	भू-स्थानी	सिंचित	0.500	0.500	प्रताप पुन तारससिंह जाति सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	मौजा	230/1	225	93/6	93/4	पक्का मकान 9.00
37	93/6	भू-स्थानी	सिंचित	0.550	0.550	मनसीया पुन गम्भीर जाति सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	230/1	225	93/7	93/5	—	—
38	93/7	भू-स्थानी	सिंचित	0.600	0.600	पचम पुन जाति सेहर पता नि.ग्रा. भूमि	230/1	225	93/8	93/6	पक्का मकान 4.00	—
39	93/8	भू-स्थानी	सिंचित	0.600	0.600	लखन पुन हल्का जाति सेहर पता नि.ग्रा. भूमि स्थानी	230/1	225/1	93/9	93/7	—	—

संख्या	अधिकृत प्रकार का सेवा संख्या	मनि का प्रकार	कुल होने (₹)	अर्थन का मेन होने हेतु पर में	सीमाएं				सरकारी
					उ	द०	पू	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	93/10	मू-स्वामी	सिवित	0.600	0.600	हरसांग पुन जाना जाति सेहर पता निगम भूमि स्वामी	230/1	225/1	229
41	95	मू-स्वामी	सिवित	0.270	0.270	गिरधारी पुन मानसिंह जाति सेहर पता निगम भूमि स्वामी	94	97	96
97	मू-स्वामी	सिवित	0.160	0.160			95	88/3	नाला 88/2
108	मू-स्वामी	सिवित	0.340	0.340			नाला	115	109 107
109	मू-स्वामी	सिवित	0.060	0.060	कलुआ पुन भुजा जाति सेहर पता निगम भूमि स्वामी	नाला	115	110	108
42	114	मू-स्वामी	सिवित	0.250	0.250		115	112	116
	115	मू-स्वामी	सिवित	0.240	0.240		108	114	109 117
	509	मू-स्वामी	सिवित	1.070	1.070		नाला	नाला	रास्ता पउर
	104	मू-स्वामी	सिवित	1.030	1.030		नाला	106	नाला 102
	106	मू-स्वामी	सिवित	2.160	2.160		104	121	नाला 105
	126	मू-स्वामी	सिवित	0.890	0.890		119	127	नाला 125
	133	मू-स्वामी	सिवित	0.010	0.010		136	189	123 186
	134	मू-स्वामी	सिवित	0.700	0.700		131	134	132 136
	136	मू-स्वामी	सिवित	0.320	0.320	मुसाब पुन महाराजसिंहि 1/2 लक्ष्मणसिंह पुन दातारसिंहि 1/2 जाति यादव पता निगम* भूमि स्वामी मध्य भरत गणपति वैक शास्त्रो बासरकाले मैं सम्पूर्ण खाता दि. 14-06-11से वयक्त है।	131	134	135 138
	188	मू-स्वामी	सिवित	0.040	0.040		187	184	136 141
	195	मू-स्वामी	सिवित	0.850	0.850		122	197	196 189
	238	मू-स्वामी	सिवित	0.640	0.640		239	243	237 240
	259	मू-स्वामी	सिवित	0.400	0.400		255	274	262 रास्ता
	263	मू-स्वामी	सिवित	0.030	0.030		262	271	271 262
	270	मू-स्वामी	सिवित	0.270	0.270		271	280	267 273
	271	मू-स्वामी	सिवित	0.200	0.200		273	270	267 272
	275	मू-स्वामी	सिवित	0.100	0.100		274	276	270 रास्ता पक्का मकान 80.73
43	276	मू-स्वामी	सिवित	0.100	0.100		275	277	279 रास्ता
	277	मू-स्वामी	सिवित	0.080	0.080		276	आबादी	आबादी रास्ता
	279	मू-स्वामी	सिवित	0.040	0.040		280	नाला	281 नाला
	295	मू-स्वामी	सिवित	0.050	0.050		297	278	278 294
	303	मू-स्वामी	सिवित	0.040	0.040		365	389	365 368
	366	मू-स्वामी	सिवित	0.050	0.050		365	391	393 389
	368	मू-स्वामी	सिवित	0.180	0.180		365	381	366 369 पक्का मकान 1.8

संख्या	सर्वसम्पन्न संख्या	स्वामित्व का प्रकार	प्रगति का प्रकार	कुल मौत (हि.)	शर्जन का कोई हेठले गरे नहीं	शर्जन का जात सिर्फ गरीब का नाम लिखें	शीघ्रांत				
							उ०	द०	प०	प०	कुली ऐसिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	भू-स्वामी	सिंचित	0.160	0.160			363	389	368	370	—
380	भू-स्वामी	सिंचित	0.180	0.180			370	388	389	379	—
388	भू-स्वामी	सिंचित	0.150	0.150			380	384	389	391	—
390	भू-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120			365	391	393	389	—
391	भू-स्वामी	सिंचित	0.370	0.370			390	392	393	384	—
392	भू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080			391	नाला	392	387	—
393	भू-स्वामी	सिंचित	0.420	0.420			394	नाला	414	391	—
453	भू-स्वामी	सिंचित	0.300	0.300			470	नाला	468	—	—
44	122	भू-स्वामी	सिंचित	0.570	0.570	रामसर्खी पली ध्यारेलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106	134	120	124	—
137	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020			131	136	136	138	—
138	भू-स्वामी	सिंचित	0.290	0.290			139	134	136	140	—
140	भू-स्वामी	सिंचित	0.580	0.580			139	141	138	145	—
141	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020			140	145	140	144	—
185	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020			134	184	184	142	—
242	भू-स्वामी	सिंचित	0.450	0.450			240	रास्ता	243	नाला	फलका बकान 23.00
245	भू-स्वामी	सिंचित	0.620	0.620			238	244	246	240	—
291	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050			290	293	295	186	—
311	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050			309	312	318	298	—
319	भू-स्वामी	सिंचित	0.270	0.270			318	324	320	323	—
339	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100			323	335	330	329	—
340	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050			339	337	338	251	—
342	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060			421	440	446	436	—
345	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100			344	348	342	249	—
347	भू-स्वामी	सिंचित	0.430	0.430			312	341	342	नाला	—
348	भू-स्वामी	सिंचित	0.210	0.210			346	347	350	347	—

हरिया पुरी ध्यारेलाल-जयपाल पुरानाण गन्धा  
भूमि स्वामी जुगल ५ पला पुराना बेबा नानपा २५  
११०-गांगाराम पुर कहड़ी जान पुरी  
नदरमाहि ११० हरलू धुलाव पुराण-गुमन  
२५ पता तिवासी ग्राम\*  
भूमि स्वामी

क्र. सं.	सर्वसम संख्या	स्वामित्व का प्रकार	गणे का प्रकार	कुल देवता (हे.)	अर्पण का केन्द्र ठेकेदार में	एक दो गाँव पिपा/पटि का नाम निषिद्ध गाँव	सरीगांव				सरीगांव	
							उ०	द०	प०	प०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	
46	351	भू-स्वामी	सिंचित	0.130	नटूपुर सुक्का जाति सेहरीया पता निवासी.ग्राम दालापहाड़ी पाही*** भूमि स्वामी	345	350	336	346	—	—	
47	151	भू-स्वामी	सिंचित	0.420	पूर्ण पुरुषुला जाति सेहरीया पता ग्राम*** भूमि स्वामी	151	157	172	173	—	—	
48	174/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.140	पूर्ण पुरुषुला जाति सेहरीया पता निवासी	175	173	171	152	पकड़ा भक्ति	5.52	
49	176/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	पूर्ण पुरुषुला जाति सेहरीया पता निवासी	182	176/2	129	181	—	—	
50	152	भू-स्वामी	सिंचित	0.290	पूर्ण पुरुषुला जाति सेहरीया पता निवासी	155	174	158	—	—	—	
51	160	भू-स्वामी	सिंचित	0.340	रासता	161/4	161/5	159	—	—	—	
52	172	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	रासता	171	161 / 7	170	157	—	—	
53	419	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	418	420	417	421	—	—	
54	420	भू-स्वामी	सिंचित	0.580	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	418	447	419	421	—	—	
55	455	भू-स्वामी	सिंचित	0.210	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	456	454	468	नाला	—	—	
56	456	भू-स्वामी	सिंचित	0.240	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	457	455	459	नाला	पकड़ा भक्ति	6.00	
57	458	भू-स्वामी	सिंचित	0.040	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	460	456	458	453	—	—	
58	459	भू-स्वामी	सिंचित	0.260	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	468	453	467	455	—	—	
59	468	भू-स्वामी	सिंचित	0.280	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	479	453	467	455	—	—	
60	158	भू-स्वामी	सिंचित	0.850	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	484	159	157	83	—	—	
61	445	भू-स्वामी	सिंचित	0.550	भेयालाल पता भमरसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	447	नाला	444	446	—	—	
62	159	भू-स्वामी	सिंचित	0.340	तोफानसिंह-पुत्र पातायसिंह रामसर्खी तेवा नवपत्नीसह नीलमसिंह बलवीरसिंह पुत्र. नवनासिंह जाति पादव पता निवासी.ग्राम* भूमि स्वामी मध्य भारत ग्रामीण लैक शाखा बामैरकाले में सम्पूर्ण भारत दि.07-10- वर्षकृ	158	161 / 2	160	75	—	—	—
63	208	भू-स्वामी	सिंचित	0.180	209	नाला	207	नाला	—	—	—	
64	309	भू-स्वामी	सिंचित	0.590	311	218	307	नाला	—	—	—	

क्र. संख्या	सर्वेक्षण का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हेク्टेयर में)	अधिनका का क्षेत्र	हेक्टेयर में	फॉकल का नाम/परिका नाम/निवासी नाम	चीमाएं			संरचना		
							उ	द०	पू	प०	प्रकार	कुल एकड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	प्रकार	कुल एकड़ा
	463	भू-स्वामी	सिंचित	0.120	0.120	13स क्षेत्र है।	406	476	रास्ता	465	फॉकल	11. 10
51	161/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.700	0.700	पुन दरहुआ जाति सेहर पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	159	162	161/3	161/1	—	—
52	161/3	भू-स्वामी	सिंचित	0.700	0.700	देशराज पुन निम्ना जाति सेहर पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	160	162	161/4	161/2	—	—
53	161/5	भू-स्वामी	सिंचित	0.600	0.600	मोहनसिंह पुन तोनसिंह जाति सेहर पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	160	162	161/6	161/4	—	—
54	161/6	भू-स्वामी	सिंचित	0.680	0.680	राबेस पुन यारेलाल जाति चमार पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	157	162	161/7	161/5	—	—
55	161/7	भू-स्वामी	सिंचित	0.600	0.600	गोकलिया पुन गिला जाति सेहर पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	172	162	161/8	161/6	—	—
56	161/8	भू-स्वामी	सिंचित	0.700	0.700	मिट्टु पुन दरहुआ जाति सेहर पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	169	नाला	161/9	161/7	—	—
57	171	भू-स्वामी	सिंचित	0.490	0.490	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	181	178	191	176	प्रकार	14. 42
	173	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	174	157	171	157	—	—
	174/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.230	0.230	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	175	173	171	152	—	—
	175/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.090	0.090	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	176	174/3	171	151	—	—
	176/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	176	175	179	181	—	—
	177	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	171	175	178	176	—	—
58	174/3	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020	भीमा पुन गुला जाति सेहरीया पता निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	175	174/1	174/3	152	—	—
	186	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060	हमीसिंह-श्यामलाल जयपाल पुनराण गनपा मुसादिय बेला गनपा 1/2-हल्लु गुलबा पुन गुमना हि. 1/2 जाति चमार पता निवासी निम्नुलारखुट शासकीय पट्टेदार	138	140	134	140	—	—
59	321	भू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080	भूमि स्वामी	319	322	338	179	—	—

संख्या	स्थान का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अनेक का क्षेत्र हेतु लेखनपत्र में	चपक का नाम विवरण	सीमांड	सरचना				
						सीमांड	उ०	द०	पू	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
200	मू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	जादीशसिंह पुत्र भैयालाल जाति यादव पता निःग्राम भूमि स्वामी	167	199/2	नाला	159/3	—	
386	मू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040	नाला	385	नाला	—	—	—	
60	426	मू-स्वामी	सिंचित	0.060	427	423	नाला	429	—	—	
427	मू-स्वामी	सिंचित	0.010	0.010	हट्ट व्यारिया पुत्राण पुनुआ, मरिया पुनुआ रालाल रावसिंह, पुत्राण श्यामा, फुला नाला, जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्वामी पुरी श्यामा गुनिया वेवा श्यामा जाति सेहर पता निःग्राम भूमि स्वामी	426	428	416	431	—	—
204	मू-स्वामी	सिंचित	0.330	0.330	208	203	नाला	207	—	—	
61	229	मू-स्वामी	सिंचित	0.820	0.820	230/4	228	नाला	225/1	—	
215	मू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	227	214	212	225	—	—	
62	227	मू-स्वामी	सिंचित	1.380	1.380	228	212	नाला	225	—	
485	मू-स्वामी	सिंचित	1.320	1.320	475	रास्ता	रास्ता	484	—	—	
496	मू-स्वामी	सिंचित	0.070	0.070	497	रास्ता	498	485	—	—	
217	मू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100	नपुआ पुत्र मसुआ जाति चमार पता निःग्राम भूमि स्वामी	218	220	225	218	—	
63	218	मू-स्वामी	सिंचित	0.640	0.640	225	219	218	225	—	
221	मू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040	220	223	222/1	224	—	—	
64	222/513	मू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	213	222/3	211	220	—	
224	मू-स्वामी	सिंचित	0.200	0.200	219	223	221	225	—	—	
65	225/1/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.800	0.800	रामचरण पुत्र नपुआ चमार पता निःग्राम भूमि	93/1	228	229	225/2	
66	225/1/2	मू-स्वामी	सिंचित	0.530	0.530	नपुआ पुत्र भूमुआ चमार पता निःग्राम भूमि स्वामी	93/6	198	225/2	225/3	
67	225/1/3	मू-स्वामी	सिंचित	1.200	1.200	जादीश, करतानपुत्राण भैयालाल जाति यादव पता निःग्राम भूमि स्वामी	93/4	224	225/1/2	नाला	

संख्या/एन.	स्वामित्र का प्रकार	गुण का प्रकार	हुल कीन (६)	उर्ध्व का सेवन हेतुवर में	सीमाएं				संख्या
					उ०	द०	पॄ	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
68	225/2	भू-स्वामी	सिंचित	2.400	2.400	आथारसिंह थैरजसिंह पुत्राण भैयालाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	93/4	118	25.1
69	432	भू-स्वामी	सिंचित	0.820	0.820	करुआ पुत्र भरोसा जाति सेहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	229	227	नाला 225/1
70	230/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.980	0.980	करन पुत्र कला जाति सेहर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	435	नदी 440	431
71	230/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040	कल्पण पुत्र हरसिंह जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	432	435	436
72	230/3	भू-स्वामी	सिंचित	0.700	0.700	खुशीलाल पुत्र हरसिंह जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	230/8	233	231 नाला
73	230/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.800	0.800	चक्रआ पुत्र बैतालिया जाति सेहर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	229	230/4	पक्का भकान 6.00
74	230/5	भू-स्वामी	सिंचित	0.550	0.550	जसमन्त पुत्र भौमा जाति सेहर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	230/5	229	पक्का भकान 4.00
75	230/6	भू-स्वामी	सिंचित	0.600	0.600	विरण पुत्र चरुआ जाति सेहर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	230/5	230/4	232 नाला 230/3
76	230/7	भू-स्वामी	सिंचित	0.700	0.700	भगीरथ पुत्र चरन्धा जाति सेहर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	230/6	230/8	232/7 नाला पक्का भकान 4.00
77	230/8	भू-स्वामी	सिंचित	0.600	0.600	ललू पुत्र कुण्ठिया जाति सेहर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टदार	230/7	230/9	232 नाला —
78	234	भू-स्वामी	सिंचित	0.860	0.860	सिरनाम सिंह चंदनसिंह पुत्राण अमरसिंह कमलेश ग्रामकुमार युद्धी पुरिया अमरसिंह हि/2 राजकुमार पुत्र अर्जन हि/20 रामकली वेवा अर्जन सिंह हि/14 सेहर नि.ग्रामपाल पुत्र ग्रामना हि 1/5 जाति सेहर जाति सेहर पता निवासी ग्राम वामोर कला भूमि स्वामी	230/9	235	236 नाला —
79	236	भू-स्वामी	सिंचित	1.390	1.390	—	233	248	232 237 —
504	भू-स्वामी	सिंचित	0.760	0.760	—	491	501	505 507 —	
243	भू-स्वामी	सिंचित	0.510	0.510	—	245	रासता 244	242 —	
307	भू-स्वामी	सिंचित	0.410	0.410	—	308	306 रासता 319	—	
308	भू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	तोफानसिंह-न्यानसिंह पु. प्रीतसिंह जाति यादव पता नि.ग्राम***** भूमि स्वामी	243	309 307 310	—	

क्र. सं.	सर्वेण संख्या	स्थानिक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल हेत्र (हे.)	अर्जन का दोनों हेतुपर में	दोनों का नाम ऐता/पटि का नाम निवास स्थान	सीमाएं				संरचना		
							उ०	द०	पू	प०	प्रकार	कुल ऐता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	310	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020	भूमि	242	309	308	311	—	—	
	505/मिन-1	भू-स्वामी	सिंचित	0.410	0.410		504	501	रास्ता	—	—	—	
2	246	भू-स्वामी	सिंचित	0.380			237	255	247	245	—	—	
	256	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020		246	247	255	247	—	—	
3	322	भू-स्वामी	सिंचित	0.100	0.100		321	336	319	340	—	—	
	330	भू-स्वामी	सिंचित	0.170	0.170		328	329	324	335	—	—	
4	332	भू-स्वामी	सिंचित	0.180	0.180		331	333	327	334	—	—	
	333	भू-स्वामी	सिंचित	0.230	0.230		332	358	260	334	—	—	
5	338	भू-स्वामी	सिंचित	0.300	0.300		322	335	330	329	—	—	
	81	भू-स्वामी	सिंचित	0.220	0.220	सिंचनम सिंह चंदन सिंह पूर्व गंगा अमर सिंह कमलेश रामकुमार यश्वी पुर्णिया अमरसिंह हि 1/2 राजकुमार पूर्व अंतु राज रामकली देवा अर्जन सिंह हि 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	236	247	249	236	—	—	—
6	248	भू-स्वामी	सिंचित	0.160	0.160		247	253	251	247	—	—	
	252	भू-स्वामी	सिंचित	0.290	0.290	कुन्जा मुतिया कोमल पुत्राण धन्ना पता निवासी	247	261	252	255	—	—	
7	253	भू-स्वामी	सिंचित	0.010	0.010		246	255	253	255	—	—	
	254	भू-स्वामी	सिंचित	0.440	0.440		246	259	253	257	—	—	
8	255	भू-स्वामी	सिंचित	0.490	0.490		246	259	255	258	—	—	
	257	भू-स्वामी	सिंचित	0.310	0.310	नयुवा पुर भसुवा जाति जाटव पता निवासी	257	307	259	243	चकन पकड़ा	152.81	
9	258	भू-स्वामी	सिंचित	0.020	0.020		261	262	262	255	—	—	
	260	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050		253	260	262	255	—	—	
10	261	भू-स्वामी	सिंचित	0.060	0.060		504	505/मिन-1	509	रास्ता	—	—	
	272	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050		259	273	271	274	—	—	

संख्या	संवेदन का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	आर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	वरक का कार्यपाल पिण्ड/परिकार नाम विवरण	सीमांद्र			संरचना		
						उ०	द०	पू	प०	प्रकार	कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	प्रकार	—
469	भू-स्वामी	सिंचित	0.050	0.050	भू-भूमि-भूमि-भूमि-भूमि-भूमि-भूमि-भूमि-भूमि	468	453	470	468	—	—
299	भू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	भिलोको सिंह पुत्र भैयालाल जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	298	300	316	318	—	—
300	भू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.080	भिलोको सिंह पुत्र भैयालाल पता नियम भूमि स्वामी	306	297	299	326	—	—
323/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	भिलोको सिंह पुत्र भैयालाल पता नियम भूमि स्वामी	323/1	324	306	330	—	—
354	भू-स्वामी	सिंचित	0.210	0.210	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी रामराजा शिवराजसिंह	353	358	331	350	—	—
355	भू-स्वामी	सिंचित	0.190	0.190	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी रामराजा शिवराजसिंह	350	357	358	नाला	—	—
358	भू-स्वामी	सिंचित	0.190	0.190	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी रामराजा शिवराजसिंह	333	357	359	354	—	—
371	भू-स्वामी	सिंचित	0.250	0.250	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	359	379	370	257	—	—
379	भू-स्वामी	सिंचित	0.160	0.160	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	371	382	380	वंशिया	—	—
381	भू-स्वामी	सिंचित	0.140	0.140	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	369	380	390	390	—	—
382	भू-स्वामी	सिंचित	0.090	0.090	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	379	384	381	377	—	—
384	भू-स्वामी	सिंचित	0.040	0.040	संजयसिंह-भूदमासिंहहरामसिंह-गजेद्वसिंह पुत्राण वेतालसिंह 1/2 जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	383	387	381	नाला	—	—
364	भू-स्वामी	सिंचित	0.300	0.300	सुरेन्द्रसिंह-नाला-पुत्र कपडान सर-पिता चुद रामीपुर लोतालपुर जातियोशसिंह पुत्राण ऊर्ध्वमासिंह जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	293	365	295	363	—	—
365	भू-स्वामी	सिंचित	0.380	0.380	सुरेन्द्रसिंह-नाला-पुत्र कपडान सर-पिता चुद रामीपुर लोतालपुर जातियोशसिंह पुत्राण ऊर्ध्वमासिंह जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	364	366	394	363	—	—
396	भू-स्वामी	सिंचित	0.030	0.030	सुरेन्द्रसिंह-नाला-पुत्र कपडान सर-पिता चुद रामीपुर लोतालपुर जातियोशसिंह पुत्राण ऊर्ध्वमासिंह जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	364	395	292	364	—	—
421	भू-स्वामी	सिंचित	0.980	0.980	जगदेश पुत्र भैयालाल 3/4-कपडान पुत्र भूमि स्वामी राम भूमि स्वामी	420	439	446	435	—	—
430/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.250	0.250	कस्तुरी पली विलोकसिंह जाति यादव पता नियम भूमि स्वामी	नाला	437	429	430 / 1	—	—

संख्या	सर्वेक्षण संख्या	स्थानिति का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल सेवन (हे.)	अर्जन का सेवन हेतु वर्तमान में	दृष्टक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	सीमाएं				सरचना			
							उ०	द०	प०	प्रकार	कुल संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9					
92	430/3	भू-स्थामी	सिंचित	0.250	0.250	फुलाबाई पवालजातीसोसह गड्डीबाई पर्वती का दानासिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि खामी	नाला	434	430/2	रास्ता	—	—	—	
93	441	भू-स्थामी	सिंचित	0.590	0.590	भगवीरथ बीरन परताप कैलाश मोहन पुराण तेरन म.संभवती देवा तेरन फूलदुर्वर तुरी तेरन जाति सेहर पता नि.ग्राम भूमि खामी	446	नदी	442	440	—	—	—	—
93	442	भू-स्थामी	सिंचित	0.210	0.210	भगवीरथ बीरन परताप कैलाश मोहन पुराण तेरन म.संभवती देवा तेरन फूलदुर्वर तुरी तेरन जाति सेहर पता नि.ग्राम भूमि खामी	445	नदी	443	441	—	—	—	—
	446	भू-स्थामी	सिंचित	1.960	1.960	कलुणा पुरु मरुवा 34-जगना पुरु दरवा 14 पता निवासी ग्राम हिंडरहडी पाली भूमि खामी	445	441	442	431	—	—	—	—
94	443	भू-स्थामी	सिंचित	0.210	0.210	कलुणा पुरु मरुवा 34-जगना पुरु दरवा 14 पता निवासी ग्राम हिंडरहडी पाली भूमि खामी	444	नदी	नाला	442	—	—	—	—
95	447	भू-स्थामी	सिंचित	0.630	0.630	रामसेवक पुरु पुरु जाति सेहर पता नि. शिलपुर भूमि खामी	420	445	नाला	446	—	—	—	—
96	450	भू-स्थामी	सिंचित	0.300	0.300	केदरसिंहलालराम, रावराजा पुराण शिवराजसिंह जाति पादव पता नि.ग्राम भूमि खामी	नाला	नाला	नाला	445	—	—	—	—
97	487	भू-स्थामी	सिंचित	0.070	0.070	लितिया पुरु गुला जाति सेहरिया पता नि.ग्राम भूमि खामी	492	नाला	रास्ता	रास्ता	—	—	—	—
	492	भू-स्थामी	सिंचित	0.290	0.290	संजयसिंहपुर लेतालसिंह जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि खामी	493	491	506	487	—	—	—	—
98	498	भू-स्थामी	सिंचित	1.020	1.020	पुरु पुरु दरम जाति रेहर पता नि.ग्राम भूमि खामी	504	493	499	रास्ता	मकान पकान	9.00		
99	507	भू-स्थामी	सिंचित	0.440	0.440	पुरु पुरु दरम जाति रेहर पता नि.ग्राम भूमि खामी	नाला	नाला	रास्ता	नदी	—	—	—	—
100	93 / 1	भू-स्थामी	सिंचित	0.550	0.550	काशीराम पुरु मधुरिया जाति सेहर	225	91	92	230	—	—	—	—

यह धोपण हितदृढ़ व्यक्तियों के आवेदनों को मुनाने और मूलि अर्जन, पुरवान एवं पुनर्वर्चस्वापन में उचित प्रतिक्रिया दर्शाना अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की शास 15 में यथा उपर्युक्त सम्यक जाच करने के प्रस्ताव की गयी है। मूलि अर्जन के कारण पुनर्वर्चस्वापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 143 है जिनके द्वारा प्रयोजन तिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निम्नांकन के द्वारा तोड़ा जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुबिधानीय अधिकारी (राजस्व), मिठोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वर्चस्वापन त्वरीम का सार संलग्न है।

ग्राम कालीपहाड़ी तालुक / उपरांडी / तहसील / लॉक (यथा लागू खनियांधाना जिला शिवपुरी क्षेत्र 12480 हिंकटेंर भी)

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पैदे कोयला, लोहा पत्थर, स्टेट या अन्य खनियों की खाने हैं खान और और और खनियों की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वर्चस्वापन त्वरीम का शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

**आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय  
अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)**

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2018

क्र. 5118-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभाशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग आदेश क्र. 160-3860-2015-ई-चार-भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016 के तारतम्य में वित्त सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 जून, 2018 को किया गया। विभागीय परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1.	कुमारी आस्था चौरसिया	सहायक संचालक वित्त
2.	कुमारी अंजली पाँवार	सहायक संचालक वित्त
3.	कुमारी अदिति जैन	सहायक संचालक वित्त
4.	कुमारी अश्विनी रणपिसे	सहायक संचालक वित्त
5.	कुमारी ऋत्वा पाठक	सहायक संचालक वित्त
6.	कुमारी कल्पना पहाड़े	सहायक संचालक वित्त
7.	कुमारी कीर्ति चौहान	सहायक संचालक वित्त
8.	कुमारी ग्रविता भिन्डे	सहायक संचालक वित्त
9.	डॉ. गीता बिसेन	सहायक संचालक वित्त
10.	श्री अंशुल दीक्षित	सहायक संचालक वित्त
11.	श्री अखिलेश कुमार पाठक	सहायक संचालक वित्त
12.	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय	सहायक संचालक वित्त
13.	श्री अजय कुमार पाण्डोरिया	सहायक संचालक वित्त
14.	श्री अजय गुप्ता	सहायक संचालक वित्त
15.	श्री अनिल कुमार वासनिक	सहायक संचालक वित्त

(1)	(2)	(3)
16.	श्री अमित चौबे	सहायक संचालक वित्त
17.	श्री अमित ढांडा	सहायक संचालक वित्त
18.	श्री अमित वर्मा	सहायक संचालक वित्त
19.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	सहायक संचालक वित्त
20.	श्री अविनाश नागले	सहायक संचालक वित्त
21.	श्री आदित्य सिंह भदौरिया	सहायक संचालक वित्त
22.	श्री आनंद श्रीवास्तव	सहायक संचालक वित्त
23.	श्री आनंदीलाल दलोदिया	सहायक संचालक वित्त
24.	श्री आशीष कुमार जैन	सहायक संचालक वित्त
25.	श्री आशुतोष खरे	सहायक संचालक वित्त
26.	श्री आशुतोष पाण्डेय	सहायक संचालक वित्त
27.	श्री कुणाल खेरडिया	सहायक संचालक वित्त
28.	श्री कृष्ण प्रताप सिंह चौधरी	सहायक संचालक वित्त
29.	श्री गणेश मुकाती	सहायक संचालक वित्त
30.	श्री गोरिश कुमार बारमारे	सहायक संचालक वित्त
31.	श्री गौरव गुप्ता	सहायक संचालक वित्त
32.	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	सहायक संचालक वित्त
33.	श्री चन्द्रकांत साहू	सहायक संचालक वित्त
34.	श्रीमती जयश्री राठौर	सहायक संचालक वित्त
35.	श्री जीवन कुमार देथलिया	सहायक संचालक वित्त
36.	श्री दिलीप सिंह कुशवाह	सहायक संचालक वित्त
37.	श्रीमती दिव्या शर्मा	सहायक संचालक वित्त
38.	श्री दीपक पटेल	सहायक संचालक वित्त
39.	श्री दीपक पाठक	सहायक संचालक वित्त
40.	श्री दीपक राणा	सहायक संचालक वित्त
41.	श्री धनराज हरियाले	सहायक संचालक वित्त
42.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सहायक संचालक वित्त
43.	श्रीमती नवनीत ढिल्लों	सहायक संचालक वित्त

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
44.	श्री नितिन कुमार वागमोडे	सहायक संचालक वित्त	73.	डॉ. लक्ष्मी परमार	सहायक संचालक वित्त
45.	श्रीमती निरूपमा पालीबाल	सहायक संचालक वित्त	74.	श्री लक्ष्मी नारायण चौहान	सहायक संचालक वित्त
46.	कुमारी नेहा सिंधर्झ	सहायक संचालक वित्त	75.	कुमारी लता चौहान	सहायक संचालक वित्त
47.	श्री पंकज कुमार मिश्रा	सहायक संचालक वित्त	76.	श्री वरुण बडेरिया	सहायक संचालक वित्त
48.	श्री पवन कुमार अहिरवाल	सहायक संचालक वित्त	77.	कुमारी वर्षा चड्डा	सहायक संचालक वित्त
49.	श्री पवन कुमार बघेल	सहायक संचालक वित्त	78.	श्री विकास सोलंकी	सहायक संचालक वित्त
50.	श्री पुष्टेन्द्र कुमार शुक्ला	सहायक संचालक वित्त	79.	श्री विक्रम छिरौल्या	सहायक संचालक वित्त
51.	श्री पुष्टेन्द्र द्विवेदी	सहायक संचालक वित्त	80.	श्री विवेक मोहन चौधरी	सहायक संचालक वित्त
52.	कुमारी प्रतिभा भलावी	सहायक संचालक वित्त	81.	कुमारी वैशाली आनन्द	सहायक संचालक वित्त
53.	कुमारी प्रियंका पाण्डे	सहायक संचालक वित्त	82.	श्री शरद तिवारी	सहायक संचालक वित्त
54.	कुमारी प्रिया डेहरिया	सहायक संचालक वित्त	83.	श्री शशिकांत पौराणिक	सहायक संचालक वित्त
55.	कुमारी प्रीति डेहरिया	सहायक संचालक वित्त	84.	श्री शिवप्रताप सिंह बघेल	सहायक संचालक वित्त
56.	श्री भूपेन्द्र देव परमार	सहायक संचालक वित्त	85.	श्री शिवरंजन सिंह	सहायक संचालक वित्त
57.	श्री मनोष कुमार सोलंकी	सहायक संचालक वित्त	86.	श्री श्रीकांत त्रिपाठी	सहायक संचालक वित्त
58.	श्रीमती मनीषा मिश्रा	सहायक संचालक वित्त	87.	श्री श्रेणिक बड़कुल	सहायक संचालक वित्त
59.	श्रीमती मिताली सरियाम	सहायक संचालक वित्त	88.	श्रीमती संजना चौकसे	सहायक संचालक वित्त
60.	कुमारी मीनाक्षी मधुसूदन डाहरे	सहायक संचालक वित्त	89.	श्री संजू चौहान	सहायक संचालक वित्त
61.	कुमारी मुमल बोहत	सहायक संचालक वित्त	90.	श्री संतोष करचाम	सहायक संचालक वित्त
62.	कुमारी मेघा उइके	सहायक संचालक वित्त	91.	श्री सचिन कुमार धुर्वे	सहायक संचालक वित्त
63.	कुमारी मोनिका सोनी श्री महेश सोनी	सहायक संचालक वित्त	92.	श्री सचिन सिटोले	सहायक संचालक वित्त
64.	श्री रवीन्द्र कुमार सूर्यवंशी	सहायक संचालक वित्त	93.	श्री सनुज मरावी	सहायक संचालक वित्त
65.	श्री रविन्द्र देवड़ा	सहायक संचालक वित्त	94.	श्री समकित जैन	सहायक संचालक वित्त
66.	श्री राजीव सिंह पवैया	सहायक संचालक वित्त	95.	श्री साकेत जैन	सहायक संचालक वित्त
67.	श्री राहुल मिश्रा	सहायक संचालक वित्त	96.	कुमारी सुनीता नरगांवे	सहायक संचालक वित्त
68.	श्री राहुल सिंह	सहायक संचालक वित्त	97.	कुमारी सुभाषिनी जैन	सहायक संचालक वित्त
69.	श्री रितुराज सिंह चौहान	सहायक संचालक वित्त	98.	श्री सुमित कुमार जैन	सहायक संचालक वित्त
70.	श्रीमती रीना यादव	सहायक संचालक वित्त	99.	श्री सुरेन्द्र भाभर	सहायक संचालक वित्त
71.	श्रीमती रीना शर्मा	सहायक संचालक वित्त	100.	श्री सुलभ अंकित गौटिया	सहायक संचालक वित्त
72.	कुमारी रूही बवेजा	सहायक संचालक वित्त	101.	श्री सुशील कुमार मिश्रा	सहायक संचालक वित्त
			102.	श्री हर्षित उइके	सहायक संचालक वित्त
					मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 जुलाई 2018

प्र. क्र. 28-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवर्ड
- (ग) ग्राम—सिमराबहादुर, प.ह.नं. 27, पिपरियादैन.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
20	0.550	निजी भूमि
22	0.440	निजी भूमि
92	0.550	निजी भूमि
358	0.008	निजी भूमि
404	0.002	निजी भूमि
योग :	<u>1.550</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पवर्ड मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु (पूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवर्ड में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज खन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2018

पत्र क्र. 1276-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—कोतर
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.253 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	0.107
70	0.006
71	0.109
72	0.007
84	0.072
85	

(1)	(2)	(2)
86	0.010	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
87	0.083	
94	0.054	
294	0.072	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
295	0.010	
296	0.062	पत्र क्र. 1278-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
299	0.040	
298	0.020	
286	0.021	
300	0.039	
303	0.008	
307	0.058	
304	0.001	
306	0.069	अनुसूची
348	0.034	(1) भूमि का वर्णन—
350	0.014	(क) जिला—सतना
349	0.049	(ख) तहसील—अमरपाटन
351	0.003	(ग) ग्राम—ताला
352	0.041	(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.450 हेक्टेयर.
355	0.046	खसरा नं. अर्जित रकम (हे. में)
356	0.044	(1) (2)
357	0.011	अ-निजी पट्टे की भूमि
358	0.013	
359	0.001	2348 0.296
367	0.030	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . <u>0.296</u>
361	0.001	
364	0.019	ब—म. प्र. शासन की भूमि
534	0.025	2352/4807 0.154
535	0.023	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.154
521	0.043	अ + ब का योग . . <u>0.450</u>
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.245</u>	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		
302	0.008	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.008	
अ + ब का योग . .	<u>1.253</u>	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1280-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—टीकर 227
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.922 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा

(हे. में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

1440	0.100
2231/3906	0.822

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.922

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ +ब का योग . . 0.922

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1282-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—रुहिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.573 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

232/624 0.076

0.013

228

0.184

229

0.208

226

0.112

225

0.006

224

0.032

219

0.137

220

0.011

221

0.167

218

0.021

217

0.049

132

0.056

130 128, 133

0.072

129

0.010

84

0.081

86

0.052

87

0.011

88

0.012

85

0.024

83

0.124

(1)	(2)	(1)	(2)
82	0.101	478	0.053
81	0.097	477	0.210
80, 67	0.203	480	0.029
66	0.035	482	0.216
65	0.004	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>4.502</u>
301	0.365	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
305	0.157		
315	0.145	131	0.032
317	0.020	435	0.024
316	0.035	230	0.001
323/608	0.007	136	0.014
396	0.002	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.071
398	0.021	अ +ब का योग . .	<u>4.573</u>
400	0.001	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
398/614	0.081		
399	0.110	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
397	0.054		
403	0.029		
395	0.156		
408	0.031	पत्र क्र. 1284-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
407	0.022		
409	0.046		
411	0.013		
422	0.067		
421	0.086		
420	0.159		
434	0.001	अनुसूची	
436	0.017		
417	0.092	(1) भूमि का वर्णन—	
443	0.042		
479	0.337	(क) जिला—सतना (ख) तहसील—अमरपाटन	

(ग) ग्राम—बेला		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.491 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	अर्जित रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
		1033	0.016
		1034	0.047
		1094	0.035
		1098	0.147
	अ-निजी पट्टे की भूमि	1099	0.052
1002	0.117	1101	0.126
1001	0.038	1102	0.018
174	0.037	1103	0.128
1000	0.043	1105	0.049
958	0.025	1106	0.101
999	0.167	1108	0.056
959	0.004	1107	0.104
998	0.020	1121	0.018
997	0.124	1120	0.432
961	0.037	1117	0.018
962	0.007	1118	0.002
963	0.040	1119	0.018
990	0.231	804	0.200
991	0.029	874	0.390
992	0.100	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>4.491</u>
985	0.223		
980	0.055		
979	0.032	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
983	0.219	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
981	0.068	अ +ब का योग . .	<u>4.491</u>
982	0.069		
879	0.161		
1024	0.014		
1028	0.385	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर ऋ. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
1029	0.173		
1031	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1032	0.095		
1035	0.013	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 6<sup>th</sup> July 2018

No. 108-CJ-II-926.—In the matter of departmental enquiry against Shri Rajkumar Yadav, the then Civil Judge Class-I, Indore, presently posted as Chief Judicial Magistrate, Jabalpur, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct that Shri Rajkumar Yadav, be treated on duty and he shall be entitled for pay and allowances after adjustment of subsistence allowance paid to him during the period of suspension.

By order of the High Court,  
PRAKASH CHANDRA GUPTA,  
Principal Registrar (Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. D-4540-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 18 से 27 जून 2018 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 से 27 जून 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. B-3574-दो-2-49-2018.—श्री व्ही. एन. बाजपेई, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2018 तक दोनों दिन समिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एन. बाजपेई, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एन. बाजपेई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

Jabalpur, the 4<sup>th</sup> July 2018

No. B-3344-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 (Act No. 2 of 1974) & all other enabling provisions

High Court of Madhya Pradesh hereby designates the judges shown in the column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Exclusive Court for trial of cases under POCSO Act, 2012 and OAW cases i.e. offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape and all other offences relating thereto for the places shown in column No. (2) of the said table. This Notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the District Headquarters of the following places :—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Judge and designation
(1)	(2)	(3)
1.	Dindori	Shri Ram Singh, Kanojia, Ist ASJ.
2	Jabalpur	Shri Ajay Kumar Singh, XIVth, ASJ.

No. B-3346-III-6-6-84-II.—The Judges shown in the column No. (3) of the Table below are hereby designated as Presiding Officers of the Court for trial of offences Rape, Gang-rape, Murder with rape and all other offences relating thereto for the places shown in column No. (2) of the said table. This Notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Judge and designation
(1)	(2)	(3)
1.	Barwani	Shri Sameer Kulshretha, Ist ASJ.
2.	Morena	Shri Ashok Kumar Sharma, IIIrd ASJ.

By order of the High Court,  
VARUN PUNASE, OSD (DE).

Jabalpur, the 4<sup>th</sup> July 2018

### CORRIGENDUM

No. D-4550-II-6-6-84.—The High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B-3344, dated 4<sup>th</sup> July 2018:—

"In the table of said Notification at serial no. 2, column no. 3, the name of "Shri Rajendra Prasad Soni, Xth ASJ" be also read.

VARUN PUNASE, OSD (DE).

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

फा.क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)2677-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 एवं 102-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	अनूपपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम का विद्युत् क्षेत्र.
10.	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.	सिविल जिला बैतूल तथा भैसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
23.	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 23-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
53.	झाबुआ	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
55.	मंडला	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला.	सिविल जिला मंडला का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
64.	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
72.	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74-ए में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	सिविल जिला सतना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84, 84-ए, 85 एवं 85-ए में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	सिवनी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 90 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
91.	शहडोल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.	सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
100.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत् क्षेत्र
102.	सिंगरौली	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.	सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102-ए में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
102-ए,	सिंगरौली	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर.	देवसर का विद्युत् क्षेत्र.”

F. No.17 (E) 83-03-XXI-B (1)-2677-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B (1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 and 102-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	Anuppur	IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Electricity area of Anuppur, Kotma and Rajendragram.
10.	Betul	1st Additional Sessions Judge, Betul.	All Electricity area of Civil District Betul and Bhainsdhai (Excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at Serial number 11).
23.	Damoh	IInd Additional Sessions Judge Damoh.	All Electricity Area of Civil District Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23-A).
53.	Jhabua	IInd Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge Jhabua.	All Electricity Area of Civil District Jhabua, Petlavad & Thandla.
55.	Mandla	IInd Additional Sessions Judge, Mandla.	Electricity Area of Civil District Mandla
64.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	All Electricity Area of Civil District Narsinghpur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 65).

(1)	(2)	(3)	(4)
72.	Rajgarh	1st Additional Sessions Judge, Rajgarh.	All Electricity Area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 73, 74 and 74-A).
83.	Satna	IIInd Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity Area of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 84, 84-A, 85 & 85-A).
89.	Seoni	1st Additional Sessions Judge, Seoni.	All Electricity Area of Civil District Seoni (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 90).
91.	Shahdol	1st Additional Sessions Judge, Shahdol.	All Electricity Area of Civil District Shahdol (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 92).
100.	Shivpuri	Additional Sessions Judge Pichore.	Electricity Area of Pichor and Khaniyadhana.
102.	Singrauli	1st Additional Sessions Judge Singrauli.	All Electricity Area of Civil District Singrauli (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 102-A).
102-A.	Singrauli	IIInd Additional Sessions Judge Deosar.	Electricity Area of Deosar."

फा.क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)2677-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 एवं 102-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	अनूपपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.
10.	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.	श्री कमलेश कुमार इटवादिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
23.	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
53.	झाबुआ	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त, न्यायाधीश.	श्री सुनील मालवीय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

(1)	(2)	(3)	(4)
55.	मंडला	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला.	श्री प्रकाश कसेर द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला.
64.	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	श्री विवेक पटेल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
72.	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	श्री संजय श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	श्री राकेश मोहन प्रधान, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
89.	सिवनी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	श्रीमती इन्द्रा सिंह प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.
91.	शहडोल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.
100.	पिछोर शिवपुरी.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	श्री संजय गोयल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिछोर.
102.	सिंगरौली	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.	श्री जयशंकर श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.
102-ए.	सिंगरौली	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर.	श्री सुजीत कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर."

F. No.17 (E) 83-03-XXI-B (One)-1769,-1783-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B (1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 and 102-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	Anuppur	IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Shri Varindra Kumar Tiwari, IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.
10.	Betul	1st Additional Sessions Judge, Betul.	Shri Kamlesh Kumar Itawadiya 1st Additional Sessions Judge, Betul.
23.	Damoh	IInd Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Devendra Deo Dwivedi, IInd Additional Sessions Judge, Damoh.

(1)	(2)	(3)	(4)
53.	Jhabua	IInd Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Jhabua.	Shri Sunil Malviya, IInd Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Jhabua.
55.	Mandla	IIInd Additional Sessions Judge, Mandla.	Shri Prakash Kaser, IIInd Additional Sessions Judge, Mandla.
64.	Narsinghpur	IIIInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	Shri Vivek Patel, IIIInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
72.	Rajgarh	1st Additional Sessions Judge, Rajgarh.	Shri Sanjay Shrivastava, 1st Additional Sessions Judge, Rajgarh.
83.	Satna	IIIIrd Additional Sessions Judge, Satna,	Shri Rakesh Mohan Pradhan, IIIIrd Additional Sessions Judge, Satna.
89.	Seoni	1st Additional Sessions Judge, Seoni.	Smt. Indira Singh, 1st Additional Sessions Judge, Seoni.
91.	Shahdol	1st Additional Sessions Judge, Shahdol.	Shri Awinash Chandra Tiwari, 1st Additional Sessions Judge, Shahdol.
100.	Pichore Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichore.	Shri Sanjay Goyal, Additional Sessions Judge, Pichore.
102.	Singrauli	1st Additional Sessions Judge, Singrauli.	Shri Jai Shankar Shrivastava, 1st Additional Sessions Judge, Singrauli.
102-A.	Singrauli	IInd Additional Sessions Judge, Deosar.	Shri Sujeet Kumar Singh, IInd Additional Sessions Judge, Deosar."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.